Page No 1

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक ८] तृतीय विधान सभा के अष्टम् सत्र, १९६५ का १२ वां दिवस [संख्या १०

शुक्रवार, दिनांक १ अक्टूबर, १९६५

विधान सभा की कार्यवाही विधान सभा भवन, जयपुर में म. पू. ११.५ बजे प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, सामान्य-प्रशासन, सिंचाई, आयुर्वेद, खाद्य, वन, कृषि, गृह, नियुक्ति, एवं पशु-पालन विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न

प्रश्न संख्या २३५

श्री हीराभाई।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रामानन्द अग्रवाल।

भूतपूर्व नरेशों के जन्म दिवस की छुट्टी

२३६. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : क्या सामान्य प्रशासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या भूतपूर्व नरेशों के जन्म दिन की छुट्टी उनके भूतपूर्व राज्यों में अभी भी सरकारी तौर पर मनाई जाती है ?

(२) क्या यह सही है कि भूतपूर्व जयपुर नरेश के जन्म दिन की छुट्टी भूतपूर्व जयपुर राज्य की सीमा में सरकारी तौर पर मनाई जाती है और इस वर्ष २४ अगस्त को इस प्रकार की छुट्टी सार्वजनिक तौर पर मनाई गई है ?

(३) क्या इस छुट्टी का प्रावधान किसी कवेनेन्ट में दर्ज है ? यदि नहीं, तो इसका आधार क्या है ?

(४) क्या राज्य सरकार इस छुट्टी को समाप्त करके उसके स्थान पर किसी राष्ट्रीय पर्व की छुट्टी को बढ़ाने का विचार रखती है ?

उप-मन्त्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) कुछ भूतपूर्व नरेशों के जन्म दिन की छुट्टी जिनके सम्बन्ध में भारत सरकार ने ऐसी व्यवस्था स्वीकृत की है अभी भी उनके भूतपूर्व राज्यों में रखी जा सकती है।

(२) भूतपूर्व जयपुर नरेश के जन्म-दिन की छुट्टी जिला जयपुर में रखी जाती है और इस वर्ष भी सार्वजनिक छुट्टी उनके जन्म-दिवस पर रही है।

Page No 2

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

(३) ऐसा प्रबन्ध भारत सरकार द्वारा स्वीकृत व्यवस्थाओं में है।

(४) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : कौन कौन से जिलों में इस तरह की छुट्टी इस समय मनाई जाती है?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : यद्यपि यह इस सवाल से सम्बन्धित नहीं है, लेकिन राजस्थान के अन्दर तीन राजा ऐसे हैं कि जिन्होंने इस सम्बन्ध में रिप्रेजेन्ट करके गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से इस व्यवस्था को करवाया था, वे हैं, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर।

श्री **श्रवणलाल** (हिण्डौन) : यह जो छुट्टी मनाई जाती है वह स्टेट के हेडक्वार्टर पर ही क्यों मनाई जाती है और दूसरे जिलों में क्यों नहीं मनाई जाती है?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : आप चाहते हैं कि मनाई जाय?

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : इस तरह की छुट्टी के बारे में जब किसी कवेनेन्ट के तहत इस प्रकार मुआहिदा किसी भूतपूर्व नरेश से नहीं हुआ है तो स्टेट गवर्नमेन्ट पर कैसे बाईंडिंग है कि इस प्रकार की किसी ऐसी व्यवस्था को माने और इस प्रकार की छुट्टी रखे?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : All such clarifications which have been issued by the Government of India are part of that.

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : क्या क्लेरिफिकेशन है? कब कवेनेन्ट के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था दी गई है?

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : कवेनेन्ट में कई प्रश्न उठे हैं। उन सब प्रश्नों को गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया ने तय किया है, और जिन प्रश्नों को तय किया है उनमें प्रोपर्टी के भी प्रश्न उठे हैं और दूसरे प्रिविलेजेज के बारे में भी प्रश्न उठे हैं, और कुछ राजाओं के जन्म-दिन की छुट्टियों के बारे में भी प्रश्न उठे हैं, उन सब प्रश्नों को गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने तय किया है और गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया इसके लिए सुप्रिम पॉवर है? इसको तय करके उसने जो व्यवस्था दी है और राज्य सरकार को सूचित किया है उसके अनुसार यहां पर यह छुट्टी रखी जाती है।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** : क्या यह बात सही है कि कवेनेन्ट में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था कि इस प्रकार से किसी रूलर के जन्म-दिन छुट्टी रखी जाय।

श्री **रामप्रसाद लड्ढा** : इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि इस तरह से, क्लेरिफिकेशन से उन डिफीकल्टीज को सोल्व करने के लिए, जो कवेनेन्ट में उत्पन्न होती हैं, उनके लिए गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने क्लेरिफिकेशन दिये हैं that forms a part of it.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या यह व्यवस्था सरकार की समाजवादी नीति के अनुरूप है? Equality before law; जो कि कॉन्स्टीट्यूशन का प्रिएम्बल है उसके अनुसार एक स्केल से सबको नापेंगे। क्या यह जो हमारा संविधान है उसकी भावना के अनुरूप है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह व्यवस्था उस व्यवस्था से निकली है जबकि राजा-महाराजाओं ने अपनी रियासतें मर्ज कीं तो

Page No 3

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
उस वक्त गवर्नमेन्ट ऑफ़ इण्डिया से इस तरह की जो बातें तय की हैं और जो फ़ैसले किये हैं उस दृष्टि से यह की जा सकती हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जयपुर नरेश के जन्म-दिन की जो छुट्टी करते हैं उसका हमारे स्टेट एक्सचेकर पर कितना बोझ पड़ता है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका स्टेट गवर्नमेन्ट के एक्सचेकर पर असर पड़ने का प्रश्न नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : कैसे प्रश्न उपस्थित नहीं होता है? एक दिन की छुट्टी रहती है उसमें जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह देते हैं वह कितनी होती है? क्या राज्य सरकार ने कभी इसको केल्कुलेट किया है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसको केल्कुलेट करने की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या इस छुट्टी के बारे में केन्द्रीय सरकार के हुक्म को हमारी सरकार मानने को बाध्य है? क्या यह विधान सभा इस सम्बन्ध में ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती है कि इस प्रकार के फ्यूडल सिस्टम के अवशेषों को एक साथ ही समाप्त कर दे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लेजिस्लेचर के पॉवर्स सुप्रीम हैं, आपको इसकी जानकारी होगी; इसलिये मैं उसके सम्बन्ध में नहीं कहना चाहता हूं कि यह विधान सभा इस सम्बन्ध में कुछ कर सकती है या नहीं; लेकिन जो व्यवस्था एग्जिस्ट करती है उस व्यवस्था के बाद गवर्नमेन्ट ऑफ़ इण्डिया के इन्टरप्रिटेशन्स और ऑर्डर्स हैं तो उनके अनुसार यह किया जा रहा है?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : विधान सभा सक्षम है। आपके सामने कोई इस प्रकार का प्रश्न हो तो आप उसके सामने रखें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमारे सामने कोई प्रश्न नहीं है। जो प्रिवेलेजेज जिस किसी को एग्रीमेन्ट के अन्दर दिये हैं उन प्रिविलजेज को जब तक कि वे खत्म नहीं किये जाते हैं तब तक उनको हम मानते हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : ये प्रिविलेजेज इस तरह की नहीं है जो कवेनेन्ट के वक्त दिये गये हैं; यह सिर्फ़ गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया का क्लेरिफिकेशन हुआ, उनसे एराइज हुए हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह क्लरिफिकेशन भी है जैसा कि पूर्व मैंने कहा कि गवर्नमेन्ट ऑफ़ इण्डिया के फैसले हुए हैं ये सैटलमेन्ट हैं; between Government of India and rulers.

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस तरह के फैसलों की प्रतिलिपि क्या आप सदन की मेज पर रखेंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया से पत्र आये हैं उनकी प्रति अभी मेरे पास नहीं है उनको यदि कोई माननीय सदस्य देखना चाहें तो मुझे ऐतराज नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसमें कोई सीमा तो रखी होगी सौ साल या दो सो साल?

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ऐसी सीमा नहीं रखी है।

श्री मुरलीधर व्यास : सीमा नहीं रखी है तो क्या सरकार उचित समझती है कि जिस तरह से राजाओं को जो पेन्शन मिलती है उनकी एक पीढ़ी समाप्त हो जाय तो दूसरी पीढ़ी को पेन्शन कम हो जाती है, उसी तरह से इनकी कोई सीमा [illegible] छुट्टियां [illegible]

श्री रामप्रसाद लड्ढा: ऐसा कोई विचार नहीं है। ऐसी परिस्थिति आवे तो विचार करेंगे। अभी विचार करने के लिये हमारे पास कोई [illegible] नहीं है।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या राजस्थान सरकार यह उचित नहीं समझती है कि भारत सरकार को इस तरह की चिट्ठी [illegible] करने के लिये [illegible]

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लिखने का प्रश्न पैदा नहीं होता है। इस फैसले में केवल छुट्टी ही एक आइटम नहीं है और भी बातें हैं इसलिये सरकार [illegible] प्रश्न नहीं है।

श्री अध्यक्ष : क्या ऐसा कोई कानूनी निर्णय है कि [illegible] निर्णय को कवेनेन्ट [illegible]

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कवेनेन्ट में प्रिविलेजेज के बारे में लिखा है, कोई डिस्प्यूट खड़ा होगा तो गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया उसको डिसाइड करेगी। इन चीजों को गवर्नमेन्ट ऑफ इण्डिया ने डिसाइड किया और जो कुछ फैसला मन्जूर किया, तय किया उसकी सूचना हमको दी, उसके अनुकूल हमने किया है।

श्री मानुप्रसाद करोडिया (चौमू) : क्या यह जयपुर महाराजा के जन्म-दिन की छुट्टी केवल जयपुर शहर में ही होती है, पूरे डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी नहीं होती है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : शर्त है उसके मुताबिक जयपुर डिविजन में छुट्टी हो सकती है।

श्री बालप्रसाद करवरिया(?) : कहां कहां पर की जाती है?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी सूचना के अनुसार जयपुर डिस्ट्रिक्ट में छुट्टी की जाती है [illegible] जिलों [illegible], वहां पर छुट्टी नहीं की जाती है।

श्री [illegible] : क्या [illegible] छुट्टी [illegible]

श्री माणिकचन्द सुराणा : यहां हम इस छुट्टी को बिल्कुल ही समाप्त करना चाहते हैं, माननीय सदस्य इसको और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं और मन्त्रीजी इसको वैसे ही रखना चाहते हैं। यह कोई कवेनेन्ट में नहीं लिखा हुआ है, कोलेटरल लेटर में लिखा है। [illegible] जब उत्पादन [illegible] बढ़ाने की बात चल रही है, चीन और पाकिस्तान से लड़ना है, ऐसी हालत में इन नरेशों का क्यों नहीं लिखा जाता कि

(श्री मानिकचन्द सुराणा)
भारतीय सुरक्षा कोष में इस छुट्टी को दान कर दें तो ज्यादा कल्याणकारी होगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह उनके सोचने की बात है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप उनसे अपील जरूर करेंगे कि नरेश फॉरिन एक्स-चेन्ज नहीं दें तो छुट्टी तो दान में दे दें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : मन्त्रीजी इतने कन्जूस हैं कि एक चिट्ठी भी सरकार की तरफ से नरेशों को नहीं लिखना चाहते कि वे अपने जन्म दिन की छुट्टी मन्सूख करवा दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या इन तीन स्टेट्स के एक्स रूलर्स के लिये ही छुट्टी की व्यवस्था दी है या दूसरों के लिये भी यही व्यवस्था लागू है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने स्वयं पहले ही अर्ज कर दिया है कि मैंने कवनेन्ट और कोलेटरल लेटर्स को देखा है। इन तीन रूलर्स के जन्म दिन की छुट्टी करने के बारे में हो[illegible] इसलिये [illegible] जन्म दिनों प[illegible]

श्री रामानन्द अग्रवाल : ये किसी कवनेन्ट की धारा के इन्टरप्रिटेशन में व्यवस्था दी है या इन रूलर्स ने नया ही डिस्प्यूट खड़ा किया था ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय ने जानना चाहा था, उस समय मैंने स्पष्टीकरण किया था और साथ साथ यह भी कहा था कि ये कौलेटरल लेटर्स हैं;
It is a post of the Covenant.

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : जिस समय गवर्नमेन्ट ऑफ़ इण्डिया ने यह क्लेरिफ़िकेशन किया उससे पहले क्या उन्होंने राजस्थान गवर्नमेन्ट की राय मांगी थी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसका प्रश्न नहीं है। गवर्नमेन्ट ऑफ़ इण्डिया को तय करना था। सन् ४९-५० में तय किया, उस समय गवर्नमेन्ट ऑफ़ इण्डिया ने राजस्थान गवर्नमेन्ट से पूछा या नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या गवर्नमेन्ट ऑफ़ राजस्थान ने इस पर एतराज किया था कि इस तरह की छुट्टियां देने के पक्ष में वह नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे खयाल से नहीं किया होगा।

श्री अध्यक्ष : श्री दयाचन्द सोन।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : जयपुर नरेश ने कहा था कि अय्यूब से चाय की प्याली पर झगड़ा निपट लेंगे, तो यह मसला इस छुट्टी पर ही क्यों नहीं निपटते ?

बारां नगर में कॉलेज

२३६. **श्री दयाचन्द सोन** (बारां-सु.) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(क) बारां नगर में एवं बारां, अन्ता, शाहबाद, अटरू, छबड़ा, छिपाबड़ौद एवं इटावा पंचायत समिति क्षेत्रों में कितनी माध्यमिक एवं हाई स्कूल व हायर सेकेण्डरी स्कूल हैं ?

(श्री दयानन्द सोन)

(२) क्या बारां में व आस-पास के उक्त सात पंचायत समिति क्षेत्रों में स्कूलों की संख्या को देखते हुए सरकार ने बारां नगर में कॉलेज खोलने का निर्णय किया है? यदि हां, तो कब तक कॉलेज खुल जायगा?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : स्कूल की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है?

(२) वर्तमान में बारां में कॉलेज खोलने का प्रश्न विचाराधीन नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री दयाचन्द सोन : सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि कोटा जिले में एक ही कॉलेज है और उसमें जितने विद्यार्थी हैं उन सब का एडमिशन नहीं होता इसलिये उनको दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है या पढ़ाई छोड़ कर घर बैठना पड़ता है, इसलिये दूसरी कॉलेज की व्यवस्था कब तक होगी?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : इसलिये, अध्यक्ष महोदय, दूसरी कॉलेज खोलने का अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री **कृष्णकुमार गोयल** (कोटा) : क्या बारां में कॉलेज खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : यह प्रश्न विचाराधीन किये जाने के योग्य हैं।

श्री **दयाचन्द सोन** : क्या मुख्य मंत्रीजी ने कॉलेज खोलने का आश्वासन दिया था?

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री दयाचन्द सोन : वहां पर बच्चों के एडमिशन की क्या व्यवस्था की जा रही है?

श्री अध्यक्ष :— *Next.*

प्रश्न संख्या २३८

श्री अध्यक्ष : श्री देवीलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २३९

श्री चन्द्रसिंह बर्फा।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या २४०

वैद्य श्री गोविन्द सहाय।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, यह इम्पोर्टेन्ट प्रश्न है, इसको ले लिया जाय।

भूतपूर्व राजाओं से प्राप्त राज्य सरकार की आगरा में सम्पत्ति

२४१. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेडा) [श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) द्वारा पूछा गया] : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राज्य सरकार की आगरा में कितनी सम्पत्ति थी जो भूतपूर्व राजाओं द्वारा सरकार को प्राप्त हुई थी? इस सम्पत्ति की अनुमानित लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

(२) क्या यह सही है कि इस सम्पत्ति में से कुछ सम्पत्ति को राज्य सरकार ने बेचा ? यदि हां, तो कौनसी सम्पत्ति कितने में ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या सरकार और भी सम्पत्ति को बेचना चाहती है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय यह प्रश्न संख्या २४१ और एक और प्रश्न आगे इसी तरह का है जो आगरा और इलाहाबाद में पुरेजात की संपत्ति है उससे संबंधित है; कितनी सेल हुई, कितनी बेची, यह लम्बा चौडा प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों का संबंध पुरेजात, पी. डब्ल्यू. डी. से है और इसकी सूचना उपलब्ध नहीं हो सकी है इसलिये इसको अगले सप्ताह ले लिया जाय।

श्री अध्यक्ष : अगले सप्ताह रखा जाय।

(विराम)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

मण्डियों में गेहूं

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) [(श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेडा) द्वारा पूछा गया)] : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि अगस्त सन् ६५ में खाद्य मंत्री ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए यह कहा कि छिपे हुए गेहूं को मंडियों में लाने के लिये सरकार कठोर कदम उठाएगी ? यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में उसके पश्चात् क्या क्या कदम उठाये हैं और कितना छिपा हुआ गेहूं कहां कहां पर सरकार ने जब्त किया है ?

उप-मंत्री, खाद्य (श्रीमती कमला बेनीवाल) : छिपे हुए गेहूं को मंडियों में लाने के लिये सरकार का प्रयास जारी है। राजस्थान खाद्यान्न (संग्रह रोकथाम) आदेशों, १९६४ दिनांक २७-५-६४ के अन्तर्गत नियम-विरुद्ध कार्य करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाती है। उक्त आदेश का पूर्णतया पालन करने हेतु इस विभाग के एनफोर्समेन्ट इन्सपेक्टर व अधिकारियों व खाद्य विभाग के अन्य अधिकारियों को आदेश हैं कि वे ऐसे व्यक्तियों के भंडारों पर छापे मारने की कार्यवाही आदि करें, जिन्होंने बिना घोषणा किये हुए निर्धारित मात्रा से अधिक गेहूं की मात्रा रख छोड़ी है। अब तक कुल राज्य में १७९७ क्विन्टल १७२ किलोग्राम गेहू पकडा गया है। जिनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा रही है। ब्यौरा इस प्रकार है :—

१. उदयपुर १७९ क्विन्टल
२. बांसवाडा ७९.७५ क्विन्टल
३. झालावाड ५.७१ क्विन्टल
४. गंगानगर २७०.६१ क्विन्टल
५. भरतपुर १६५.१५ क्विन्टल
६. अजमेर ८९२.०० क्विन्टल
७. सिरोही ८५.५० क्विन्टल
८. नागौर १५०.०० क्विन्टल

कुल १७९७.७२ क्विन्टल

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : यह जो आपने बताया कि मंडियों में गेहूं लाने के लिये अधिकारी नियुक्त किये क्या यह बतला सकती हैं कि पर्चेज ऑफिसरों के द्वारा आज तक कितना गेहूं मंडियों में लाने की व्यवस्था की गई है ? पर्चेज ऑफिसर राजस्थान भर में आपने कायम किये हैं ?

Page No 8

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसका ब्यौरा मेरे पास नहीं है कि किस किस अधिकारी ने कितने कितने केस पकड़े ?

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या यह सही है कि इस नीति के प्रसारण के बाद राज्य सरकार ने ऐसे व्यापारियों के खिलाफ जिन पर ब्लेक मार्केटिंग करने अथवा स्मगलिंग करने के केसेज चल रहे हैं उनको वापिस लेने का निर्णय किया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसकी जाँच करेंगे ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप यह निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते कि सरकार ने ऐसा निर्णय लेकर कई ब्लेक मार्केटियर्स और जिन व्यक्तियों ने स्टॉक डिक्लेअर नहीं किया था उनके खिलाफ केसेज थे उनको वापिस ले लिया या नहीं ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं दोनों ही बातों के बारे में इस समय कोई बात नहीं कह सकती ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मैं यह मान कर चलूं कि ऐसे कुछ केसेज हैं जिनको सरकार ने वापिस लिया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : मैं इस संबंध में जानकारी करूंगी ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या चीफमिनिस्टर यह बतायेंगे कि केबिनेट के डिसिजन के अनुसार ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ केसेज़ चलते थे उनको वापिस लिया गया है ?

मुख्य मंत्री (श्री मोहनलाल सुखाड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कोई इस प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ जो ब्लेक मार्केटिंग के थे या डिक्लेअर्ड स्टॉक से ज्यादा अनाज जिनके पास निकला हो उनके खिलाफ चलते हुए केसेज को वापिस लिया गया हो या जिन लोगों ने फूड ग्रेन ऑर्डर की अवहेलना की हो और उसमें पकड़े गये हों, उनके केसेज वापिस लिये गये हों ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सूरतगढ़ से, ग्राम सूरजगढ़ से एक्सपोर्ट हुआ और जिन व्यापारियों के खिलाफ फूड ग्रेन ऑर्डर की अवहेलना के कारण केसेज चल रहे हैं सरकार ने उन केसेज़ को वापिस ले लिया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : किसी भी व्यक्ति ने कानून की अवहेलना की है और उस कारण से उसके खिलाफ केसेज चलाये हों उनको विथड्रा करने के लिये कोई सरकार ने आदेश नहीं दिये हैं ।

श्री अब्दुल अब्बार खां : पर्चेजिंग ऑफिसर्स.......

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरेशबिहारी !

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : जयपुर जिले में कितने पर्चेजिंग ऑफिसर्स हैं और उन्होंने कितना अनाज पर्चेज किया है और अगर नहीं किया है तो उनकी क्या आवश्यकता है ?

श्री अध्यक्ष : यह पर्चेजिंग ऑफिसर्स के बारे में प्रश्न नहीं है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जो २७० क्विण्टल अनाज गंगानगर में सीज हुआ है क्या यह वह अनाज नहीं है जो लेवी में लिया है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : यह कौनसा अनाज है, मैं नहीं कह सकती ।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने अगस्त की घोषणा के बाद सिर्फ १४०० क्विण्टल अनाज ही प्राप्त किया है। हजारों टन अनाज अभी भी छुपा हुआ पड़ा है और जो सरकार की घोषणा के बावजूद भी बाहर नहीं आया है, क्या सरकार को यह विदित है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : हो सकता है। इस प्रकार की जांच की गई। अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई, उसके बाद में कितना सरप्लस पाया गया ?

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या सरकार के पास इस स्टॉक के अलावा छिपे हुए स्टॉक की सूचना नहीं है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : नहीं, कोई सूचना अभी नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार अभी तक इतना ही अनाज सरप्लस डिक्लेअर करा सकती है, इतना कठोर कदम उठाने के बाद और इस प्रकार का आश्वासन देने के बाद ? क्या सरकार बावजूद इसके छिपे हुए अनाज को निकलवाने में बहुत नाकामयाब रही है ?

श्रीमती कमला बेनीवाल : कठोर कदम उठाने का मतलब नाजायज कदम उठाने का नहीं है। कायदे के अनुसार जितना बरामद हुआ किया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या सरकार की जो नीति थी उसके अनुसार छिपे हुए अनाज को निकालने में सरकार सफल हुई है ?

श्री अध्यक्ष: Next Shri Govind Singh.

श्री मुकुटबिहारीलाल : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है। कामां में.......

श्री अध्यक्ष : अगला प्रश्न पूछा जा चुका है।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : कोई विशेष बात नहीं पूछ रहा हूं। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कामां में १॥ हजार क्विण्टल अनाज पकड़ा गया उसका क्या हुआ ? वह अनाज तब पकड़ा गया जब पानी भर गया था, तब निकला था।

श्री अध्यक्ष : Next.

आहू नदी पर बन्ध का सर्वे

२४३. **श्री गोविन्दसिंह** (पिडावा) : क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या आहू नदी पर जिला झालावाड़ ग्राम रमाई दलपत (पंचायत समिति पिड़ावा) के पास सिंचाई के लिए बांध बनाने के संबंध में सर्वे पिछले तीन साल से चालू है ?

(२) यदि हां, तो इस बांध से कितनी जमीन में सिंचाई होने का अनुमान है ?

(३) उपरोक्त बांध की अनुमानित क्या लागत होगी और इससे सरकार को कितनी आमदनी होने की आशा है ?

(४) उपरोक्त बांध बन जाने से कितने गांव डूब में आवेंगे व कितनी भूमि जिसमें इस समय काश्त हो रही है डूब में आवेगी ?

(५) इस बांध का कार्य कब से प्रारंभ हो जावेगा और प्रारंभ होने के कितने समय बाद कार्य पूरा हो जावेगा ?

Page No 10

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) जी हां ।

(२) योजना के उपयुक्त पाये जाने पर एवं पूर्ण होने पर लगभग १७,००० एकड़ भूमि में वार्षिक सिंचाई होगी ।

(३) इस योजना के निर्माण कार्य में लगभग २॥ करोड़ रुपया व्यय होगा, इससे आमद का पता तख्मीना बनने पर ही बतलाया जा सकेगा ।

कुछ माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, सुनाई नहीं दे रहा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : इनको नहीं सुनाने में दिलचस्पी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : आपकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, लेकिन फिर भी आपकी आवाज में बुलन्दी नहीं आई ।

श्री दिनेशराय डांगी : (४) इस योजना में लगभग २०० एकड़ चाही व ३००० एकड़ बारानी भूमि और लगभग १७ गांव जो कि तहसील पिड़ावा व पच पहाड़ क्षेत्र के अंतर्गत हैं डूब में आने की संभावना है ।

(५) इस योजना का सर्वे कार्य जारी है; इसके अतिरिक्त यह एक मध्यम श्रेणी की योजना है जिसके लिये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में कोई प्रावधान नहीं है । इस कारण इसके प्रारंभ व पूर्ण होने के विषय में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता ।

श्री गोविन्दसिंह : चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसके लिये प्रावधान है क्या ?

श्री दिनेशराय डांगी : मैंने कहा है भाग (५) में कि कोई प्रावधान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : Next.

तहसील सांगोद के धूलेट ग्राम में वन-विभाग द्वारा प्लाण्टेशन करने की योजना

२४४. **श्री जुझारसिंह** (चेचट) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) तहसील सांगोद के धूलेट ग्राम में वन विभाग द्वारा कितने क्षेत्र में प्लान्टेशन करने की योजना है और अब तक कितने एरिया में प्लाण्टेशन हो चुका है ?

(२) क्या यह सही है कि प्लाण्टेशन के लिये निर्धारित किये गये क्षेत्र में तारबन्दी नहीं होने के कारण गांव के मवशी उसमें चले जाते हैं और विभाग द्वारा लोगों को परेशान किया जाता है और उनसे जुर्माना लिया जाता है ?

(३) क्या यह सही है कि वन विभाग का अपने तौर पर अपना ही "काइन हाउस" कायम किया हुआ है और प्लाण्टेशन के क्षेत्र में चले जाने वाले मवेशियों को ग्राम पंचायत के काइन हाउस में बन्द नहीं करके अपने ही काइन हाउस में बन्द किया जाता है ? यदि हां, तो क्या वन विभाग को अपने काइन हाउस स्थापित करने का अधिकार है ? और यदि है, तो किस नियम से ?

(४) क्या सरकार धूलेट प्लाण्टेशन क्षेत्र की तारबन्दी करने व विभाग द्वारा अनधिकृत रूप से स्थापित किये गये काइन हाउस के मारफत वसूल की गई रकम को वहां की ग्राम पंचायत को वापिस करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, वन (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) १०० एकड़ क्षेत्र में प्लान्टेशन करने

(श्री दिनेशराय डांगी)
की योजना थी जिसमें से अब तक ६० एकड़ में प्लाण्टेशन हो चुका है ।

(२) जी नहीं, प्लाण्टेशन के ३ ओर कांटेदार तार से और चौथी ओर झाड़ों से बाड़ की गई है । कभी कभी मवेशी ग्वाला साथ न होने से प्लाण्टेशन में घुस जाती है, जिसका मुआवजा विभाग द्वारा मालिकान से उनकी रजामन्दी से लिया जाता है ।

(३) जी नहीं ।

(४) इस प्लाण्टेशन के तीन ओर तारबन्दी की हुई है और चौथी ओर भी बाड़ की जगह तारबन्दी की जा रही है । वन विभाग का काइन हाउस ही नहीं होता, अतः रकम लौटाने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जुझारसिंह : आपने फरमाया कि काइन हाउस नहीं है तो आप मवेशी को बन्द कर लेते हैं और उनके मालिकों से जुर्माना क्यों वसूल करते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : फॉरेस्ट में जहां प्लाण्टेशन है वहां एक-दो दिन के लिये एन्क्लोजर में रखते हैं; फिर हर्जाना लेकर रिलीज कर देते हैं । नहीं तो काइन हाउस भेज देते हैं ।

श्री जुझारसिंह : प्लाण्टेशन के चारों ओर अगर ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा तो मवेशी तो जायेगी ही, यह तो स्वाभाविक है । तो इस तरह उन लोगों का हैरेसमेंट होता है । तो आप जब प्लाण्टेशन कायम करते हैं तब उनके चारों ओर बार्ब्ड वायर कायम करें तो मवेशी नहीं जा सकेगी और गांव वाले भी परेशान नहीं होंगे । मेरा निवेदन है कि जुर्माना लिया गया है और आप चाहें तो अमाउण्ट भी बता सकता हूं ।

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : जिस बात को माननीय सदस्य कहते हैं उसके आंकड़े मेरे पास भी हैं । बार्ब्ड वायर प्लाण्टेशन के तीन तरफ लगा हुआ है और चौथी तरफ नदी आ जाती है तो वह नेचुरल ब्लोकेड हो जाता है ।

श्री जुझारसिंह : धूलेट गांव में ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत का काइन हाउस भी है । तो कोई मवेशी अगर प्लाण्टेशन में चली जाती है तो उसको काइन हाउस में क्यों नहीं भेज दिया जाता और जो नॉर्मल जुर्माना है वह ले लिया जाता ? लेकिन उनसे आप ज्यादा पैसा वसूल करते हैं ।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य गलत इन्फोर्मेशन सदन को दे रहे हैं । मेरे पास जो इन्फोर्मेशन है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वन विभाग की तरफ से कोई काइन हाउस नहीं मेनटेन करना पड़ता लेकिन जहां जहां गांव से काइन हाउस दूर हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की जाती है तो उसको २४ घंटे तक वहां रखा जाता है और उस समय के अन्दर अगर मालिक आ जाये तो वह मवेशी ले जा सकता है, नहीं तो मवेशी को पास के ग्राम पंचायत के काइन हाउस में रखा जाता है ।

श्री जुझार सिंह : इन्हों ने २१९ रुपये जुर्माने के लिये हैं । एक यह कहा है कि पंचायत का काइन हाउस पन्द्रह-बीस मील पर है । मेरा निवेदन है कि धूलेट गांव है इसके आधे फर्लांग पर प्लाण्टेशन है, इस

Page No 12

(श्री जुझारसिंह)
कारण गांव के कई मवेशियों को काइन हाउस में बन्द कर दिया जाता है। यह कहते हैं कि पंचायत का काइन हाउस दूर होता है इसलिए डिफिकल्टी आती है। लेकिन जिस बाड़े में बन्द कर दिया वह भी उतनी ही दूर है। इसलिए जो ग्राम पंचायत का काइन हाउस है, और उसके पास जो प्लाण्टेशन है, उसके कारण जो मवेशी पकड़े जाते हैं वे लाजिमी तौर पर गांव के काइन हाउस में बन्द करने चाहिए। और इस तरह गांव के लोगों को हैरेस करने का कायदा नहीं होना चाहिए। आप उनसे नॉर्मल पैनल्टी ले लें।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, जंगलों के कारण लोगों को आम तौर पर परेशानी होती है। मंत्रीजी इस प्रश्न पर चुप रहे और उन्होंने यह बताया नहीं कि जो जुर्माना करते हैं वह किस कानून के तहत करते हैं? आप सैकड़ों रुपया जुर्माना करते हैं और जो मामूली भैंस और बकरी चली जाती है तो उनको पकड़लेते हैं और बन्द कर देते हैं। तो मंत्री महोदय स्पेसिफिकली बता दें कि आया आपको जुर्माना करने का अधिकार है या नहीं? है तो आप कम्पाउण्ड के रूप में करते हैं या चालान के रूप में करते हैं; यह आप बतला दें, साफ कर दें। आप जुर्माना करते हैं या कम्पाउण्ड करते हैं और किस कानून के तहत करते हैं? या जैसे मन में आता है उस ढंग से कर देते हैं? आप कानून ही बता दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, स्थिति यह है......

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आ जाय कानून के बारे में।

श्री भोलाभाई : मैंने निवेदन कर दिया, जो कुछ कहना था वह। मैंने आपसे कहा कि प्लाण्टेशन होता है उसके पास चौबीस घंटे मवेशी रखने के लिए दिये जाते हैं। क्योंकि आखिर में मवेशी इतनी दूर जाते हैं तो मवेशियों के जाने में देरी लगती है और आने में भी देरी लगेगी। इसके अलावा उनसे मुआवजा लिया गया है। आपस में मिलजुल करके कम्पेन्सेशन लिया गया है। उनसे जुर्माना नहीं लिया गया है या पैनल्टी नहीं ली है। वैसे पैनेल्टी लेने का प्रावधान है। लेकिन कम्पेन्सेशन लिया गया है क्योंकि ये कम्पाउण्डेबल कैसेज हैं। उनसे मुआवजा ले लिया जाता है और मुआवजा लेकर छोड़ दिया जाता है। यह सारी स्थिति है, क्योंकि उतनी दूर जाने में दिक्कत होती है, बाद में ग्राम पंचायत के काइन हाउस में दाखिल किया गया है। इसके अलावा एक सूची माननीय सदस्य को दे दी गई है कि इतना रुपया ग्राम पंचायत के काइन हाउस में जमा हुआ है और उसकी रसीद मौजूद है, इस प्रकार की व्यवस्था है। हमने वहां चौबीस घंटे मवेशियों को रखने के लिए रखा है क्योंकि मवेशी वालों को दिक्कत पहुंचेगी।

श्री अब्दुलजब्बार : आप चौबीस घंटे मांगते हैं। मैं कहता हूं, आप छः दिन तक रखिये तो भी उसमें ऐतराज नहीं है। लेकिन आपको अधिकार है या नहीं? आप यह अधिकार बता दीजिये कि आप किस कानून के अन्तर्गत करते हैं? हम कहते हैं कि यह करके आप डाका डालते हैं और यह इल्लीगल डिटेंशन है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, पहले पंचायत कायम नहीं थी, तो फॉरेस्ट एक्ट के तहत गवर्नमेन्ट को इस तरीके से एक्शन लेने का कुछ औचित्य था। लेकिन बाकायदा हर गांव में पंचायतें कायम हैं और इस तरह के काइन हाउस मौजूद हैं तो उन काइन हाउसेज का उपयोग होना चाहिए और जंगलात वालों को वहां पर मवेशी भेजने चाहिए। इसके बारे में आम बात है कि गांव वालों का इस तरीके से शोषण होता है। बहुत छोटे छोटे लोग होते हैं। खुद मिनिस्टर साहब वहां पर होते तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन मामूली मामूली से लोग होते हैं वे पैसा लेकर पकड लेते हैं और पैसा लेकर छोड़ देते हैं। जब गांव की चुनी हुई पंचायत मौजूद हैं तो मिनिस्टर साहब को अपने डिपार्टमेंट के लोगों को पैसा खटवाने की इतनी भारी आवश्यकता क्यों है? आप यह ग्राम पंचायत के लिए छोड़ें और मवेशियों को उसके काइन हाउस में ही भेज दिया करें यदि मवेशी अतिक्रमण करें तो।

श्री भीखाभाई : माननीय सदस्य ने जो भावना व्यक्त की, जहां तक हो सके, ग्राम पंचायत का जो काइन हाउस है उनके हाथ मवेशी जल्दी से जल्दी सुपुर्द करने चाहिए मैं इसको कद्र करता हूं। लेकिन जहां तक माननीय सदस्य ने कहा कि विभाग के लोगों के द्वारा ज्यादा पैसा ले लिया जाता है जब कि वह कम होता है, मैं इस चीज का विरोध करता हूं, वह इसलिए कि मेरे पास में आंकड़े हैं और उन आंकड़ों से साबित होता है कि मुआवजे के तरीके से २१९ रुपये, जैसा माननीय सदस्य ने कहा है, वह वसूल हुआ है और वह पंचायतों को भेजा है। इसका विवरण इस प्रकार है :—१७-४-६५ को २२ भैंस—११० रु०; १८-४-६५ को ४ भैंस—२० रुपये; ५-५-६५ को ४ भैंस—२० रुपये; १४-५-६५ को ४ भैंस—२० रुपये; २०-५-६५ को ११ भैंस—४९ रुपये; २३-३-६५ को २ भैंस—५)४५ रु०; २३-३-६५ को २ भैंस—६)४६ रुपये; २५-३-६५ को ४ भैंस—५)४७ रुपये; २७-३-६५ को ३ भैंस..

श्री अब्दुलजब्बार : वह ठीक है।

श्री भीखाभाई : इसलिए माननीय सदस्य का यह कथन ठीक नहीं है। दूसरे जो कहा है कि जो ग्राम पंचायत के काइन हाउस हैं उनमें भेजना चाहिए ताकि दिक्कत नहीं हो। वहां पर भेजने के लिए ऑर्डर्स हैं और इसकी ओर ताकीद कर देंगे।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि कानून की किस धारा के अन्तर्गत आप करते हैं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : कानून मालूम नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष : किताब है।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : समझते हैं थोड़ा बहुत। ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझते हों। अनाड़ी तो नहीं हैं।

श्री भीखाभाई : मैं वैल इन्फोर्ड अपने को नहीं कहता। मैं अर्ज करूं कि जो इन्फोर्मेशन आई उसके अनुसार ६८ (१) के अन्दर इस प्रकार का प्रावधान है : "The Government may by notification in the Rajasthan Gazette empower a Forest Officer :

(श्री भीखाभाई)

(a) to accept from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any forest offence, other than an offence specified in section 62 or section 63 a sum of money by way of compensation...."

यह सारा है मुआवजा देने का।

श्री अब्दुलजब्बार : Read it completely."

श्री अध्यक्ष : मंत्री महोदय पढ़ते पढ़ते क्यों रुक गये ?

(हिअर-हिअर)

श्री भीखाभाई : अध्यक्ष महोदय, इसलिए कि यह बहुत लम्बा है।

श्री अध्यक्ष : इस सेक्शन के आधार पर फॉरेस्ट आफिसर को पॉवर्स देने का आपने नोटिफिकेशन निकाल दिया है ?

श्री भीखाभाई : यह करने का अधिकार है, मुआवजे पर छोड़ने का अधिकार है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : अगर राज्य सरकार के द्वारा पावर्स दे दी जायं; वे पॉवर्स दे दी हैं क्या ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अधिकार अधिक से अधिक रेंजर को होता है, गांव के पशुओं को फॉरेस्टर वहां पकड़ता है और रेंजर का दफ्तर जो जिले में या तहसील में है, इसका मतलब यह है कि कम्पाउण्ड होने के लिए मवेशी वहां पर जाय तब वह कम्पाउण्ड करे। दरअसल कम्पाउण्ड वहीं पर होता है और फॉरेस्टर तय करके, जितने में तय हो जाय वह कम्पाउण्ड करके छोड़ देता है। वह कम्पाउण्ड इस तरीके से होता है। मैं निवेदन करूंगा कि छोटे २ मामलात हैं और जब ग्राम पंचायत बन गई हैं तो बाकायदा ऐसी जगह हैं जहां काइन हाउस हैं। तो पंचायतों के काइन हाउस में मवेशी फोरेस्ट वाले भेज दिया करें और पंचायत उसके खिलाफ एक्शन ले लें। वह काफी है।

श्री भीखाभाई : मैंने निवेदन किया, इस बात को कर रहे हैं और उसको करने के लिए मैंने आश्वासन दिया है कि ऐसा और कराऊंगा; जहां पर काइन हाउस ग्राम पंचायतों में हैं, मैंने निवेदन किया, वहां पर भेज दिये जायं। लेकिन जो २४ घंटे तक रखने का सवाल आता है, क्योंकि दूर जाने में दिक्कत आती है, इस प्रकार जो माननीय सदस्य ने कहा तो जहां रेंजर को अधिकार है, तो वह रेंजर को ही अधिकार है। 'A forest officer shall not be empowered under this section unless he is a forest officer of a rank, not inferior to that of a Ranger and is in receipt of monthly salary amounting atleast to one hundred rupees."

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): क्या आपके फोरेस्ट गार्ड को हक है ? उनको भी कम्पाउण्ड करने का अधिकार है इसके तहत में ? फॉरेस्ट गार्ड को भी केस कम्पाउण्ड करने का अधिकार है ?

श्री भीखाभाई : फोरेस्ट रेंजर को अधिकार है।

श्री गिरधारीलाल व्यास : जब उसको अधिकार है तो ऐसी हालत में जो फॉरेस्ट गार्ड रहता है वह पैसा लेकर कम्पाउण्ड कर देता है, ऐसा क्यों होता है ? वह नाजायज पैसा प्राप्त करता है। आप चौबीस घंटे की बात करते हैं, लेकिन चौबीस घंटे तक, जितने जानवर चरते हैं उनको पकड़ कर इल्लीगल पैसा ले लिया जाता है और बाद में सबकी सफाई कर देते हैं। आपको

(श्री गिरधारीलाल व्यास)
ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे जो कानूनी तरीके से जहां पंचायत का काइन हाउस मौजूद हैं वहां आपके डिपार्टमेंट के द्वारा चौबीस घंटे भी नहीं रखे जायं क्योंकि उससे इस प्रकार की गड़बड़ी होती हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज !

ग्राम लूनावा स्थित फूटेला बांध की मरम्मत पर व्यय

२४५. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) ग्राम लूनावा, जिला पाली स्थित फूटेला बांध की मरम्मत में सरकार ने कितनी राशि खर्च की ?

(२) क्या यह सही है कि उक्त तालाब की मरम्मत मुकम्मिल नहीं की गई, फलस्वरूप आज तक उसमें पानी नहीं भरा और सिंचाई नहीं हो सकी ?

(३) क्या यह सही है कि इस तालाब की मोरी पर थोड़ी मरम्मत करवा कर फाटक लगाने मात्र से इस तालाब का बड़ा उपयोग हो सकता है ? और इस कार्य का सर्वे भी किया जा चुका है ?

(४) इस कार्य को कब पूरा करवाने का राज्य सरकार विचार रखती है ?

उप-मंत्री, सिंचाई (श्री दिनेशराय डांगी) : (१) बाली ब्लॉक व पंचायत समिति द्वारा फरवरी १९५९ से लगा कर मार्च १९६२ तक १२,०९९.६५ पैसे खर्च किये।

(२) जी हां।

(३) जी नहीं। बांध की सम्पूर्ण मरम्मत होने पर ही उपयोगी हो सकता है। सर्वे हो चुकी है।

(४) इस तालाब की मरम्मत का प्रावधान पंचायत समिति, बाली द्वारा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना काल में रखा गया है।

श्री मोहनराज : क्या यह बतायेंगे कि इसकी सर्वे करवाने पर कुल लागत क्या बैठेगी ?

श्री दिनेशराय डांगी : सर्वे की लागत का प्रश्न इससे सम्बन्धित नहीं है। अलग से प्रश्न वापिस करें।

श्री मोहनराज : चूंकि इस पर राशि खर्च की गई और इस वजह से जो कि आपने खुद ने कहा, १९६१-६२ से लगा कर यह बांध टूट गया है और सिंचाई नहीं होती है, तो क्या सिंचाई विभाग इसके लिए आवश्यक रकम देकर ठीक करवाना उचित नहीं समझता ?

श्री दिनेशराय डांगी : २५ हजार से कम का जो होता है उसका सम्बन्ध पंचायत से होता है। इसका एक्ट में प्रावधान किया गया है। इसलिए इसका सिंचाई विभाग से ताल्लुक नहीं है।

प्रश्न संख्या २४६

श्री अध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री अब्दुलजब्बार।

असावरा-भदेसर और निम्बाहेड़ा में सैकन्डरी स्कूल

२४७. **श्री अब्दुलजब्बार खां** (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) असावरा, भदेसर और निम्बाहेड़ा में सैकण्डरी स्कूल कब से चालू किये गये थे ?

(२) क्या असावरा तथा भदेसर के सैकण्डरी स्कूलों को पुनः हायर सैकण्डरी स्कूल कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

Page No 16

(श्री अब्दुलजब्बार खां)

(३) असावरा, भदेसर तथा निम्बाहेड़ा के स्कूलों में छात्रों की संख्या कितनी है ? अलग अलग बताने की कृपा करें।

(४) सैकण्डरी स्कूल निम्बाहेड़ा में आठवीं, नवीं तथा दसवीं कक्षाओं में कितने कितने छात्र हैं तथा हर कक्षा में कितने कितने सैक्शन्स हैं ?

(५) असावरा तथा भदेसर में आठवीं, नवीं तथा दसवीं कक्षा में छात्रों की संख्या अलग अलग बताएं तथा इन दोनों स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा में कितने छात्र पढ़ रहे हैं ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) चित्तौड़गढ़ जिले में असावरा में कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं है। भदेसर में हायर सैकण्डरी स्कूल १९५८ से चल रहा है। निम्बाहेड़ा में हाई स्कूल १९३९ से चल रहा है कि जो सन् १९६३ में जूनियर सैकण्डरी स्कूल या सैकण्डरी स्कूल कहलाने लग गया है।

(२) असावरा में कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं है। भदेसर हायर सैकण्डरी स्कूल की पद-अवनति के आदेश वापिस ले लिये गये हैं और अब यह स्कूल हायर सैकण्डरी स्कूल के स्तर का ही चल रहा है।

(३) असावरा में केवल प्राथमिक शाला है। भदेसर में कक्षा ६ से ११ तक छात्र संख्या २१३ तथा निम्बाहेड़ा में कक्षा ६ से १० तक छात्र संख्या ६७७ है।

(४) सैकण्डरी स्कूल, निम्बाहेड़ा की छात्र संख्या निम्न प्रकार है:—

कक्षा	सेक्शन	छात्र संख्या
८	अ	५८
८	ब	५४
९	अ	४९
९	ब	४५
९	स	५०
१०	अ	३४
१०	ब	२६
१०	स	३७
	कुल योग	३५३

(५) असावरा में कोई सैकण्डरी स्कूल नहीं है। भदेसर हायर सैकण्डरी स्कूल की ११वीं कक्षा में २१ छात्र पढ़ रहे हैं तथा कक्षा ८ से १० तक छात्र संख्या निम्न प्रकार है:—

कक्षा	छात्र
८	२९
९	४१
१०	२७

श्री अब्दुल जब्बार : भदेसर को डिग्रेड किया था, उसको वापिस हायर सैकन्डरी बनाया गया इसका क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : राजस्थान में कई स्कूल्स को पद अवनत किया था, उनको वापिस पदोन्नत कर दिया, उसमें भदेसर भी एक है।

श्री अब्दुलजब्बार खां : मैं कारण पूछ रहा हूं, आप कारण पर प्रकाश डालिये कि ऐसा क्यों किया गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : शिक्षा का स्तर बना रहे इसलिये ऐसा किया गया।

श्री अब्दुलजब्बार खां : निम्बाहेड़ा में सन् १९३९ का बना हुआ हाई स्कूल है, उसको हायर सैकन्डरी क्यों नहीं बनाया गया।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हां, उसको नहीं बनाया। हम सोच रहे हैं कि उसको भी पदोन्नत किया जाय, पर साधनों की कमी है।

श्री अब्दुलजब्बार खां : भदेसर में फर्नीचर नहीं था तो वह वहां गया, दूसरे

(श्री अब्दुल जब्बार खां)
साधन नहीं थे, सब वहां गये, जब कि निम्बाहेडा में सारे साधन थे। मैंने यह भी निवेदन किया था कि ११ वीं कक्षा पढ़ने के लिये निम्बाहेडा से चित्तौड जायेंगे, वहां उनको एडमिशन नहीं मिलता। हर प्रकार से निम्बाहेडा में पोसिबिलिटीज ज्यादा हैं, फिर भदेसर को प्रायोरिटी क्यों दी गई?

श्री निरंजननाथ श्राचार्य : प्रायोरिटी का प्रश्न नहीं है। मैंने निवेदन किया कि साधनों की उपलब्धि का कारण है। ज्योंही साधनों की उपलब्धि होगी निम्बाहेडा पर विचार की संभावना है।

श्री अध्यक्ष : श्री भैरोंसिंह।

श्री अब्दुलजब्बार खां : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है ....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बहुत प्रश्न बाकी हैं। आप सारी बात निवेदन कर चुके हैं।

(विराम)

श्री भैरोंसिंह।

चुनाव हिसाब के कागजात

२४८. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) [श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा) द्वारा पूछा गया] : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) गंगापुर के सेठ रिद्धिचन्द पल्लीवाल ने गुलाबचन्द पल्लीवाल के हारने के बाद जो हिसाब के कागजात में फोर्जरी की थी उसमें सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गई?

(२) क्या यह सही है कि एस. पी. ऑफिस, सवाई माधोपुर से रेवाचंद पल्लीवाल द्वारा बनाये गये जाली वाउचरों को एस. पी. ऑफिस के कर्मचारियों से मिल कर दुबारा फोर्जरी करके गायब कर दिया है? यदि हां, तो वाउचरों को गायब करने में किन किन व्यक्तियों का हाथ है तथा उनके खिलाफ आज तक कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरन्जननाथ आचार्य): इस प्रश्न का उत्तर पहले भी तीन बार दिया जा चुका है। फिर भी मैं और दे देता हूं।

(१) इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या ३३ धारा ४०८।१९३।४६६।४७७ए।१२०बी। १०९ भा. द. सं. के अधीन थाना गंगापुर में दिनांक २६-६-६२ को पंजीबद्ध होकर अनुसंधान के पश्चात् ६ अभियुक्तगण सर्व श्री प्रकाशचन्द्र, (२) गुलाबचन्द पल्लीवाल, (३) रेवा चन्द पल्लीवाल, (४) खेम चन्द मुनीम, (५) केदारसिंह तथा (६) जगन्नाथ के विरुद्ध चालान दिनांक १२-८-६४ को मुन्सिफ मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी स. मा. प. के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो जेर तजवीज अदालत है। जांच से सर्वश्री हाकिमसिंह, एस. आई., मुकरम अली एच. सी., एस. पी. ऑफिस सवाई माधोपुर तथा चतुरभुज पाल एल. सी. गंगापुर की वाउचरों को हेंड राईटिंग एक्सपर्ट जयपुर के पास रजिस्ट्री पोस्ट से न भिजवाकर साधारण पोस्ट से भिजवाने से गफलत पाई गई जिससे वे जयपुर नहीं पहुंचे और कहीं गायब हो गये। इस गफलत के लिये तीनों कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है। इसके अतिरिक्त किसी का भी आम वाउचरों को गायब करवाने में हाथ नहीं पाया गया।

श्री कृष्णकुमार गोयल : खण्ड (२) में आपने जो जवाब दिया है, जरा आप दुबारा बता दीजिये कि किन किन व्यक्तियों के हैंड राईटिंग्ज थे जिनको आपने हैंड राईटिंग एक्सपर्ट्स के पास भेजा था?

Page No 18

श्री निरंजननाथ आचार्य : हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास वाउचर भेजा था।

श्री कृष्णकुमार गोयल : किन किन व्यक्तियों के हैंड राइटिंग थे जिनको आपने हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा था ?

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास एक वाउचर, जिस पर एक व्यक्ति के दस्तखत थे, भेजा था, वह इधर उधर हो गया ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि खण्ड (२) में जिस हैंड राइटिंग का जिक्र दिया है वह खण्ड १ में जो केस चालान किया गया है उस केस से सम्बन्धित है ?

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : यह सही है। अदालत में जो यह चालान हुआ है उसमें यह हैंड राइटिंग रिलेवेन्ट है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : खण्ड (२) का जवाब किस आधार पर आधारित है कि वह वाउचर डाक से भेजा गया और बीच में ही गायब हो गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : खण्ड (२) में जो उत्तर दिया है, उस पर जैसा कि मैंने कहा डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी चल रही है। डी. ई. से पहले प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी चली, उससे यह जाहिर हुआ है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : डिस्पेच नम्बर, डेट वगैरह बता सकते हैं जिससे कि यह वाउचर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा गया ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रिलिमिनरी एन्क्वायरी सर्कमस्टान्शियल एविडेन्स पर हुई है, उसमें डाक डिस्पेच, डेट आदि सभी आ जाता है; डिस्पेच-रजिस्टर, डिस्पेच नम्बर भी आ जाता है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि जो वाउचर हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा गया था वह किस नम्बर से किस तारीख को भेजा गया था ? यह आप स्पष्ट बताइये ।

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : उसकी तारीख और नम्बर डिस्पेच रजिस्टर में दर्ज है, रजिस्टर्ड लेटर भेजा जाना चाहिये था पर ऑर्डिनरी डाक से भेज दिया, डिस्पेच रजिस्टर में सब है, मुझे अभी जुबानी याद नहीं है ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : क्या यह सही है कि जो अदालत में केस चल रहा है, उसमें यह पीस ऑफ एवीडेन्स, जो कागज डेस्ट्राय हुआ है या गुम हुआ है, वह बहुत ही इम्पोर्टेन्ट एविडेन्स है ?

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : यह तो केस ऑफ ओपीनियन है, जब कि यह केस सबजुडिस है, इस प्रकार की ओपीनियन से केस प्रिजुडिस हो सकता है इसलिये मैं यह ओपीनियन नहीं दे सकता, कोर्ट ही यह डिसाइड करेगी ।

श्री कृष्णकुमार गोयल : १९६२ में केस को कोग्निजेंस दिया जाता है, असेम्बली में प्रेशर डालने पर यह केस चालान किया जाता है, बड़ी पोलिटिक्स की चालें चली गई। जब केस का चालान किया जाता है तो उस कागज को जो कि खास एविडेन्स है हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास भेजा जाता है और आज मन्त्री महोदय की ओर से यह एक्स्प्लेनेशन दिया जाता है कि कागज गायब हो गया और इस बात पर मंत्री महोदय सेटिस्फाई करना चाहते हैं कि हम डिपार्टमेन्टल एन्क्वायरी करा रहे हैं। इतने इम्पोर्टेन्ट कागज को ऑर्डिनरी डाक से भेजा जाता है और इस तरह कागज को गायब किया जाता है,

Page No 19

श्री निरञ्जननाथ आचार्य : ऑडिनरी डाक से नहीं भेजा जाना चाहिये, प्रोपर प्रिकॉशन्स लिये जाने चाहिये थे; वे नहीं लिये गये इसीलिये तो डी. ई. चल रही है।

श्री अब्दुलजब्बार खां (निम्बाहेड़ा) : हेंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास उस वाउचर को भेजा गया तो क्या किसी ऑफिसर के कवरिंग लैटर से भेजा गया? अगर कवरिंग लैटर से भेजा गया है तो किस ऑफिसर ने कवरिंग लैटर लिखा?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कवरिंग लैटर पी.ए.टु.एस.पी., सवाईमाधोपुर, ने लिखा है।

श्री अब्दुलजब्बार खां : क्या दस्तखत भी हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : जी हां।

श्री अब्दुलजब्बार खां : क्या उस पर लिखा है "रजिस्टर्ड"?

श्री निरंजननाथ आचार्य : गलती तो यही हुई है।

श्री अब्दुलजब्बार खां : तो फिर ऐसे आदमी को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कौन कहता है कि नहीं किया गया है।

श्री अब्दुलजब्बार खां : Thank you. तो पहले ही जवाब दे दिया करो न।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार इस तमाम घटना से इसमें डाउट नहीं करती कि ये तमाम कागज वास्तव में साधारण डाक द्वारा नहीं भेजे गए बल्कि केवल इस बात को दिखाने के लिए एन्टर किया गया और जो एक्यूज्ड हैं, जो कागजों को उडाने में इन्ट्रेस्टेड थे उन्होंने और कर्मचारियों ने मिलकर कागजों को उडाया है, वे पोस्ट से गायब नहीं हुए हैं। उन एक्यूज्ड को जिन्होंने पहले कागज उडाया था, उनके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं दायर की गई, पुलिस जांच क्यों नहीं कराई गई?

श्री निरंजननाथ आचार्य : डिपार्टमेन्टल इन्क्वायरी चल रही है उसमें जैसे आप प्रिजम्पशन्स लगाते और इन्फ्रेंसेज निकालते हैं ऐसा मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि डी. ई. को प्रिजुडिस नहीं करना चाहता।

दूसरा प्रश्न आपका है कि ये लोग जिनके विरुद्ध डी. ई. चल रही है, एवीडेन्स को देखते हुए इन्क्रिमिनेट किया जा सकता है या नहीं उस ऑफिस में। अब जहां तक प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी का प्रश्न है, मैंने भी उसको देखा, उससे एवीडेंस इतना प्रतीत नहीं होता कि क्रिमिनल केस में उनको लिंक किया जा सके, फिर भी इस डी. ई. के बाद यदि ऐसा प्रमाण डी. ई. से प्रतीत हो जाय कि इनको उसमें इन्क्लूड करना चाहिये था तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि उसमें इन्क्लूड कर दिया जायगा। अगर सफीशियेंट एवीडेंस रिकार्ड पर इन्क्रिमिनेटिंग सर्कमस्टांशियल एवीडेंस के आधार पर मिल जाती है तो।

श्री अध्यक्ष : श्री हरलाल मीणा।

राजस्थान में फोरेस्ट लेबर कॉन्ट्रेक्ट सहकारी समितियां

२४६. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) राजस्थान में कुल कितनी फोरेस्ट लेबर कॉन्ट्रेक्ट सहकारी समितियां हैं और उनमें से कितने आदिवासियों की समितियां हैं व अन्य जातियों की कितनी हैं और कहां कहां हैं? तहसीलवार बताने की कृपा करें।

(२) कुल सहकारी समितियों में से कितनी समितियां काम कर रही हैं और

(श्री हरलाल मीणा)

कितनी समितियां बेकार हैं ? बेकार रहने का क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि समितियों को कूप समय पर नहीं दिया जाता और जो दिया जाता है वह ऊंची कीमत पर और अच्छा कूप नहीं दिया जाता है जिससे समितियों को लाभ के बजाय नुकसान उठाना पडता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) वर्ष १९६४-६५ में उक्त समितियों में से कितनी समितियों को किस किस चीज का ठेका दिया गया और कितनी समितियों का ठेका रद्द किया गया व ठेका रद्द करने के क्या क्या कारण थे ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उप-मन्त्री, वन (श्री दिनेशराय डांगी): (१) राजस्थान में १११ वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं जिनमें ७१ आदिवासियों की व ४० अन्य जातियों की समितियां हैं। तहसीलवार सूची संलग्न है।

(२) कुल सहकारी समितियों में से ६३ सहकारी समितियां काम कर रही हैं और ४८ अभी कार्य नहीं कर रही हैं। कार्य न करने के कारण समितियों की अरुचि, कूप अलोट करने हेतु प्रस्ताव न भेजना, सन्तोषप्रद कार्य न करना, बकाया रकम होना आदि हैं।

(३) जी नहीं। समितियों को कूप उनकी मांग पर नियमानुसार यथाशीघ्र दिया जाता है। समितियों को जिसके लिए वे प्रार्थना-पत्र पेश करते हैं यथा संभव वे ही दिए जाते हैं। कूप की कीमत गत तीन वर्षों की औसत कीमत के आधार पर निश्चित की जाती है।

(४) वर्ष १९६४-६५ में जिन समितियों को जिस जिस चीज के ठेके दिए गए हैं उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। किसी भी समिति का ठेका रद्द नहीं किया गया।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री हरलाल मीणा : ऑफिसर्स छोटे कूप देने में असमर्थ क्यों रहते हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : आप किस पर्टीक्यूलर केस में चाहते हैं कि बांस का कूप छोटा होना चाहिये। बांस का कूप जब तक बडा नहीं होगा तब तक उत्पादन कम होगा। इसलिए कूप को छोटा करना उचित नहीं।

श्री मोहनराज (पाली): क्या मंत्री महोदय बातएंगे कि पाली जिले के अन्दर फोरेस्ट की कितनी सहकारी समितियां बनी हुई हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : ७.

श्री मोहनराज : क्या इन्हें गत वर्ष मांग के अनुसार ठेके दिए गए थे ? जिन सोसाइटीज ने ठेके मांगे थे; उन सब को दिए गए हैं कि किसी को नहीं दिए गए हैं और नहीं दिए गए तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री दिनेशराय डांगी : जिन्होंने भी मांगे होंगे, उन सबको दिए गए होंगे और यदि नहीं दिए गए तो कोई न कोई वजह होगी।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : जिन्होंने ठेके मांगे थे उनमें से कितनों को दिए गए और जिनको नहीं दिए गए उनके कारण क्या थे ?

वन मंत्री (श्री भीखाभाई) : कुल १११ वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं, जिनमें से ७१ आदिवासियों की व ४० अन्य जातियों की। उनमें से ६३ काम कर रही हैं और ४८ अभी कार्य नहीं कर रही हैं। ९ समितियां ऐसी

(श्री वन मंत्री)
हैं जिनके विरुद्ध बहुत सी बकाया निकल रही हैं। ३६ ने कोई डिमांड नहीं की।

श्री नत्थीसिंह: जिन्होंने डिमांड की है उनमें से क्या आपने सबको ठेके दिए हैं?

श्री भीखाभाई: जी हां। १९६४-६५ के अन्दर जो थी उनमें से ९ को नहीं दिया गया। सूची सदन के मेज पर रख दी गई है।

श्री अलवाराम मीणा (सुमेरपुर-सु.): नहीं देने के क्या कारण हैं?

श्री भीखाभाई: उसके खिलाफ बहुत सी बकाया निकल रही हैं, जिसकी वजह से ठेके नहीं दिए गए।

श्री अलवाराम मीणा: ऐसी समितियां जिनके खिलाफ बकाया भी नहीं है और बराबर पेमेन्ट करते हैं, उनको भी ठेका नहीं दिया गया

श्री भीखाभाई: यह गलत है।

श्री अध्यक्ष: श्री रामानन्द अग्रवाल।

पुलिस अफसरों की व्यक्तिगत सालाना गुप्त रिपोर्ट

२५०. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या राज्य सरकार पुलिस अफसरों की व्यक्तिगत सालाना गुप्त रिपोर्ट (एन्युअल कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट) तयार कराती है? यदि हां, तो ऐसी रिपोर्ट कौन तैयार करता है और यह रिपोर्ट किन आधारों पर तैयार होती है?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की हिदायतें जारी की हुई हैं कि ये सालाना गुप्त रिपोर्ट ठोस तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए और केवल आम असर (General impression) की बुनियाद पर नहीं लिखी जानी चाहिए।

(३) क्या यह सही है कि कुछ पुलिस अफसरों ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन भेजा है कि उनकी सालाना गुप्त रिपोर्ट तथ्यों पर आधारित न होकर केवल आम असर (General impression) के आधार पर लिखी हुई है?

(४) यदि हां तो राज्य सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

उप-मंत्री, गृह (श्री निरंजननाथ आचार्य): जी हां। इनका आधार व रिपोर्ट देने वाले अफसरान राज्य नियमों के अनुसार देते हैं।

(२) रिपोर्ट किन आधारों पर होनी चाहिए आदि के विषय में समय समय पर नियुक्ति विभाग से आदेश होते हैं जो पुलिस विभाग पर भी लागू हैं।

(३) जो खराब रिमार्कस होते हैं वे नियमानुसार जिस व्यक्ति के लिए होते हैं उसको लिखित में भेजे जाते हैं और यदि वह उनके खिलाफ अभ्यावेदन करता है तो उस पर नियमानुसार विचार किया जाता है और जहां रिलीफ दिया जा सकता है दिया जाता है।

(४) इसका उत्तर ३ में दिया जा चुका है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: क्या मंत्रीजी यह बताऐंगे कि यह नियम अभी भी मौजूद है कि कोई भी कॉन्फीडेन्शियल रिपोर्ट केवल जनरल इम्प्रेशन पर आधारित नहीं होनी चाहिये, बल्कि वह स्पेसिफिक इन्सटान्सेज, कोई ऐसी गडबडी की हो, उसके आधार पर होनी चाहिये, ऐसा सर्क्यूलर सरकार का आज भी मौजूद है या नहीं?

श्री निरंजननाथ आचार्य: जी हां।

Page No 22

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो क्या यह सही है कि कुछ ऑफिसर्स की सी० आर० में जो रिमार्क्स दिए गए हैं उनमें इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं किया गया कि वह किन घटनाओं से सम्बन्धित हैं और इस प्रकार की शिकायत कुछ पुलिस ऑफिसर्स ने की हैं कि उनके सी. आर. सिर्फ जनरल इम्प्रेशन के आधार पर तैयार की गई है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह जनरल सवाल है । आप उस व्यक्ति का ही पूछ लें तो मैं बता दूंगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : नाम तो आप भी जान गए होंगे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुझे पता नहीं अभ्यावेदन प्रस्तुत हुआ है या नहीं और आपके कहने के अनुसार कि जनरल इम्प्रेशन ही हुआ, ऐसा मैंने सर्वे नहीं किया । अगर आप व्यक्ति विशेष का नाम बता दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उन लोगों की सी. आर. भी आपने देखी होगी और रिप्रेजेन्टेशन भी देखा होगा । इस सी. आर. में कोई बेसिस नहीं है, सिवाय जनरल इम्प्रेशन पर उन्होंने लिख दिया हो तो क्या यह सही है कि इस तरह के सी. आर. तैयार हुए हैं और उन लोगों ने जो शिकायत की है वह सही है या नहीं ?

(१२ मध्यान्ह)

श्री निरंजननाथ आचार्य : कई प्रश्नों पर ऐसी शिकायतें जनरल इम्प्रेशन पर रिमार्क्स दिये हुए हों तो सही होती हैं । मैंने आर. सी. का रिकार्ड नहीं देखा है कि किन किन ऑफिसर्स ने प्रतिवेदन दिया है और किन किन ऑफिसर्स के खिलाफ ऐसे रिमार्क्स हैं । मैंने उसको देखा नहीं है । इसको करेक्ट करने के लिये बार बार ऑफिसर्स का ध्यान आकर्षित किया है कि जनरल इम्प्रेशन बेस्ड ओनफैक्ट्स होना चाहिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी आपने कहा कि प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं । तो शिकायतें उन्होंने की हैं, उन पर एक्शन नहीं लिया है ? सी. आर. देखी हो, वह जनरल इम्प्रेशन पर बेस्ड है या इन्सट्रक्शन्स पर बेस्ड है तो किसी निर्णय पर तो पहुंचे होंगे । हां कहा है तो आपके पास रिप्रेजेन्टेशन आये होंगे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : जनरल इम्प्रेशन पर ही कहा है । व्यक्ति विशेष के लिये इग्नोरेन्स जाहिर की है । आपने सिद्धांतों की बात कही है उस पर 'हां' कहा है । और यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, जिनके विरुद्ध रिमार्क्स दिये जाते हैं उनको लिख कर भेजा जाता है ताकि उनको ऑपोर्चुनिटी मिल सके कि वे उन पर अपनी बात कहें और उस पर फिर राज्य सरकार विचार करती है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या आप इस बात को डिनाई करते हैं कि इस प्रकार का कोई प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त नहीं हुआ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्रतिवेदन प्राप्त होना संभव है, क्योंकि हम उनको कम्युनिकेट करते हैं कि आपके प्रति ये ये रिमार्क्स हैं । कितने हैं और कोई नहीं है, यह मैं नहीं कह सकता ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पिछले सेशन में यह सवाल भेजा था और इतने दिनों के बाद यह जवाब आया तो स्पेसिफिकेली हां

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
भरें या डिनाई करें कि पुलिस ऑफिसर्स ने इस प्रकार के रिप्रेजेन्टेशन्स्, कम्प्लेन्ट्स भेजीं या नहीं; आपको प्राप्त हुई या नहीं ? जिनमें उन्होंने कहा है कि जनरल इम्प्रेशन पर उनके विरुद्ध रिमार्क्स दिये गये हैं।

श्री अध्यक्ष : यह व्यक्तिशः प्रश्न पर आधारित हो जावेगा। मंत्री महोदय कहते हैं एडवर्स रिमार्कस् को वे संबंधित अधिकारी को कॉम्युनिकेट करते हैं। इसलिये व्यक्तिशः तो यहां चर्चा नहीं हो सकती। जनरल आधार पर इम्प्रेशन के बारे में उन्होंने बता ही दिया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जनरल इम्प्रेशन पर नहीं है, ऐसा मंत्री महोदय ने माना है।

श्री अध्यक्ष : इण्डिविजुअल केस होगा तो एडवर्स रिमार्कस पर प्रतिवेदन किया होगा। व्यक्तिशः के बारे में अभी बहस न करें।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : यह स्पष्ट नहीं होता है कि सी० आर० पर कोई चीज स्पष्ट है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : बहुत सर्क्युलर्स जारी किये हुए हैं, यह मंत्री महोदय ने कहा है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : आधार क्या क्या होंगे ? जनरल इम्प्रेशन न हो, लेकिन क्या क्या चीज होनी चाहिये, क्या क्या खाने हैं उसके ?

श्री अध्यक्ष : श्री जोधसिंह।

बेड़ गांव के सांडों की चराई की व्यवस्था

२५१. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवा) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि गिरवा तहसील में बेड़ के जंगल में सांडों (ऊंटों) की चराई के लिए बन्द जंगल का परमिट बेड़ गांव वालों को जिनके पास १५०० ऊंट (सांड) हैं, नहीं दिया गया और दूसरी ढाणियों के लोगों को दे दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो बेड गांव के सांडों की चराई की क्या व्यवस्था है ?

उप-मंत्री, वन (श्री दिनेशराय डांगी) :
(१) जी हां।

(२) बेड़ गांव वाले अपनी सांडें वर्ष के कोई ११ माह तक धरियावद रैंज के बनों में चराते हैं। इसके अतिरिक्त अपने गांव महीने भर के लिये आते हैं, पर इन्हें चराने का हक धरियावद में ही दिया गया है।

श्री जोधसिंह चौहान : क्या यह बात सही नहीं कि बेड़ गांव वाले पहले वहीं चराते थे और अब उनको हक नहीं दिया जा रहा है ?

श्री दिनेशराय डांगी : धरियावद के अन्दर ही चराते हैं। महीने भर के लिये वहां आते हैं।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेडा) : यह जंगल कब कटा है ?

श्री जोधसिंह चौहान : उन गांव वालों की डिमांड वाजिब है। उनको अधिकार नहीं देते हैं चराने का, दूसरे गांव वालों को दे देते हैं। लिखित रिपोर्ट उन्होंने भेजी है कि हम अब तक चराते थे। सरकार से निवेदन करूंगा कि जब वे वहां के रहने वाले हैं और अपना हक मांगते हैं तो उनको अपना हक देना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत।

बीकानेर पब्लिक स्कूल पर सालाना खर्च

२५२. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत** (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) बीकानेर पब्लिक स्कूल पर सालाना खर्च कितना होता है ? विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

(२) क्या यह सही है कि अन्य पब्लिक स्कूलों की तुलना में वहां विद्यार्थियों की संख्या कम है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) क्या यह सही है कि इस स्कूल में उत्तम स्टाफ नहीं है ?

(४) क्या यह भी सही है कि यहां के स्टाफ को स्पेशल ग्रेड अभी तक नहीं दी गई है ?

(५) क्या यह भी सही है कि इस स्कूल के अध्यापकों के स्थानान्तरण जल्दी जल्दी हो जाते हैं ?

(६) क्या सरकार इस स्कूल की कार्य-कुशलता बढ़ाने के लिये इसे ओटोनोमस बनाने पर विचार करेगी ?

(७) सरकार इसे दूसरे पब्लिक स्कूलों के समान लोकप्रिय, सुसंगठित और सुव्यवस्थित बनाने के लिये क्या सुधार करने का विचार रखती है ?

उप-मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) सादुल पब्लिक स्कूल, बीकानेर में गत वर्ष १,३६,७०२) रुपया खर्च किया गया। पिछले वर्ष छात्रों की संख्या १२२ थी और इस वर्ष छात्रों की संख्या १३६ है।

(२) जो हां। यह सही है कि अन्य पब्लिक स्कूलों की तुलना में यहां छात्रों की संख्या कम है क्योंकि:

(अ) यह स्कूल राजस्थान के ऐसे क्षेत्र में है जहां लोग अपने बालकों को भेजना सुविधाजनक नहीं समझते।

(ब) निर्धन परन्तु मेघावी छात्रों के लिये छात्रवृत्तियों का अभाव।

(३) सत्य नहीं है। स्टाफ ठीक ठीक है।

(४) सत्य है। अब तक पब्लिक स्कूल के लिये निर्धारित विशष ग्रेड में अध्यापकों की नियुक्ति नहीं हुई है। ये पोस्टें आइसोलेटेड ग्रेड में हैं। जिसमें नियुक्ति करने के बाद अगर कोई व्यक्ति उस पद पर फिट नहीं होता तो उसे बदला नहीं जा सकता। जनरल केडर में से चुनींदा अध्यापक लगाये जाते हैं ताकि अगर उनमें से कोई उस पद पर फिट नहीं हो तो उसे बदला भी जा सकता है, यह सुविधा-जनक है; अतः जनरल केडर में से चुने हुए अध्यापकों को स्पेशल पे देकर नियुक्ति करना ठीक समझा गया।

(५) सही नहीं है। शिक्षा विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण होता है। दूसरे ऐसे पब्लिक स्कूलों में स्थानान्तरण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(६) जहां तक शैक्षणिक व्यवस्था का प्रश्न है यह एक ओटोनोमस बोडी है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(७) जी हां। अन्य पब्लिक स्कूलों की तरह इसमें भी आवश्यक सुधार करने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, ताकि अधिक विद्यार्थी इसमें भरती होने के लिये आकर्षित हो सकें।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : दूसरे पब्लिक स्कूलों में अध्यापक स्पशेल ग्रेड में होते हैं या नहीं ? क्या नियम होते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उन्हीं के अध्यापक होते हैं। वे वहीं आबाद रहते हैं। पर्सनल इन्ट्रेस्ट उनका रहता है। उनका स्थानान्तरण नहीं होता है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : बीकानेर के पब्लिक स्कूल में वे ही नियम लागू क्यों नहीं होते ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : उस पर विचार कर रहे हैं कि रखना है पब्लिक स्कूल तो अच्छे ढंग से रखना है, नहीं तो नहीं रखना है और समाप्त करना है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : पब्लिक स्कूलों के बारे में सरकार की नीति क्या है ? अनिवार्य करने की है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह साधनों के ऊपर है। सरकार इस स्थिति में नहीं है कि हाइट एलिफेन्ट्स चलें हैं जिनको निभाना चाहते हैं। जनता के लिये कुछ न कुछ बढ़ावा दें तो बढ़ाना चाहते हैं। सरकार पब्लिक स्कूल आरम्भ करे और निर्माण करे, ऐसी स्थिति नहीं है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : मौजूदा पब्लिक स्कूल हैं उनको उन्हीं नियमों के अनुसार चलाना चाहते हैं या नहीं ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : सरकार स्कूलों में डिस्क्रिमिनेशन की पोलिसी को खत्म करने के ऊपर विचार करेगी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या बीकानेर के पब्लिक स्कूल में विद्यार्थियों की फीस जयपुर के पब्लिक स्कूलों से तीन गुना हैं ?

श्री बृजसुन्दर शर्मा : जयपुर में सरकारी पब्लिक स्कूल कहां है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : सैन्ट जेवियर वगैरह हैं।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : माननीय सदस्य ! पब्लिक स्कूल नहीं हैं।

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह जो स्टेट का पब्लिक स्कूल है, इसमें फीस की जो भी दरें हैं अब भी राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि उनमें परिवर्तन करे ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इतनी अच्छी नहीं है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : डे स्कोलर पर ७५), ८०) रुपया एक महीने की फीस आती है।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : आपने बताया कि ओटोनोमस हो तो किस रूप में हो ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पब्लिक कमेटी, गवर्निंग कौंसिल।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत : नियुक्ति भी वही समिति करती है तो ओटोनोमस किस प्रकार हुआ ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : वह भी दोष पूर्ण है। पूरे अधिकार नहीं हैं और न अधिकार

(श्री निरंजननाथ आचार्य)
लेना चाहते हैं क्योंकि सारा भार उन पर पड़ जाता है ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : पब्लिक स्कूल्स हैं जिनमें आधुनिक ढंग से पढ़ाई होती है, वहां पर काम चलाऊ टीचर्स से काम नहीं चल सकता, वैसी हालत में या तो इन स्कूलों को चलाना चाहते हैं तो एफीशियेन्ट स्टाफ आदि का प्रबन्ध होना चाहिये और पब्लिक स्कूल चलाने के जो नियम हैं उसके अनुसार चलाये जाने चाहिये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : हम टीचर भेजते हैं लेकिन जैसा व्यवहार होना चाहिये नहीं होता, इसीलिये जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने कहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये ।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : तो आप मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति क्यों नहीं देते हैं ।

प्रश्न संख्या २५३

श्री अध्यक्ष : Next श्री हरिराम धारू ।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई ।

सांचोर तहसील की राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला

२५४. **श्री रघुनाथ बिश्नोई** (सांचोर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि सांचोर तहसील में सिर्फ एक ही राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला है और उसमें विज्ञान एवं वाणिज्य के विषय अभी तक नहीं खोले गये हैं ?

(२) क्या यह भी सत्य है कि उक्त पाठशाला में सन् १९६५-६६ के सत्र में विज्ञान का विषय खोलने का सरकार का निर्णय हो चुका है ?

(३) क्या यह भी सत्य है कि सांचोर राजकीय उच्चतर माध्यमिक पाठशाला का भवन बिल्कुल अपर्याप्त है ? क्या यह भी सत्य है कि सिर्फ भवन की कमी के कारण ही आज तक विज्ञान एवं वाणिज्य के विषय उपरोक्त स्कूल में नहीं खोले जा सके ? अगर हां, तो ऐसे पिछड़े क्षेत्र में शिक्षा की प्रगति के लिये सरकार पर्याप्त पाठशाला भवन का कब तक निर्माण कर देगी और कब तक विज्ञान का शिक्षण प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

उप-मंत्री शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, यह सत्य है । विज्ञान विषय इस वर्ष से चालू कर दिया गया है । वाणिज्य विषय अभी तक नहीं खोला गया है ।

(२) विज्ञान विषय इस वर्ष से चालू कर दिया गया है ।

(३) जी हां, भवन अपर्याप्त है। विज्ञान व वाणिज्य विषय केवल भवन की कमी के कारण ही नहीं बल्कि इसलिये भी कि वहां छात्र संख्या अपर्याप्त थी, नहीं खोले जा सके । अब छात्र संख्या बढ़ रही है, अतः इस वर्ष विज्ञान विषय खोल दिया गया है । आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता कि कब तक भवन की कमी पूर्ण कर दी जायगी ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आपने लड़कों की संख्या की कमी बतायी, इसको मैं असत्य मानता हूं । जालोर जिले में सब से अधिक लड़के इसी स्कूल में हैं। इसी साल विज्ञान की

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
कक्षा चालू हुई है, पहले तो यह लड़कों का प्रश्न नहीं आया ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप कितने लड़कों की संख्या बताते हैं ?

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप बतलायें कितने लड़के चाहिये ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ११ वीं में १६, ९ वीं में ७२, ८ वीं में ४२, ७ वीं में ९१, ६ वीं में १०६ ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : तो इसके नहीं खोलने का एक मात्र कारण यह है कि वहां भवन की कमी है । तो मैं यह जनना चाहता हूं कि प्राइवेट तौर पर चन्दा इकट्ठा करके और पंचायत समिति ने पैसा दिया है, लेकिन पी० डब्लू० डी० के नियमानुसार वहां भवन बनाने की समय पर इजाजत नहीं मिलती है भवन की कमी है, वैसी हालत में शिक्षा विभाग प्रयत्न करके दिलचस्पी लेकर के प्राइवेट कमेटी की तरफ से जो भवन बनाया जाय उसको पी० डब्लू० डी० के अन्तर्गत दे दे ?

शिक्षा मंत्री (श्री बृजसुन्दर शर्मा) : जहां तक भवन बनाने का संबन्ध है मैंने इसके बारे में जल्दी ही मीटिंग बुलाने की कोशिश की है । उसमें पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर और उनके अधिकारियों से मिल-जुलकर विचार करेंगे कि प्राइवेट संस्थायें भवन बनाकर दें तो पी० डब्लू० डी० कब ले सकती है । अब तक तो पी० डब्लू० डी० सब-डिवीजनल हैड क्वार्टर के भवनों की भी जिम्मेदारी नहीं लेती है । पी० डब्लू० डी० के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक भवन बनाकर के उनको संभला दें ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : करीब २५-३० हजार रुपये मौजूद हैं । विज्ञान कक्ष खोलने के लिए एक सेठ द्वारा आश्वासन दिया गया है, लेकिन इसमें बात इतनी ही है कि वह भूमि जहां पर यह कक्ष बनाना है वह सरकार की भूमि है । बिना उसकी इजाजत के वह कक्ष बन नहीं सकता । लड़के अभी बाहर बैठते हैं, शिक्षा विभाग दिलचस्पी लेकर कमेटी के जरिये भवन बनवा दें फिर पी० डब्लू० डी० को हैंड ओवर कर दे ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आप जैसा फरमायेंगे उसी के अनुसार इनीशियेटिव ले लेंगे ।

किराये के भवनों में राजकीय विभागों के कार्यालय

२५५. **श्री मानिकचन्द सुराणा** (कोलायत) : क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर में कितने और कौन कौन से राजकीय विभाग किराये के निजी भवनों में हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(२) इन विभागों को प्रति वर्ष कुल कितनी रकम किराये के रूप में चुकानी पड़ती है ?

(३) किराये के ऐसे मकानों में कितने मकान राजकीय कर्मचारियों के हैं ?

(४) इन मकानों के मालिक कौन कौन राजकीय कर्मचारी सरकारी भवनों का उपयोग कर रहे हैं ?

(श्री मानिकचन्द सुराणा)

(५) क्या इन अधिकारियों ने मकान बनाने के लिये राज्य सरकार से ऋण प्राप्त किया था ?

(६) क्या राजकीय ऋण इस शर्त पर दिया गया था कि ये भवन निजी उपयोग के लिये बनाये जावेंगे और क्या इनका किराये पर दिया जाना नियम-विरुद्ध है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : अध्यक्ष महोदय, इसको स्थगित करने के लिये मैं ने प्रार्थना की थी ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये कृपया परिशिष्ट २ देखिये) ।

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

कुशलगढ हाई स्कूल में विज्ञान के विषय

२३५. **श्री हीराभाई** (कुशलगढ) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कुशलगढ़ हाई स्कूल में विज्ञान और बाइलोजी विषय कब से पढ़ाये जाते रहे हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष से ये विषय इस स्कूल में पढ़ाये जाने बन्द कर दिये गये हैं ?

(३) इन विषयों के कितने विद्यार्थी हैं और उनके लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ?

उत्तर

(१) विज्ञान १९५८-५९ से तथा बाइलॉजी सन् १९६४-६५ से ।

(२) जी नहीं ।

(३) इन विषयों के लिये निम्नलिखित विद्यार्थी हैं :—

कक्षा	फिजि-क्स	केमिस्ट्री	गणित	बाइ-लॉजी
दसवीं कक्षा	१८	१८	१०	८
नवीं कक्षा	२८	२८	१८	१०

इनको पढ़ाने के लिये एक अध्यापक, प्री-यूनिवर्सिटी पास विज्ञान व गणित के लिये, दूसरा अध्यापक विज्ञान व बाइलॉजी, तीसरा अध्यापक टी. डी. सी. द्वितीय वर्ष पास फिजिक्स, केमिस्ट्री व गणित का है ।

जयसमन्द बांध की टेल व सिंचाई के लिए पानी

२३८. **श्री देवीलाल** (सराडा-सु.) : क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :—

(१) उदयपुर जिले में जयसमन्द बांध की झलारा व बसी शाखाओं के टेल में कौन कौन से गांव हैं ?

(२) इन टेल के गांव की भूमि में १९६४ की रबी की फसल में कितनी मर्तबा पानी दिया गया तथा हैड के ग्राम में कितनी दफा ?

(३) उपरोक्त दोनों शाखाओं के टेल के ग्राम में सबसे पहली बार उस फसल के लिये किस दिन पानी दिया गया ?

(४) क्या यह सही है कि उपरोक्त दोनों शाखाओं के टेल के ग्रामों में समय पर पानी नहीं देने से फसलें नहीं पकीं फिर भी पूरी पिलाई वसूल की जा रही है ?

(श्री सिंचाई मंत्री)

उत्तर

(१) उदयपुर जिले में जयसमन्द की झलारा शाखा की टेल में झलारा व मांडली नामक गांव स्थित है व बसी शाखा की टेल में आमलोदा, बारा, खिरवाडा नामक गांव स्थित हैं ।

(२) टेल के गांवों में दो दफा पानी दिया गया तथा हैड के ग्रामों में चार दफा ।

(३) झलारा नहर की टेल के गांवों में दिनांक ८-११-६४ को व बसी नहर की टेल के गांवों में दिनांक १-११-६४ को सब से पहले पानी दिया गया ।

(४) इस प्रकार की कोई शिकायत विभाग के ध्यान में नहीं आई । यदि किसी प्रकार का नुकसान हुआ होगा तो उसकी उचित कार्यवाही हेतु जांच कर ली जावेगी ।

भावी हायर सैकण्डरी स्कूल

२३९. **श्री चन्द्रसिंह बर्फा** (बिलाडा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जोधपुर जिले में भावी हायर सेकन्ड्री स्कूल किस तारीख से चालू की गई ?

(२) उस तिथि के पश्चात् अब तक कितने मुख्याध्यापकों की नियुक्ति वहां की गई ? क्या यह सही है कि उनका स्थानान्तरण अल्पकाल में ही हुआ ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) इसी पाठशाला में कितने सहायक अध्यापक तीन साल की अधिक अवधि से कार्य करते हैं ? नियमानुसार उनका स्थानान्तरण कब तक ड्यू था और क्यों नहीं हो रहा है ?

(४) इस पाठशाला से इस अवधि में मुख्याध्यापक ने कितने सहायक अध्यापकों को अपने यहां से बिना अधिकार स्पेयर किया ? क्या ऐसा किया जाना अनाधिकृत था ? यदि हां, तो इस प्रकार अनाधिकृत कार्यों के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है तथा भविष्य के लिये इसकी स्थायी व्यवस्था हेतु क्या आदेश जारी कर रही है ?

(५) इस पाठशाला में वैकल्पिक विषय खोलने का कब तक सरकार विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जूनियर हायर सैकन्डरी स्कूल, भावी, जिला जोधपुर जुलाई १९६१ से चल रही है ।

(२) उपरोक्त स्कूल में निम्न प्राधानाध्यापकों ने जितने समय तक काम किया निम्न प्रकार से हैं; उनके स्थानान्तरण प्रशासनिक दृष्टि से किये गये :—

(१) श्री एम. के. माथुर-१५-७-६१ से ६-७-६३ ।

(२) श्री बी. के. मित्तल-१६-७-६३ से ११-७-६४ ।

(३) श्री महेश दत्त-१३-७-६४ से २०-७-६५ ।

(४) श्री राजेश्वर ओझा-५-७-६५ से कार्य कर रहे हैं ।

(३) हायर सैकन्डरी स्कूल, भावी में निम्नलिखित अध्यापक ३ वर्ष की अवधि से अधिक कार्य कर रहे हैं:—

(१) श्री होमपालसिंह ।

(२) श्री मूलसिंह, पी. टी. आई. ।

Page No 30

(श्री शिक्षा मंत्री)

ऐसे कोई आदेश नहीं हैं जिससे ३ वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर स्थानान्तर हो जाना आवश्यक ही हो। यदि किसी का कार्य तथा व्यवहार सन्तोषजनक हो तो उसे तीन वर्ष से अधिक भी एक शाला में रखा जा सकता है।

(४) उपरोक्त शाला में इस अवधि में श्री मूलाराम व श्री वृजलाल, इन दो अध्यापकों को प्रधानाध्यापक ने बिना अधिकार स्पेयर किया। दोनों को ही प्रधानाध्यापक ने परिस्थितियों के कारण स्पेयर किया था, जिसको निरीक्षक ने उचित समझ कर मान लिया। यदि प्रधानाध्यापक का कार्य उचित नहीं समझा जाता है तो नहीं माना जाता। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई।

(५) इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा विज्ञान के अलावा और कोई नया विषय चालू नहीं किया जायगा। जब वैकल्पिक विषय चालू करने की योजना होगी तो दूसरे स्कूलों के साथ साथ इस पर भी विचार किया जायगा।

आयुर्वेद कालेज, जयपुर का छात्रावास

२४०. **श्री गोविंदसहाय** (गंगापुर): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) इस वर्ष आयुर्वेद कॉलेज जयपुर की छात्र संख्या कितनी है तथा उसके छात्रावास में रहने के लिये कितने छात्रों की व्यवस्था है?

(२) क्या यह सही है कि आयुर्वेद कॉलेज जयपुर में छात्रों के रहने की समुचित व्यवस्था नहीं है? यदि हां, तो इतने समय बाद भी अन्य छात्रावास न बनाने का क्या कारण है?

(३) क्या यह सही है कि इस वर्ष आयुर्वेद कॉलेज, जयपुर का छात्रावास बनाने के लिये धनराशि स्वीकृत हुई है? यदि हां, तो कितनी?

उत्तर

(१) जयपुर आयुर्वेदिक कॉलेज में इस वर्ष छात्र संख्या ३२५ है तथा छात्रावास में रहने की व्यवस्था केवल ४० की है।

(२) जी हां, अर्थाभाव के कारण अन्य छात्रावास नहीं बन सके हैं।

(३) जी नहीं।

चूरू जिले की एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल योजना

२४६. **श्री मोहरसिंह** (चूरू): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) चूरू जिले में कितने एक्सप्लोरेटरी ट्यूब वैल बनवाये जाने की योजना है? सन् १९६३-६४ एवं १९६४-६५ में चूरू जिले में कितने ऐसे कुए कहां कहां बनाये गये हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) ऐसे कुए बनाने पर कितने रुपये खर्च किये गये?

(३) चूरू जिले के लिये निर्धारित बाकी कुए कब तक बनाये जायेंगे और कहां कहां बनाये जायेंगे? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राजस्थान के ७ जिलों में कुल २५० ट्यूब वैल बनाये जावेंगे जिनमें चूरू

Page No 31

(श्री कृषि मंत्री)

जिला भी सम्मिलित है । दिनांक १-६-६५ तक चूरू जिले में कुल ११ ट्यूब वैल निर्माण किये गये हैं, जिनमें एक को बन्द कर दिया गया है । सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(२) अप्रेल ६५ तक इस योजना पर कुल खर्च ३७,८६,०१३ रुपये जैसा कि समन्वेषी नल कूप संस्था ने सूचित किया है, खर्च हुये । जिले वार या प्रत्येक नल कूप पर अलग अलग खर्चा विदित नहीं है ।

(३) निर्धारित बाकी कुए यथा सम्भव समय में बनाये जावेंगे । चूरू जिले में जहां जहां पर नल कूप बनाये जाने के लिये स्थान प्रस्तावित हैं । उसकी सूची सदन की मेज पर रखवा दी गई है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नियुक्तियों में हरिजन मेहतर वर्ग के लिये सुरक्षित स्थान

२५३. **श्री हरिराम धारू** (सिवाना-सु.) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार को विदित है कि राजकीय विभागों में नियुक्तियों में जो १२-१।२ पर्सेन्ट का रिजर्वेशन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिये है उसके अधीन नियुक्ति हरिजन मेहतरों की संख्या नगण्य है ? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार हरिजन मेहतर वर्ग के लोगों को इस रिजर्वेशन में भी प्राथमिकता दिलाने के लिए कोई विशेष कार्यवाही व प्रयत्न करेगी ?

उत्तर

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों के लिए चतुर्थ श्रेणी सेवा में १५ प्रतिशत और अन्य सेवाओं में १२-१।२ प्रतिशत रिक्त स्थान सुरक्षित रखे गये हैं । इन सुरक्षित स्थानों में हरिजन महतरों की क्या है इसके बारे में निश्चित जानकारी नहीं है । कारण यह है कि सुरक्षित स्थान संख्या में अलग अलग वर्गों के लिए कोई पृथक् अनुपात निश्चित नहीं किया गया है । इन जातियों के किसी भी वर्ग का व्यक्ति सुरक्षित कोटे में स्थान पाने का अधिकारी है । सरकार उचित नहीं समझती कि हरिजन महतरों के लिए सुरक्षित कोटे में प्राथमिकता दी जाय ।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

भाखरा नहर योजना

१०९. **श्री केदारनाथ** (गंगानगर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) भाखरा नहर योजना के खर्चे में राजस्थान सरकार की देनदारी कितनी है ?

(२) भाखरा नहर से राजस्थान में कुल कितना क्षेत्र सिंचित है ?

(३) इस क्षेत्र में कुल कितनी एकड़ भूमि की बिक्री हुई और उससे कितनी कीमत मिली ?

(४) इस क्षेत्र में अब तक राजस्थान सरकार को सरकारी ठेके से कितनी आमदनी हुई ?

(५) नाजायज काश्त के तावान से इस क्षेत्र में कितनी आमदनी हुई ?

(श्री केदारनाथ)

(६) मण्डी योजना के प्लॉटों की बिक्री में कितना रुपया मिला ?

(७) इस क्षेत्र में १९५४ से १९६५ तक अलग अलग वर्षों में कितना नहरी आबियाना मिला ?

(८) इस क्षेत्र के भूमिहीनों को दी गई जमीन से कुल कितना रुपया मिलेगा ? उनको कितनी जमीन दी गई है ?

उत्तर

(१) राजस्थान राज्य में भाखरा नहरों का पूरा खर्च एवं पंजाब की नहरों पर प्रायः क्यूसेक्स मील के हिस्सों के अनुपात में है।

(२) करीब ६,२०,००० एकड़।

(३) ये आंकड़े राजस्व विभाग से संबंध रखते हैं, सिंचाई से नहीं।

(४) ये आंकड़े राजस्व विभाग से संबंध रखते हैं, सिंचाई से नहीं।

(५) ये आंकड़े राजस्व विभाग से संबंध रखते हैं, सिंचाई से नहीं।

(६) ये आंकड़े राजस्व विभाग से संबंध रखते हैं, सिंचाई से नहीं।

(७) सूची संलग्न है।

(८) ये आंकड़े राजस्व विभाग से संबंध रखते हैं, सिंचाई से नहीं।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिये)

तहसील मालपुरा के ग्राम तिलांजू में चिकित्सा की अव्यवस्था

१०७. श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) श्री राधाकृष्ण (कोटा) गोयल : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील मालपुरा के ग्राम तिलांजू के अधिकतर लोग किसान वर्ग के तथा अनुसूचित जाति के हैं और उनके लिए चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है ?

(२) क्या यह सही है कि इस ग्राम के लोगों ने तथा पंचायत ने यहां एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की मांग की है ?

(३) यदि हां, तो क्या सरकार इस ग्राम में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों, जबकि यहां की आबादी १५०० है ?

उत्तर

(१) यह सही है कि तहसील मालपुरा के तिलांजू ग्राम में अधिकतर आबादी किसानों व अनुसूचित जातियों की है। इस ग्राम में तो औषधालय नहीं है, परन्तु योजना अनुसार मालपुरा तहसील में चिकित्सा व्यवस्था पर्याप्त है।

(२) इस विभाग को इसकी जानकारी नहीं है।

(३) तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोई विचार नहीं है। मालपुरा तहसील में योजना अनुसार पर्याप्त व्यवस्था है।

Page No 33

जोधपुर जिले के स्कूलों में क्राफ्ट विषय

१०८. **श्री चन्द्रसिंह बर्मा** (बिलाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जोधपुर जिले में किन किन पाठशालाओं में क्राफ्ट (टेलरिंग) का विषय पढ़ाने का प्रावधान रखा गया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या इन सभी पाठशालाओं में क्राफ्ट के अध्यापक हैं ? यदि नहीं, तो इस विषय में छात्रों को पढ़ाने की क्या व्यवस्था है ?

(३) क्या यह सही है कि डिप्लोमा होल्डर अध्यापकों को अन्य पाठशालाओं में लगा रखा है और जहां क्राफ्ट का विषय है वहां पर कोई डिप्लोमा होल्डर अध्यापक नहीं है ?

उत्तर

(१) जोधपुर जिले में केवल राजकीय बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में ही क्राफ्ट (टेलरिंग) का विषय पढ़ाये जाने का प्रावधान रखा गया है।

(२) इन राजकीय पाठशालाओं में क्राफ्ट्स अध्यापक कार्य कर रहे हैं तथा इन स्कूलों में क्राफ्ट्स की पूर्ण व्यवस्था है और जहां स्थान रिक्त होता है वहां उसकी पूर्ति कर दी जाती है।

(३) जिस शाला में क्राफ्ट विषय है और डिप्लोमा होल्डर अध्यापक की आवश्यकता है वहां पर ऐसे अध्यापक कार्य कर रहे हैं तथा नियमानुसार क्राफ्ट्स पढ़ाई जाती है किन्तु जो अध्यापक क्राफ्ट की योग्यता के अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता भी रखते हैं और जिन्हें क्राफ्ट अध्यापक के रिक्त स्थान न होने के कारण क्राफ्ट्स अध्यापक नहीं लगाया जा सका है वह अन्य शालाओं में सहायक अध्यापक के स्थान पर भी कार्य कर रहे हैं।

आमेर तहसील के गांव चतरपुरा में मिडिल स्कूल

१०९. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु.) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि आमेर तहसील के ग्राम चतरपुरा में मिडल स्कूल है और उसके एक मील के क्षेत्र में ही जैरामपुरा में भी मिडल स्कूल है ? यदि हां, तो एक ही पंचायत में दो मिडल स्कूल क्यों हैं ?

(२) क्या यह सही है कि अनेक पंचायतों में एक भी मिडल स्कूल नहीं है ?

उत्तर

(१) जी हां, चतरपुरा का मिडिल स्कूल तो विभाग की सिफारिश पर खोला गया तथा जैरामपुरा के लिये वहां की जनता ने २५००) रु० खर्च के जमा कराने का आश्वासन दिया।

(२) जी हां।

कन्या शालायें एवं छात्राओं की संख्या

११०. **श्री अब्दुल जब्बार खां** (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा कपासन में कन्या शालाएं कितनी कितनी हैं ?

(२) उक्त शालाओं में छात्राओं की संख्या क्या क्या है ?

(श्री अब्दुल जब्बार खां)

(३) क्या यह सही है कि कपासन में माध्यमिक कन्या शाला को इसी वर्ष अपग्रेड किया गया है जबकि वहां छात्राओं की संख्या निम्बाहेड़ा से कम है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(१) निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ तथा कपासन में निम्नलिखित कन्या शालाएं हैं :—

१. निम्बाहेड़ा—

(१) माध्यमिक कन्या शाला, निम्बाहेड़ा,

(२) प्राथमिक कन्या शाला, निम्बाहेड़ा,

२. चित्तौड़गढ़—

(१) उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, चित्तौड़गढ़,

(२) प्राथमिक कन्याशाला, चित्तौड़गढ़।

३. कपासन—

(१) उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, कपासन,

(२) प्राथमिक कन्या शाला, कपासन।

उक्त शालाओं में छात्राओं की संख्या निम्न प्रकार से है —

नाम शाला	छात्र सं०
माध्यमिक कन्या शाला, निम्बाहेड़ा	४६६
प्राथमिक कन्या शाला, निम्बाहेड़ा	१५२
उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, चित्तौड़गढ़	२३०
प्राथमिक कन्या शाला, चित्तौड़गढ़ शहर	२५१
प्राथमिक कन्या शाला, चित्तौड़ किला	७०
उच्च माध्यमिक कन्या विद्यालय, कपासन	६५
प्राथमिक कन्या शाला, कपासन	२२३

(३) जी नहीं, इस वर्ष नहीं किया गया।

नहर बंध कालख पर पुलिया का निर्माण

१११. **श्री अमरसिंह (दूदू)** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या नहर बंध कालख पर गांव गोपालपुरा के पास सरकार गांव वालों के लिये रास्ते की महत्ता को देखते हुए पुलिया बनाने का विचार रखती है ?

(२) अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) प्रश्न नहीं उठता।

नागोर जिले में कत्ल के मामले

११२. **श्री गंगासिंह** (जायल) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

(१) नागौर जिले में १९६० से जुलाई, १९६५ तक कितने कत्ल (murders) हुए ? थानेवार बतलाइये ।

(२) ऐसे कितने कत्ल के मुकदमे हैं जिनमें मुलजिमान की अभी तक जानकारी नहीं हो सकी है ?

उत्तर

(१) कुल १०२ कत्ल के अभियोग दर्ज हुए । थानेवार सूची संलग्न है ।

(२) ३३ अभियोगों में अभी तक अपराधियों का पता नहीं लग पाया है ।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिये)

राज्य के निलम्बित पुलिस सिपाही एवं ऑफिसर

११३. **श्री विजयसिंह झाला** (नाथद्वारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राज्य में अभी कितने पुलिस सिपाही व कितने पुलिस अधिकारी तीन साल से अधिक समय से निलम्बित हैं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

उत्तर

राज्य में अभी कुल २२ पुलिस अधिकारी तथा सिपाही तीन वर्ष से अधिक अवधि से निलम्बित हैं । जिलेवार सूची इस प्रकार है :—

अजमेर	२
जयपुर	८
सवाई माधोपुर	१
सीकर	१
बाड़मेर	२
जोधपुर	१
बूंदी	४
रेलवे पुलिस	३
	२२

(१२.५ म.प.)

सूखे एवं अकाल की स्थित संबंधी शासकीय वक्तव्य विषयक

श्री अध्यक्ष : सदन की कार्यवाही प्रारंभ होने से पहले राजस्थान के सूखे एवं अकाल की स्थिति के बारे में सरकार की ओर से वक्तव्य दिया जायगा ।

हिन्डौन नगरपालिका के हरिजन कर्मचारियों को तीन महिने से वेतन न मिलने संबंधी स्थगन-प्रस्ताव

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन सु०) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी तीन महीने पहले हिन्डौन नगरपालिका कर्मचारियों ने जिसमें करीब ४५ हरिजन महतर कर्मचारी भी शामिल हैं अपनी मांगों को लेकर म्युनिसिपैलिटी के सामने हड़ताल की थी । आज उस हड़ताल को खत्म हुए करीब दो-डेड महीना हो चुका है । उस समय उनको आश्वासन दिया गया था कि तुम्हारी मांगों को पूरा किया जायगा । लेकिन आज तीन महीने का समय हो गया, उन लोगों को अपना वेतन भी नहीं मिल रहा है । वे बेचारे गरीब परेशान हैं । वे आज एक एक दाने के लिये मोहताज हो रहे हैं । उनके साथ म्युनिसिपैलिटी के कुछ अधिकारी अन्याय

(श्री श्रवणलाल)

कर रहे हैं उनके अन्याय के कारण उनके बाल बच्चे भूख के मारे बिलबिला रहे हैं। आज जिस प्रकार से हमारे यहां के हरिजन कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, उनको तीन महीने से वेतन नहीं मिल पा रहा है, वेतन के लिये हाय हाय कर रहे हैं लेकिन म्युनिसिपल अधिकारी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके जरिये माननीय मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि जिन कर्मचारियों को तीन महीने से वेतन नहीं मिल रहा है आप इस प्रकार का आश्वासन सदन में देने की कृपा करेंगे कि उनको जल्दी ही वेतन दिला दिया जायगा। कुछ अधिकारी जिसमें म्युनिसिपल चेयरमैन भी सम्मिलित हैं जो पे दी जाने वाली है उसमें रोक लगा रहे हैं। एडवान्स भी जो एक महीने का दिया जाने वाला था वह भी नहीं दिया जा रहा है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि वहां के कर्मचारियों की ऐसी हालत हो गई है कि वे एक एक दाने के लिये तरस रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय उनको वेतन दिलवाने की जल्दी जल्दी कोशिश करेंगे।

श्री अध्यक्ष : स्वायत्त शासन मंत्रीजी से निवेदन कर रहे हैं।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हिन्डौन म्युनिसिपेलिटी के अन्दर यह हुआ था कि बीच के अन्दर वहां म्युनिसिपेलिटी के खजाने में पैसा नहीं था इसलिये तनख्वाह देने में गड़बड़ हुई। वहां पर जानकारी के लिये जब यहां से आदमी भेजा गया तो वहां पर स्ट्राइक चल रही थी। वह स्ट्राइक तनख्वाह को लेकर चल रही थी कि उनका वेतन बढ़ाया जाय, लेकिन म्युनिसिपेलिटी के पास रिसोर्सेज नहीं थे इसलिये वह तनख्वाह नहीं बढ़ा सकी। उसके बाद यह हुआ कि म्युनिसिपेलिटी के हरिजन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल कर दी गई। हड़ताल के बारे में हमारे पास इन्फोर्मेशन भी आई है। उस हड़ताल में यह भी अन्दाज लगाया जाता है कि एल० डब्लू० ओ० का हाथ था जिसका कि वहां से ट्रान्सफर कर दिया गया था। इस मामले की जांच की जा रही है। अब कर्मचारियों के बीच में आपस में झगडा तय हो गया है और जैसी कि मेरे पास रिपोट आयी है उनको वहां तनख्वाह भी बांटी जा चुकी है।

श्री श्रवणलाल : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि माननीय मंत्रीजी जो यह कह रहे हैं कि वहां तनख्वाह बांटी जा चुकी है, गलत है। अगर मंत्री महोदय यह साबित कर दें कि तनख्वाह बंट चुकी है तो मैं सदन से इस्तीफा दे दूंगा, अन्यथा वे देने के लिये तैयार हो जायं।

श्री बरकतुल्ला खां : डाइरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज द्वारा जैसी कि मुझे सूचना दी गई है उसमें यह कहा गया है कि आपस के अन्दर झगड़ा तय हो गया है और तनख्वाह बांटी जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तीन महीने से जिन हरिजन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है आप यह अन्दाजा लगा सकते हैं कि उनकी क्या हालत हो रही है। आप जो यह सूचना देते हैं कि उनको तनख्वाह मिल गई है; माननीय सदस्य जो वहां से आते हैं वे कहते हैं, नहीं दी गई है तो आपको जिसने यह सूचना

(श्री मुरलीधर व्यास)
दी है अगर वह गलत है तो उस अधिकारी के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए। आपको भी इस प्रकार से गलत सूचना देकर धोखा दिया जा रहा है।

इसलिये अर्ज करना चाहता हूं कि इस सिलसिले में एन्क्वायरी करके तनख्वाह मिली या नहीं मिली और अगर नहीं मिली है तो आप क्या इन्तजाम दिलाने का कर सकते हैं, इस बारे में आश्वासन देंगे,

श्री बरकतुल्ला खां : बात यह है कि बढ़ी हुई तनख्वाह लेना चाहते थे। पर बोर्ड पुरानी ग्रेड के हिसाब से तनख्वाह देने को तैयार था। वे पुरानी ग्रेड से लेने को तैयार नहीं थे। इस पर सारा झगड़ा शुरु हुआ और परसों जो मुझे इत्तला मिली वह यह मिली कि तनख्वाह बांटी जा रही है और मैं यह मानकर चल रहा हूं कि जो इत्तला मुझे दी गई है वह ठीक है। अब अगर उन्होंने गलत इन्फोर्मेशन मुझे दी है तो मैं जिम्मेदारी इसके लिये फिक्स करके जो सजा इसके लिये जिसको मिलनी चाहिए वह सजा दूंगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : माननीय मंत्री फिर गलत बात कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्री महोदय ने कह दिया है कि अगर उनको दी गई सूचना गलत है तो वे जांच करवा कर लेंगे। अब इसमें अधिक बहस की आवश्यकता नहीं है।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई) : एक क्वेश्चन।

श्री अध्यक्ष : अब नहीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : दूसरी तरह का क्वेश्चन है, बहुत जरूरी।

श्री अध्यक्ष : अब कोई बहस नहीं होगी। मन्त्रीजी ने कहा है कि वे जानकारी कर लेंगे। इससे ज्यादा मन्त्री महोदय क्या कर सकते हैं? बहस बढ़ाने से समस्या हल थोड़े होती है।

(१२.२२ म.प.)

राज्य में सूखे व अकाल की स्थिति विषयक शासकीय वक्तव्य

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, खाद्य): अध्यक्ष महोदय, राज्य के अन्दर वर्षा अभाव से खाद्यान्न के अभाव की स्थिति पैदा हो जाने के कारण स्थगन-प्रस्ताव के जरिये माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की है।

राज्य के अन्दर इस वर्षा का आम तौर पर अभाव रहा है और अभाव रहने के साथ साथ समय पर भी वर्षा नहीं हुई और खास तौर से जो आखिरी वर्षा खरीफ की फसल के लिये चाहिये थी वह बिलकुल ही नहीं हुई। इस कारण से खरीफ की फसल भी खराब हो चुकी है और जल रही है। इन सारी परिस्थितियों के कारण से राज्य के ११-१२ जिलों के अन्दर खास तौर से अभाव की स्थिति पैदा हुई है। जिन जिलाधिकारियों से उनके जिलों की रिपोर्ट प्राप्त हुई है, उनके मुताबिक आठ जिलों में करीब १॥ हजार गांवों में अभाव की स्थिति बताई गई है। जैसलमेर-बाढमेर-टोंक जिलों के जिलाधीशों ने अभी अपनी रिपोर्ट नहीं भेजी है। लेकिन वहां पर जैसलमेर में खास तौर से और बाकी के जिलों में आम तौर पर बहुत सूखा है। स्थिति बहुत खराब है। बाड़मेर में भी कुछ तहसीलों में स्थिति कहीं अच्छी है। टोंक जिले में भी कुछ इलाकों में है। वहां गिरदावरों की रिपोर्ट आने पर उन पर ध्यान दिया जा सकता है। इसी प्रकार से जिला अजमेर, भरतपुर और सवाई माधोपुर के जिलाधीशों का

Page No 38

(श्रीमती कमला बेनीवाल)

यह कहना है कि हम गिरदावरी पूर्ण होने पर ही बता सकेंगे कि यहां की क्या स्थिति है। उनकी रिपोर्ट आने पर किस क्षेत्र में कितनी अभाव की स्थिति है इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकेगा। लेकिन इन तीन जिलों की रिपोर्ट टोंक, बाड़मेर और जैसलमेर की नहीं आई है। वहां पर तो डेफिनिट तौर से अकाल है। बाड़मेर, जैसलमेर बोर्डर एरियाज हैं और वहां के जिलाधीशों को वर्तमान संकट-काल की स्थिति की देखभाल करने में लगे रहने के कारण उधर समय लगाना पड़ा, इसलिये वे इस बारे में स्थिति की जानकारी नहीं भेज सके हैं। उम्मीद है पांच–सात दिनों में वहां की परिस्थिति से भी अवगत कराया जा सकेगा।

हम सोच रहे हैं कि दो हजार के करीब गांवों को अकालग्रस्त घोषित करना पड़ सकता है। अगर माननीय सदस्य इस बात के लिये उत्सुक हैं तो मैं जिलेवार गांवों का ब्यौरा बता सकती हूं।

जिला झुंझनू, अभी तक जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट प्राप्त हुई है, मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहूंगी कि यह अभी अनौपचारिक तौर से रिपोर्ट मिली है। उसके अनुसार गिरदावरी की फर्स्ट रिपोर्ट अक्टूबर के आखिर तक मिलेगी, उसे ही सरकारी तौर पर अधिकृत सूचना माना जा सकेगा। पर उन्होंने अपने हिसाब से सारा असैसमेन्ट करके भेजा है वह मैं बता दूंगी।

झुंझनूं में ७४ गांव अभावग्रस्त की स्थिति में हैं।

सीकर में २३ गांव हैं; लक्ष्मणगढ़, फतहपुर तहसीलों में खासकर।

बीकानेर के अन्दर ४९७ गांव हैं जिनमें बीकानर, लूणकरणसर, नोखा तहसीलें खास तौर से हैं।

चूरू के अन्दर ३४५ गांव हैं जो अभावग्रस्त कहे, जा सकते हैं जिनमें चरू, सूरतगढ़, डूंगरपुर तारानगर आदि तहसीलें सम्मिलित हैं।

गंगानगर में २८४ गांव अभावग्रस्त हैं जिनमें नोहर, अनूपगढ़, सूरतगढ़, भादरा, रायसिंहनगर तहसीलें शामिल हैं।

भीलवाड़ा में ९२ गांवों को अभावग्रस्त होने की आशंका है जिनमें कोटड़ी, मांडल, सहाडा तहसीलें हैं।

बूंदी में नैनवा और एक आध तहसील के १३५ गांव अभावग्रस्त हैं।

डूंगरपुर और आसपुर मिलाकर ६४ गांव अभावग्रस्त हैं।

तो यह जिलेवार स्थिति आपके सामने रखी गई है।

कुछ जिलों में जिनमें पिछले दो–तीन सालों से बराबर अकाल की स्थिति चलती चली आ रही है, वहां इस वर्ष भी आवश्यक वर्षा नहीं हुई है और स्थिति नाजुक है। वहां जिलाधीशों को स्पष्ट तौर से आदेश हैं कि वे फोर्मल गिरदावरी से पहले भी आवश्यक समझते हों तो टैस्ट रिलीफ वर्क्स चालू कर सकते हैं।

बीकानेर और गंगानगर जिलों को एक एक लाख रुपया एडहॉक तौर पर दे दिया गया है और कुछ टैस्ट वर्क चालू करने का आदेश दे दिया गया है।

झुन्झुनू के अन्दर भी पी. डब्ल्यू. डी. को स्पष्ट आदेश दिये गये हैं कि वे झुन्झुनूं,

(श्रीमती कमला बेनीवाल)
सांचोर रोड पर काम चालू कर दें काम चालू कर भी दिया गया है। इसके अलावा कुछ और रकम और कामों को चालू करने के लिये भी सेंक्शन कर दी है।

इसी प्रकार से जहां जहां से भी टैस्ट वर्क चालू करने की मांग की गई है उनको मदद दी गई है।

अनाज और चारे के बाबत भी सरकार पूर्णतया व्यवस्था करने को तत्पर है। जहां तक चारे का सवाल है दो-तीन जिलों से मांग आई है कि उनको दो-तीन महीने के बाद आवश्यकता पड़ेगी। उसके मुताबिक राज्य सरकार द्वारा फोरेस्ट विभाग से तीन लाख मन चारा इकट्ठा करने के लिये प्रस्ताव भेजा हुआ है। कुछ रकम भी फोरेस्ट विभाग को रिलीफ विभाग से दी गई है। डेढ लाख मन पिछले साल का एकत्रित है। १॥ लाख मन चारा विभिन्न जिलों से और इकट्ठा कर सकेंगे। इसके बाद आवश्यकता महसूस हुई तो अन्यत्र भी इन्तजाम किया जा सकेगा।

इसी प्रकार अनाज के बारे में खास तौर से चिन्ता है सब जगह पर। अनाज का जहां तक सवाल है जो जिले बताये हैं चालू माह में कुछ अधिक अनाज फेमिन एरिया के लिये और देहाती एरिया के लिये मन्जूर किया गया है। उसके कुछ फ़ीगर्स भी मैं आपको बता सकूंगी।

बीकानेर जिले को उसके नॉर्मल कोटे के अलावा एक हजार टन, चूरू जिले के लिये ८०० टन, जैसलमेर के लिये ६०० टन, झुन्झुनू जिले के लिये १ हजार टन, सीकर के लिये एक हजार टन तथा डूंगरपुर और बांसवाड़ा के लिये उदयपुर में मक्का का, जवार का जो स्टॉक है उसमें से आवश्यक इजाजत लेकर काम में ले सकते हैं।

इस प्रकार से अभी जो प्रिलिमिनेरी रिपोर्ट प्राप्त हुई हैं उसके अनुसार जितनी कार्यवाही की जा सकती है उसके बारे में सरकार पूरी तरह से जागरूक है और आगे जिस जिस प्रकार से आवश्यकता बढ़ेगी कार्यवाही की जावेगी और राजस्थान सरकार उसको बहुत जागरूकता के साथ और दृढ़ता पूर्वक करती रहेगी।

इसके अलावा जो माननीय सदस्य हैं, उनसे भी निवेदन है कि वे भी अपने अपने इलाके की जैसी हालत है और जैसी वहां की प्रगति है उससे सरकार को पूरी तरह से वाकिफ करते रहें ताकि उस बाबत भी विचार किया जा सके।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सरकार की तरफ से अकाल सहायता के लिये प्रयास किया जा रहा है उसकी सूचना सदन में प्रस्तुत की गई। उसमें टौंक जिले के जिलाधीश ने अभी तक फ़ाइनल रिपोर्ट नहीं भेजी है, यह मालूम हुआ। मैंने डेढ़ महीने, दो एक महीने पहले भी सरकार को टौंक जिले की स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराया था। और उसके उत्तर में सरकार द्वारा जो मुझे उत्तर मिला है उसमें सरकार ने शीघ्रातिशीघ्र यह बात कही कि अकालग्रस्त क्षेत्र में चारे और अनाज की शीघ्रातिशीघ्र व्यवस्था की जावेगी, आश्वासन दिया था। लेकिन खेद का विषय है कि आज तक भी सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रयास नहीं किया गया है।

(श्री जयनारायण सालोदिया)

मैंने इसी सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष की टेबल पर मूव किया है। उसके उत्तर में मुझे यह सूचना मिली कि इस पर जो ८ तारीख को फूड की डिबेट होने वाली है इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए जा सकेंगे। अभी अभी जो सरकार की तरफ से आंकड़े प्रस्तुत किए गए उसमें भी यह विदित होता है कि टौंक जिले को अभी जल्दी में कोई रियायत या राहत नहीं मिलने वाली है। मैं मेरी ओर से यह स्थिति निवेदन कर देना चाहता हूं कि टौंक जिले की हालत इस समय बहुत खराब है। वहां की जितनी भी फसलें हैं वे जल चुकी हैं। जैसा सरकार ने और जिलों के लिये कहा, टौंक जिले के बारे में मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इस साल बहुत कम वर्षा हुई है और चारे की फसल भी प्राय: जल चुकी है। इसलिये टौंक जिले में अकाल का बहुत भयंकर प्रकोप है। जैसा कि सरकार को विदित है टौंक जिले में गये साल भी अकाल था कुछ हिस्सों में। लेकिन गये साल तो कुछ हिस्सों में था, अब की साल तो पूरे जिले में कुछ प्रतिशत को छोड़कर, दो चार प्रतिशत को छोड़ कर, बाकी पूरे जिले में अकाल की स्थिति है। मैं सरकार से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वह कलेक्टर महोदय को जल्दी से जल्दी इस सम्बन्ध में बाध्य करे कि वह अपनी रिपोर्ट दे। जहां तक मुझे मालूम है कलेक्टर महोदय अपनी रिपोर्ट भेजते हैं, लेकिन टौंक जिले के लिए निश्चित तौर से कहता हूं और समझता हूं कि यह ऐसी स्थिति होते हुए भी और बार-बार ध्यान दिलाने के बाद भी वे मौन हैं और स्पष्ट स्थिति से अवगत नहीं कराना चाहते हैं गवर्नमेन्ट को; तो इससे यह स्पष्ट जाहिर होता है कि कलेक्टर साहब ने इस मामले को भी अपनी इज्जत का प्रश्न बना लिया है। उन्हें इसमें शर्म महसूस होती है कि टौंक डिस्ट्रिक्ट को इस तरह से रिलीफ एरिया घोषित किया जाय। मैं समझता हूं कि इसके सिवाय और कोई कारण नहीं हो सकता। कलेक्टर साहब ने इसे अपनी इज्जत का प्रश्न बना रखा है कि मैं इस जिले को अकालग्रस्त होते हुए भी अकालग्रस्त घोषित नहीं करूंगा। मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं और पूरी जिम्मेदारी से निवेदन कर देना चाहता हूं कि टौंक डिस्ट्रिक्ट अकालग्रस्त है और वहां दो चार प्रतिशत को छोड़कर सब गांव पूरी तरह से अकालग्रस्त हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में पूरी जागरुकता से सरकार उचित कार्यवाही करे और समुचित व्यवस्था करे।

इसी संदर्भ में मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि जहां तक मुझे मालूम है टौंक डिस्ट्रिक्ट में सस्ते गेहूं की दुकानें भी क़तई नहीं हैं। पहले चार, पांच, छ: महीने पहले टौंक डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े क़स्बों में, तहसील हैडक्वार्टर पर एक एक दूकान थी लेकिन निवाई के लिये निश्चित तौर से कह सकता हूं कि इन दूकानों को बन्द हुए छ: महीने, पांच महीने से ज्यादा हो चुके हैं। बराबर जनता की तरफ से यह प्रार्थना की जाती है, सरकार को लिखित में दिया जाता है कि सरकार द्वारा इन अनाज की दूकानों का जो पहले तहसील हैडक्वार्टर पर थी अब विकास किया जाना चाहिये, उनको ज्यादा बढ़ाया जावे और उनको बड़े बड़े गांवों में खोला जाय; क्योंकि इस अकाल में गांवों की हालत खराब हो गई है। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना

(श्री जयनारायण सालोदिया)

करता हूं कि जो सस्ती गेहूं की दूकानें या सरकार के पास जो बफ़र स्टॉक है उसमें से टौंक डिस्ट्रिक्ट के लिये निश्चित मात्रा में अच्छी से अच्छी मात्रा में कोटा दिया जाय और उसकी दूकानें देहातों में खोलने के आदेश फ़रमायें जावें।

इसी तरह मैं चारे के लिए निवेदन कर देना चाहता हूं कि इस अकाल में जहां अनाज की पैदाइश कम हुई है वहां चारा भी बिल्कुल नहीं हुआ है क्योंकि बारिश समय पर नहीं बरसी और इससे चारा भी पैदा नहीं हुआ। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि अनाज के साथ साथ चारे की व्यवस्था भी की जानी चाहिये। चारे के, पंचायत हैडक्वार्टर पर या पंचायत समिति के हैडक्वार्टर पर डिपोज कायम किए जाने चाहियें जिससे कि चारे की समस्या भी हल हो। मैं सरकार से यह भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि यह प्रश्न अकाल से सम्बन्धित है और इसलिये मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि अकाल के साथ साथ आज जिले में चीजों के भाव, खाद्य पदार्थों के भाव आसमान को छूने लगे हैं। आसमान को ही नहीं छूने लगे हैं; बल्कि पर्याप्त मत्रा में मिलने भी बन्द हो गए हैं। जिले भी कहीं ......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य जब खाद्य पर बहस होगी तब ये सब कह दें। अभी तो संक्षेप में ही कह दें। और भी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यही संक्षेप में ही निवेदन कर देता हूं। तो मैं यह अर्ज कर रहा था कि अकाल की स्थिति के कारण खाद्यान्नों के भाव आसमान को छूने लगे हैं। मैं सरकार से यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि जैसे अन्य ज़िलों में राहत कार्य शुरू किए हैं वैसे ही, जैसा मैंने कल परसों भी निवेदन किया था, सरकार ने गए साल भी जितना अमाउण्ट टौंक डिस्ट्रिक्ट के लिये निश्चित किया था, मुझे निश्चित तौर से मालूम है कि वह सब अमाउन्ट भी गए साल टौंक डिस्ट्रिक्ट में खर्च नहीं किया गया और कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया गया और वह अमाउण्ट लैप्स होकर सरकार के कोष में आ गया होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि गए साल का लैप्स हुआ अमाउण्ट टौंक डिस्ट्रिक्ट के हिस्से की और इस साल का अमाउण्ट, दोनों को मिला कर ज्यादा से ज्यादा राहत कार्य शुरू करने की कोशिश करें ताकि इस मंहगाई के टाइम में लोगों को काम मिल सके और उनका जो रोजी-रोटी का प्रश्न है वह हल हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ में सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस टौंक जिले की स्थिति को ध्यान में रखते हुए सहानुभूतिपूर्वक विचार कर इस तरह की व्यवस्था करें कि जिससे उस जिले की स्थिति में सुधार हो सके।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या जयपुर जिले में अकाल नहीं है ?

श्री अध्यक्ष : और भी कई जिले रह गए हैं, आपको बता देंगे।

श्री मानसिंह महार : इस पोइन्ट को पहले क्लिअर करें कि जयपुर में अकाल है या नहीं; तो फिर उसी के अनुसार बोलने की कोशिश करें।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय अध्यक्ष महोदय ....

श्री मानसिंह महार : यह मैं उप-मंत्राणीजी से पूछता हूं कि क्या जयपुर जिले में अकाल है या नहीं ? उसके बाद में हम बोलें तो स्थिति को अच्छी तरह से रख सकेंगे । अध्यक्ष महोदय, वे नहीं बोलती हैं तो इसका मैं यह अर्थ लगाता हूं कि वे यह समझती हैं कि जयपुर जिले में अकाल नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : आपने प्रश्न समाप्त कर भाषण शुरू कर दिया ।

श्री मानसिंह महार : नहीं अध्यक्ष महोदय, वे बोल नहीं रही हैं, उनको बताना चाहिए कि जयपुर जिले में अकाल है या नहीं । जयपुर जिले में से बैराठ और कोटपूतली में अकाल नहीं है, यह मैं मानता हूं । मैं अभी दिल्ली गया था और वहां देख कर आया हूं ..

श्री अध्यक्ष : आपको जयपुर के बारे में बताती हैं, आप स्थान ग्रहण करिए ।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, खाद्य) : अध्यक्ष महोदय, जिन जिलों के बारे म विवरण पेश किया है और जिनका विवरण पेश नही हुआ है उनके बारे में जो बताया है उसके अलावा भी जिन जिलों के नाम नहीं आए हैं तो यह समझना चाहिए कि उन जिलों के अन्दर अकाल की स्थिति नहीं है । टौंक से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि पिछले बार भी हमारे जिले को जो राशि मंजूर हुई वह वहां पर पूरी खर्च नहीं हुई इसलिये अब की बार वह हमारी बची हुई राशि हमको वापिस दे देनी चाहिए । मैं सदन के सदस्यों की जानकारी के लिये बताना चाहती हूं कि जिस जिले में भी जैसी स्थिति देखी जाती है और जिलाधीश के द्वारा या जिलाधिकारियों के द्वारा जैसी स्थिति बताई जाती है उसके मुताबिक हर जिले में उपयुक्त तौर से काम शुरू किया जाता है । पिछले साल भी आपके जिले में काम हुए थे । मैं खुद देख कर आई हूं और जहां जहां पर काम चलाने की आवश्यकता थी वहां पर काम चलाए गए हैं । इसका मतलब यह है कि जहां पर जितने काम चलाने की जरूरत थी वे काम चलाए गए हैं और उन कामों को चलाने के बाद में जो राशि बच गई उसका उपयोग दूसरी जगह पर किया जाता है । यह कायदा नहीं है कि अगर कहीं पर राशि बच गई है और काम चलाने की आवश्यक्ता नहीं है, फिर भी वह राशि वहां पर ही खर्च की जाय । आपके यहां की रिपोर्ट अभी आई नहीं है, राज्य सरकार बराबर याददहानी दिला रही है । १५ अक्टूबर तक रिपोर्ट आती है । ज्यों ही रिपोर्ट आई उसके अनुसार कार्यवाही की जावेगी ।

श्री जयनारायण सालोदिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य इस तरह से बहस नहीं करें ।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, मैं जयपुर जिले के बारे में निवेदन करना चाहता हूं । अध्यक्ष महोदय, इस पर हमारा भी एडजोर्नमेन्ट मोशन है और मुझे सुन कर दुख हुआ कि जयपुर जिले में अकाल नहीं है । मैंने इसकी ताईद में, जब हमने यह एड-जोर्नमेन्ट मोशन दिया उसके बाद में एक गाड़ी लेकर श्री नाथूलाल जी करोली को चाकसू, सांगानेर तहसील के अन्दर दौरा करने के लिये भेजा और वे दौरा करके अभी अभी लौटे हैं । वहां जाकर उन्होंने देखा है कि उस इलाके में कम्पलीट अकाल है और वहां बिलकुल अनाज नहीं है । हमारे आमेर, गोविन्दगढ़, बस्सी,

(श्री मान सिंह महार)
सिकराय, फुलेरा इनमें भी अकाल की बिलकुल स्थिति है। यह मैं मानता हूं कि यह जो आखिरी बारिश हुई वह बैराठ इलाके में बहुत ज्यादा हुई और मैं उस दिन दिल्ली गया था तो देखता हुआ गया था। वहां बहुत बारिश हुई है और इससे बैराठ में अकाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्राणी को सोचना चाहिए कि जयपुर जिला बैराठ तहसील तक ही महदूद नहीं है। मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि जयपुर के जिलाधीश इस तरह की गलत रिपोर्ट दे सकें कि जयपुर में अकाल की स्थिति नहीं है। मैं इसको मानने के लिये तैयार हूं ......

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य कह रहे हैं कि जिलाधीश ने रिपोर्ट दी है, फिर उप-मंत्राणीजी नहीं दे रही हैं, यह बिलकुल गलत है। आपको सदन में इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए।

श्री मानसिंह महार : मैं बिलकुल अपने शब्द दोहराता हूं। अध्यक्ष महोदय, दुबारा दोहराता हूं। मैं कहता हूं कि जयपुर जिले में अकाल है। जयपुर के जिलाधीश यह कभी नहीं कह सकते कि जयपुर जिले में अकाल नहीं है। उप-मंत्राणीजी की अपनी, हो सकता है, कोई सूचना ऐसी हो कि जिसके आधार पर कह दिया हो वरना यह बिलकुल गलत है। जो कुछ कहा गया है वह बिलकुल निराधार है। यह केवल इसलिये कहा गया है कि जयपुर जिले में १४-१५ सीटों पर हम लोग, स्वतंत्र पार्टी के लोग जीत कर आये हैं.............

श्रीमती कमला बेनीवाल : माननीय सदस्य बिना तथ्यों के इस तरह की बातें कहते हैं, इसकी इजाजत नहीं होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बिना तथ्यों के आधार पर कोई बात यहां नहीं कहें।

श्री मानसिंह महार : अध्यक्ष महोदय, अभी मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं.....

श्री अध्यक्ष : थोड़ा तथ्यों पर बात कहें।

श्री मानसिंह महार : तथ्यों पर ही तो बात बता रहा हूं...

श्री अध्यक्ष : उन्होंने कहा कि कलक्टर रिपोर्ट ही नहीं आई है। आप जो कह रहे हैं इससे कोई तथ्य नहीं निकलेगा। आप तथ्य की बात कहें, ताकि उसका कोई मतलब निकले।

श्री मानसिंह महार : और जगह की आ गई, हमारी ही क्यों नहीं आई?

श्री अध्यक्ष : और जगह की भी नहीं आई है।

(विराम)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अध्यक्ष महोदय, अभी जैसा कि उप-मंत्राणीजी ने एक स्टेटमेन्ट इस सदन में दिया और उन्होंने भीलवाड़ा के बारे में ३ तहसीलों का नाम लिया है। खैर और जो इन्तजाम सरकार की तरफ से होने वाले हैं वे तो, जैसा उन्होंने कहा कि वह कर रही हैं लेकिन मैं एक बात की तरफ उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह खास तौर पर कोटड़ी तहसील के बारे में है। मैंने मुख्य मंत्री जी से भी इस

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

विषय में बात की और उन्होंने खुद ने इसको मन्जूर किया है कि कोटड़ी की हालत बहुत ही खराब है और अध्यक्ष महोदय, म आपके द्वारा यह सूचना सरकार को देना चाहता हूं कि कोटड़ी में इस साल सिर्फ ७ इंच बारिश हुई है और बराबर ४ साल से वहां पर बारिश की कमी रही है। आज भी वहां की हालत यह है जो कलेक्टर साहब का जि आया है उन्होंने भी बताया और मैं भी कहना चाहता हूं कि वहां पर महिलायें ४ बजे सुबह उठकर पानी लेने चली जाती हैं और । घंटे में जितना पानी भर पाती हैं वह भर ल हैं, बाकी पानी का अभाव वहां पर है, और हाने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं है। आप अनाज का इन्तजाम करें वह तो करें हो, लेकिन सबसे पहली आवश्यकता की वस्तु है वह यह है कि पानी पीने के लिए कुओं को गहरा कराया जाये और इसके लिए वहां की पंचायत समिति को ज्यादा से ज्यादा रकम उपलब्ध कराई जाये ताकि वहां पीने के जितने भी कुए हैं उनको गहरा कराके उनमें पीने के लिए पानी उपलब्ध कराया जाये। दूसरी बात यह है कि आपने आसींद और मांडल के बारे में कहा है वे दोनों तहसीलें ऐसी हैं कि जिनमें बराबर दो साल से अकाल पड़ता जा रहा है। बनेड़ा के बारे में भी आपने नाम नहीं लिया है। समझता हूं कि शायद आपके पास उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन मैं वहां जाकर आया हूं और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि सारी बनेड़ा की तहसील में सिर्फ दो आने या तीन आने फसल हुई है और वह भी सिर्फ मक्का की फसल होने वाली है और दूसरी चीजें वहां पर बिलकुल बरबाद हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, मने पहले भी सदन में कही थी वहां पर नहर आने की वजह से वहां के तालाब बर्बाद हो गए और उन दोनों नदियों को रोकने से जो पानी आता था वहां यह असर हुआ कि सब क सब कुए खाली हैं। यदि आप कलेक्टर साहब से भी पूछें तो वे भी इस बारे में कहेंगे कि बनेड़ा तहसील में पूरी में अकाल है। तो मैं बहुत ही नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं किसी तरह का लांछन सरकारी ऑफिसर्स के ऊपर इसका नहीं लगाना चाहता हूं कि उन्होंने किसी पार्टी बाजी के कारण रिपोर्ट नहीं दी लेकिन यह रिपोर्ट नहीं आई है; तो मैं सदन को सूचना देना चाहता हूं कि इस तरह की कमियां वहां पर हैं। आप जल्दी से जल्दी वहां के बारे में रिपोर्ट मंगवायें और वहां के लोगों को पानी अनाज और पेट भरने के लिए कुछ काम उपलब्ध करायें। इस तरह का प्रबन्ध आप कराने की कृपा करें तो बहुत जल्दी वहां जो अपने काम पर लगे हुए नहीं हैं उन लोगों को काम मिल जायेगा, नहीं तो उनको वहां से छोड़कर जाना पड़ेगा; ऐसी स्थिति है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): अध्यक्ष महोदय, उप-मंत्राणी जी ने किन किन जिलों में और तहसीलों में अकाल की स्थिति है और कलेक्टर के द्वारा उनके पास जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उसके संबंध में आपने विवरण दिया। जैसा भीलवाड़ा जिले के बारे में ढाबरिया जी ने कहा और मैं भी निवेदन करना चाहता हूं कि भीलवाड़ा जिले के अन्दर ५-६ तहसीलें ऐसी हैं कि जिनमें पानी के अभाव से तमाम फसल बर्बाद हो गई है और खास तौर से मैं अपनी तहसील के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर तीन-चार साल से मुतवातिर तौर पर जो तहसील में पानी का अभाव रहा है इससे फसल बिलकुल नष्ट सी

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

हो गई है और इस वर्ष भी वहां पर ८ इंच के करीब आसींद तहसील में बारिश हुई है और करीब करीब वहां पर सौ गांव ऐसे हैं कि जिनमें ऐसी स्थिति है कि वहां की तमाम फसल बिलकुल नष्ट हो गई है। सिर्फ एक ही क्षेत्र ऐसा है कि वहां बांध होने की वजह से उससे जितनी सिंचाई हो गई उससे ५०-४० गावों में नहर की वजह से अकाल की स्थिति नहीं होगी, बाकी सारी तहसील में पानी की कमी है और वहां पर पीने का पानी नहीं है। फसल कहीं जल गई है, कहीं नष्ट हो गई है। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं और पहले भी बार बार निवेदन किया, लेकिन आपने यही कहा कि कलेक्टर के यहां से रिपोर्ट नहीं आई है। जब कलेक्टर ने दूसरी तहसीलों की रिपोर्ट भेजी; सराड़ा, मांडल और कोटड़ी तीन तहसीलों का नाम बताया, उसमें आसींद जो गांव है जो कि अकालग्रस्त है और वहां के लोगों को सरकार फायदा देना चाहती है, लेकिन जिस प्रकार से काम वगैरह खुलवाने का सवाल है वह उन चीजों से वंचित रह जायेंगे। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कलेक्टर के द्वारा जल्दी से जल्दी उन गावों की रिपोर्ट मंगवाई जाये ताकि जो व्यवस्था सरकार करना चाहती है, जो सहायता वहां पर देना चाहती है वह जल्दी से जल्दी लोगों को मिले। आज स्थिति ऐसी है कि लोग घर छोड़कर काम धंधों की तलाश में दूसरे स्थानों के लिए रवाना होने लग गए हैं। अगर उनको मदद नहीं मिली तो बहुत आदमियों को अपने घर बार खाली करके भाग जाना पड़ेगा। इसलिए आप खास तौर से ध्यान देकर जल्दी से जल्दी कलेक्टर से इस संबंध में सूचना मंगाकर जो भी राहत कार्य करना है; चाहे वह अनाज का है, घास का है, काम देने के सम्बन्ध में है, जो व्यवस्था करनी है उसके संबंध में खास तौर से ध्यान देकर के जो कुछ करना है उसके लिए उचित प्रबंध करने की व्यवस्था करें। घास के संबंध में निवेदन है कि पिछली साल इस तहसील में दो साल से घास का अभाव रहा है और इस वर्ष भी है और घास की व्यवस्था नहीं की गई तो तमाम के तमाम जानवर मर जायेंगे। इसलिए घास की, अनाज की और काम की जल्दी से जल्दी व्यवस्था कराई जाये और कलेक्टर से जल्दी से जल्दी रिपोर्ट मंगाकर सरकार को उचित आदेश देने चाहिए।

श्री देवेन्द्रकुमार मीणा ((सहाड़ा-सु,) : अध्यक्ष महोदय, अभी बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और आसींद से आने वाले माननीय सदस्यों ने बताया, उसमें भीलवाड़े में तीन तहसीलों के अलावा दूसरे नाम बताये हैं। इसी तरह से रायपुर तहसील ऐसी है जहां बहुत कम बारिश होने से घास की, अनाज की सब तरह से कमी रही है। इस साल बिल्कुल बारिश नहीं हुई है और फसल बिलकुल सूख गई है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इसका ध्यान रखें कि रायपुर तहसील में अकाल है, जिसकी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी मंगाने की कृपा करें।

श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : माननीय अध्यक्ष, माननीय उप-मंत्राणी जी ने यह कहा कि जयपुर जिले में अकाल की छाया नहीं पड़ी, लेकिन कलेक्टर को रिपोर्ट १५ अक्टूबर को मिलेगी जब कि गिरदावरी शुरू होगी, उसके बाद तहसील से रेकॉर्ड तैयार होकर कलेक्टर साहब के पास आयेगे तब रिपोर्ट आपके पास पहुंचेगी, लेकिन अकाल की छाया कम्प्लीटली जयपुर जिले में है, खास तौर

(श्री नाथुलाल करोल)

से हुनेरा, दूदू, फागी, सांगानेर, चाकसू, बस्सी, दौसा और जमुआ-रामगढ़। इन पंचायत समितियों के अन्दर कम्पलीटली अकाल हो चुका है। सांगानेर और बस्सी की स्थिति के बारे में मैं उप-मंत्राणी जी का ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीय उप-राजस्व मंत्रीजी, जो बिराज रहे हैं, से भी अर्ज करूंगा कि सांगानेर और बस्सी के गांवों में ओले पड़े जिनके कारण फसलें नष्ट हुई हैं और इतने ज्यादा ओले पड़े हैं कि खाखला भी पैदा नहीं हुआ, धान की तो बात ही अलग है। मैं उप-राजस्व मंत्रीजी से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने उनको कोई राहत नहीं दी। आप जो कुछ भी देना चाहें उनको दें। सांगानेर के ५०-६० गांव ऐसे हैं कि जिनके अन्दर नाज नहीं हुआ और चारा नहीं हुआ। १२ फरवरी को वहां पर इतने जोर से ओले पड़े थे कि लोगों में त्राहि-त्राहि मच गई। सांगानेर और बस्सी में इस वक्त क्या हुआ कि फसल भी चौपट हो गई और बिलकुल फसल नहीं हुई। उन गांवों को आप खुद जाकर देखें। आपको तकलीफ तो होगी, लेकिन आप देख लें। इसलिए मेरा नम्र निवेदन यह है कि सांगानेर और बस्सी के जिन ग्रामों में ओले पड़े और यह रबी की फसल भी नष्ट हो गई; उनको आप जो कुछ भी देना चाहें दें, फैमीन रिलीफ के हैड में से दें और उनका लगान माफ किया जाय। खरीफ की फसल जो संवत् २०२२ की है वह फसल भी नष्ट हो गई है। उसके लिए मेरा नम्र निवेदन यह है कि आप वहां जाकर देखें और वहां के लिए ज्यादा से ज्यादा अन्न का प्रबन्ध करें, चारा अगर हो तो दें लेकिन अन्न का प्रबन्ध तो होना ही चाहिए चारा वहां पर बिलकुल नहीं हुआ है, फोडर की वहां पर इतनी कमी आ गई है कि उन गांवों की जनता इससे बहुत परेशान है। इसलिए मेरा यह नम्र निवेदन है कि वहां पर अन्न का इन्तजाम सबसे पहले किया जाय। अमरीकी गेहूं या मोटा अनाज जैसा भी हो आपके पास उनको दिया जाय। इतना ही मेरा नम्र निवेदन है।

श्री जोर्रासिंह चौहान (गिरवा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अकाल-ग्रस्त एरिया के लिए माननीय मंत्राणीजी महोदया ने कहा है। इसके बारे में खास तौर से उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा। उदयपुर डिवीजन के अन्दर इस साल वर्षा ऐसे ही कम हुई है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उदयपुर के अन्दर बड़े बड़े तालाब हैं; जैसे जयसमुद्र, राजसमन्द, कांकरोली का तालाब, बागलिया बान्ध, उदयसागर बान्ध, पिछोला बान्ध और उदयपुर के जितने तालाब हैं वे सब के सब खाली पड़े हुए हैं और उनसे आज कुछ सिंचाई नहीं हो रही है। यहीं मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार की यह योजना थी कि कांकरोली का जो तालाब है उसमें फीडर लाइन लाकर पानी डालने का था उसका काम शीघ्रता से नहीं होने के कारण इस साल उससे सिंचाई नहीं हो सकी। मैं निवेदन करूंगा कि फीडर लाइन जल्दी ही लाई जाय ताकि वह तालाब जल्दी से जल्दी भरे और उससे सिंचाई की योजना पूरी हो सके।

उदयपुर के जो बड़े बड़े तालाब हैं उनमें भी फीडर लाइन कर सकते हैं। पिछोले के तालाब में फीडर लाइन कर सकते हैं। उसका काम कराया जाय और वहां पर बान्ध बनाया जाय; तो मैं समझता हूं कि सारी की सारी योजना सिंचाई की पूरी कर सकते हैं।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस साल दो बारिश नहीं होने के कारण जो

(श्री जोधसिंह चौहान)

फसल बड़ी हो गई थी और जिस फसल में भुट्टे लगने लगे थे वह सारी की सारी फसल नष्ट हो गई है। खास तौर से मेरा निवेदन यह है कि वहां पर भील क्षेत्र है, वहां पर पहाड़ी क्षेत्र है। वहां पर छोटे छोटे बान्ध बनाये जायें जिससे अधिक खेती हो सके और नाज की समस्या हल हो सके। सरकार की नाज की समस्या के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरफ तो यह घोषणा करती है कि राजस्थान में इस वर्ष इतना नाज पैदा होगा कि हुआ होगा, और सरकार दूसरी ओर कहती है कि नाज मण्डियों में नहीं आता है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को वहां पर इस तरह का पता लगाना चाहिए, क्योंकि सरकार को इस बात का पता होता है कि किसी किसान के यहां जिन्सवारी में कितना नाज पैदा हुआ है। जब उसको यह पता लग जाता है तो सरकार इस बात का भी पता लगा सकती है कि वहां से नाज कहां गया? किस व्यापारी को बेचा या किस व्यक्ति को बेचा। इस प्रकार का पता लगा कर सरकार उस नाज को निकलवा सकती है। इससे तो यह मालूम होता है कि मण्डियों में नाज नहीं, किसानों के पास भी नाज नहीं। जिस प्रकार पहले एक कमेटी बनाई गई थी नाज के संकट के लिए, उसकी रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है। उस कमेटी का नाम अशोक कमेटी है। उस कमेटी ने इस प्रकार का निर्णय लिया है कि इस प्रकार से जो सरकार कहती है और सरकार जो आंकड़े बताती है वे सारे गलत होते हैं। इसलिए सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार अपने आंकड़ों को सही करे और अपने कर्मचारियों को ठीक प्रकार से आंकड़े देने के लिए कहे जिससे कि सही आंकड़े प्राप्त हों और हमारी जो नाज की कमी है वह नाज बाहर से नहीं मंगाकर और खुद ही हम पैदा करें।

इसके साथ साथ मैं अर्ज करूंगा कि सरकार ने जिस प्रकार से इस वर्ष किया है कि ३७ रुपये क्विन्टल में मक्का खरीद कर ६५ रुपये क्विन्टल में बाहर भेजा है उस प्रकार की योजना नहीं होनी चाहिए। सरकार को लाभ नहीं उठाना चाहिए। सारी की सारी मक्का जनता में बिकती और ब्लैक मार्केट सरकार नहीं करती तो मैं समझता हूं कि उससे जनता को लाभ पहुंचता।

मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उदयपुर डिवीजन में इस वर्ष क्या हुआ? खास तौर से उदयपुर में घास पैदा हुआ उसको बीकानेर भेजा गया। लेकिन अफसोस है कि उदयपुर में गिरवा क्षेत्र में सज्जनगढ़ के पीछे हवाला गांव है वहां पर घास का ढेर बहुत भारी पड़ा हुआ था। वहां की जनता ने, उस क्षेत्र के लोगों ने निवेदन किया कि यह घास हमको दिया जाय। सरकार के जंगल विभाग ने वह घास उन किसानों को नहीं दिया। गिरवा की पंचायत ने और बड़गांव की पंचायत ने सरकार को लिख कर भेजा, मैं खुद जाकर मिला, लेकिन सरकार ने वह घास उन किसानों को नहीं दिया और सरकार ने वह घास नीलाम किया एक ठेकेदार को। जिसने ६ रुपये के मन के हिसाब से वह घास किसानों को बेचा। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि उसके बाद भी वहां पर बहुत सा घास पड़ा रह गया। वहां पर कई मवेशी चारे के अभाव में मर गये। पंचायत ने प्रस्ताव पास करके भेजा उसके बाद में भी सरकार ने उस घास को नहीं बेचा जो कि सज्जनगढ़ के पीछे पड़ा है।

Page No 48

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, गृह) : रिपोर्ट के ही सम्बन्ध में बात कहें तो ज्यादा उचित हो।

श्री जोधसिंह चौहान : मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी गलती आयन्दा न हो जिससे कि अव्यवस्था पैदा न हो।

वह घास सरकार ने नहीं बेचा किसानों को और ठेकेदार को बेचा। उसने ६ रुपये मन में किसान को बेचा। उसके बाद भी घास पड़ा रह गया, पर उन किसानों को नही दिया और सारे का सारा घास सड़ गया। इसका पता लगाया जाय। सरकार को इससे लाभ हो सकता है और बड़ा भारी फायदा हो सकता हैं। तो मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहता हूं

(१२.५९ म० प०)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सभापति, पदासीन)

कि हमारे गिरवा क्षेत्र में जहां किसानों के पास १-२ बीघा जमीन होती हैं जहां कि मक्का पकने लगती हैं तो पकने से पहले ही वे उसको खा जाते हैं। उसके बाद खाने को उनके पास कुछ नही रहता है, तो उनको काम दिया जाय। पहले तो उनको जंगल काट कर लाने की इजाजत थी, वह बन्द कर दी सरकार ने। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि गिरवा क्षेत्र में इन व्यक्तियों के लिए नाज का प्रबन्ध किया जाय, उनको काम दिया जाय जिससे कि वे काम करके अपना पालन कर सकें। इस प्रकार मैं सरकार का ध्यान इन बातों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री किशनसिंह यादव (लक्ष्मणगढ़) : सभापति महोदय, सीकर का जिला जो है वह पिछड़ा हुआ जिला है; दो फसलें वहां पर पैदा नहीं होती हैं। पिछले साल भी वहां पर कहतसाली हुई और वहां पर मवेशियों के लिए चारा नहीं है।

(१.०० म. प.)

वहा पर कोई राहत कार्य शुरू नहीं किया गया तो लोगों को अनाज कैसे मिलेगा बिना पैसे के लोग अनाज नहीं खरीद सकते। लोगों के पास दूसरा कोई धंधा नहीं है, धंधा उनको दिया जाय तो नाज खरीद सकते हैं। यदि धंधा नहीं दिया गया तो नाज पड़ा रहेगा और लोग भूखों मर जायेंगे, इसलिये लोगों को धंधा देने के लिये कोई रिलीफ काम जल्दी वहां पर शुरू करना चाहिये। यह पता नहीं कैसे आपकी समझ में आ गया, मंत्राणीजी थोड़े दिन वहां घूमें तो पता चले। फूड कमिश्नर साहब नाराज हो रहे थे कि सीकर जिले में नाज बहुत हुआ है लेकिन बाहर चला गया। बाहर कैसे चला गया? क्योंकि सीकर के आगे और जिले भी हैं। लिखा-पढ़ी की गई, वे वहां पर आये तो देखा कि वहां पर अकाल है। मंत्राणी महोदया गांवों में गई नहीं हैं, थोड़े ही गांवों में गई होंगी। वहां पर किसी को भेज कर पता लगवा लें। लोगों को किसी तरह का धंधा दिया जाय। धंधा देंगे तो अनाज बिकेगा और लोग खायेंगे। यदि धंधा नहीं देंगे तो लोग अनाज कैसे खरीदेंगे? यह समस्या हो रही है। परसाणा की तरफ तो थोड़ा अनाज हुआ है लेकिन और जगह खेत वैसे के वैसे पड़े हैं। इसलिये वहां पर सड़कें बनवाएं, कुएं खुदवाएं। तालाब तो वहां पर खेती के काम में नहीं आयेंगे, तालाब से सिचाई नहीं होगी, लेकिन जो टूटे हुए हैं उनकी रिपेयर करवाई जाय, तो मजदूरों को मजदूरी मिल सकती है। जो रोड्स वहां पर बननी हैं उनको शुरू किया जाय तो लोगों को सहारा मिलेगा। इस तरफ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ध्यान देने की जरूरत है। सीकर जिले के लोगों को धंधा दिया जायगा तो नाज खरीद सकते हैं नहीं तो नहीं खरीद

(श्री किशनसिंह बाटड)
सकते उनके पास पैसा नहीं है। पिछले साल भी उनकी हालत खराब थी इस साल और भी खराब है। वहां पर केवल फसल पर काम चलता है या मवेशियों पर काम चलता है। उनके जानवरों को बचाना भी जरूरी है। जिन लोगों के पास धंधा नहीं है उनके मवेशी मरते जा रहे हैं। दुधारू गायें और भैंसें तो लोगों ने बचा रखी हैं लेकिन कब तक बचा पायेंगे यह समझ में नहीं आ रहा है। यदि किसी तरह से बचा सकेंगे तो दूध देने वाली गायें-भैंसों को ही बचा पायेंगे, बाकी को नहीं बचा सकेंगे। बाकी को तभी बचा सकेंगे जब कि उनको चारा दिलाया जाय। मजदूरी मिले तभी चारा खरीद सकते हैं यह हालत हो रही है। इसलिये मेरा निवेदन है कि उधर की तरफ ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेडा) : सभापति महोदय, अभी जो अभाव ग्रस्त क्षत्र की चर्चा चल रही है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन रिपोर्ट्स के आधार पर जो अभाव ग्रस्त क्षेत्र डिक्लेयर किये जाते हैं, मेरा निवेदन है कि उसका कुछ तरीका बदला जाय। यदि आप विकेन्द्रीकरण में विश्वास करते हैं तो मैं कहता हूं कि हर पंचायत का कोरम बुलाकर उनसे सूचना चाही जाय कि उनके क्षेत्र में क्या हाल है। यह आधार मान कर चलें कि पानी बरस गया है, फसल हो गई तो अभावग्रस्त नहीं है, तो ठीक नहीं है। मैं ऐसी जगह से आया हूं जहां काफी मात्रा में पानी बांधों में भरा है, बरसात भी हुई है लेकिन वहां पर घास बिल्कुल नहीं हुआ है, वहां पर घास की स्थिति बड़ी नाजुक है इसलिये उस एरिया को अभावग्रस्त नहीं माना तो खतरा होगा। सरकार यह मानकर चले कि एक फसल हो गई तो दूसरी गेहूं की फसल नहीं हो सकती। इसलिये यह खयाल किया जाय कि अभावग्रस्त घोषित करने से पहले जांच कराई जाय वर्ना जो आंकड़े आपके पास आते हैं, उनसे पता चलता है कि जनता के लिये खाने को अनाज काफी है, लेकिन सही स्थिति यह है कि अनाज वहां पर बाहर से मंगाना पड़ता है। मैं कहता हूं कि पटवारी के पास से आप रिपोर्ट लेते हैं। यह सभी जानते हैं कि पटवारी काम करने से जान बचाना चाहते हैं वे रिपोर्ट वैसे ही वहां पर बैठे बैठे दे देते हैं। तहसीलदारों से भी मेरी बातचीत हुई है। वे भी अपनी जान बचाना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि इस किस्म का प्रश्न नहीं उठे तो अच्छा है वर्ना आंकड़े तैयार करने में दिक्कत होगी। इसलिये यह जरूरी है कि आप पंचायतों से सूचना कोरम बनाकर प्राप्त करें। खाद्य स्थिति के बारे में पंचायतों की रिपोर्ट और तहसीलदारों की रिपोर्ट का मुकाबला करके सही नतीजे पर पहुंचेंगे तो अच्छा रहेगा अन्यथा गंभीर स्थिति हो जायगी।

श्री विजयपाल कटारा (डूंगरपुर-सु.) : सभापति महोदय, डूंगरपुर जिला तीन वर्षों से लगातार अकाल की स्थिति से ग्रसित है। आपने अभी जवाब में बताया कि ६०-७० गांवों को वहां अभावग्रस्त पाया गया है लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि गत वर्ष १४५ गांव अकाल-ग्रस्त घोषित किये थे लेकिन कई गांव अभाव-ग्रस्त में आ सकते थे उनको आपने छोड़ दिया है और उस वजह से वहां के लोगों को काफी अकाल का सामना करना पड़ा और आज भी अभाव के कारण सारे जिले भर के लोगों में असंतोष पैदा हो गया है और गत वर्ष भी मैंने यहां कहा था कि घास और पानी की समस्या अप्रेल, मई और जून के महीनों में सबसे ज्यादा उत्पन्न होती है लेकिन

(श्री विजयपाल कटारा)

सरकार ने इन बातों पर कम ध्यान दिया है। आज भी रिलीफ कार्य चलाने योग्य केन्द्र पड़े हैं लेकिन वहां सिर्फ आसपुर तहसील के अलावा दूसरी जगह कोई काम शुरू नहीं किया गया। ऐसी भी स्थिति हुई है कि लोगों को भूख से मरना पड़ा है। जो लोग भूख से मरे हैं उनकी सूचना कलेक्टर को दे दी गई है। सरकार की तरफ से अच्छी व्यवस्था करनी चाहिये क्योंकि आज भी जिले की हालत खराब है। कहीं कहीं पीने को पानी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या घास की है और खाने की है। कम से कम सरकार उस ओर तो ध्यान दे। लेकिन जो गिरदावरी पटवारी करते हैं, जिम्मेवार रेकार्ड मेन्टेन करते हैं, उन पटवारियों, तहसीलदार और एस० डी० ओ० को निष्पक्ष गिरदावरी करने के लिये गवर्नमेन्ट को आदेश देना चाहिये जिससे सही आंकड़े आपको प्राप्त हो सके। नहीं तो सरपंच और पटवारी के बीच मतभेद होने की वजह से जिस ढंग से गिरदावरी करनी चाहिये, उस ढंग से नहीं होती और इस कारण से कई लोगों को अकालग्रस्त घोषित करने से वंचित रखा गया। जून और जुलाई में जब कि खाने की समस्या थी, ऐसी स्थिति में लगान वसूल किया गया है। जबकि घास नहीं मिलता है, अनाज नहीं मिलता है ऐसी स्थिति में लगान वसूल कर रहे हैं। ऐसी हालत में, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि लगान वसूल नहीं करना चाहिये इसके लिये गवर्नमेन्ट को आदेश जारी करने चाहिये। लेकिन सरकार की हठधर्मी के कारण लोगों को नाजायज तौर पर परेशान करते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अप्रेल, मई और जून में सबसे बड़ी घास और पानी की समस्या होगी उसकी तरफ सबसे पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। गिरदावरी को सबसे पहले ध्यान में रखने की आवश्यकता है। सरकार निष्पक्ष गिरदावरी के लिए सरपंच, जिला परिषद्, पंचायत समिति और कलेक्टर को सही आदेश जारी करें, तभी सही गिरदावरी हासिल कर सकते हैं वर्ना आज सरकार के सामने पटवारी गलत आंकड़े पेश करते हैं और उन गलत आंकड़ों के आधार पर सारी सरकार चलती है। गलत आंकड़ों की वजह से ही खाद्य समस्या इतनी भयंकर हो गई है जो समस्या आज पैदा हुई है वह गलत आंकड़ों की वजह से पैदा हुई है।

अगर आपके पास सही आंकड़े होते तो जो देश के सामने खाद्य समस्या आती है, वह उपस्थित नहीं होती। इसलिए कम से कम पटवारी के आंकड़े हैं खाद्य के संबंध में वह सही बनाने का प्रयत्न करें। ताकि लोगों के सामने वास्तविक नक्शा आवे और उस पर आपको मनन करने का मौका मिले। यही मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री भगणलाल (हिन्डौन-सु.): सभापति महोदय, अभी माननीय मन्त्राणीजी ने अपना स्टेटमेन्ट पढा, मैं भी ध्यान से उसे सुन रहा था और आशा लगाए हुए था कि जिला सवाई माधोपुर का नाम उसमें आना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हमारे यहां कई बार ऐसी समस्या आई है जिसमें हमारे यहां के लोगों को अनाज के लिए बड़ी परेशानियां और दिक्कत उठानी पड़ी है। पिछले कई वर्ष से यह समस्या हमारे यहां रही है और इस वर्ष में भी इस तरह की समस्या है क्योंकि सर्दी के कारण एक पूरी फसल नष्ट हो गई थी। लेकिन हमारी सरकार जिला सवाई माधोपुर की तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। किसानों ने हमारे यहां बड़े जोर से इस बात के लिये कहा कि हमारे यहां पर फसल सर्दी के

(श्री श्रवणलाल)

कारण नष्ट हो गई है और खेती बिल्कुल नहीं हुई है, इसलिये लगान माफ कर देन चाहिए । लेकिन वह भी कुछ ही तहसीलों में किया गया है और वह भी कुछ आधारों पर । अब सवाल यह है कि हमारे जिला सवाई माधोपुर में वर्षा की कमी के कारण जो आने वाली फसल है वह भी नहीं के बराबर हो सकती है । कुछ वर्षा होने के कारण बाजरे की फसल कुछ बढ़ गई है लेकिन बाजरे की फसल की शक्ल में से केवल घास ही मिल सकता है, उससे जानवरों के लिए चारा जरूर हो सकता है । लेकिन जहां तक अन्न की पैदावार का सवाल है, वह अन्न की शक्ल में पैदा नहीं होगा । तो माननीय मन्त्री महोदय से मैं प्रार्थना करूंगा कि जिस तरह से बीकानेर और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में आपने अकाल घोषित किया है उन डिस्ट्रिक्ट्स के साथ में आप डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर को भी लें । आप अपने कलेक्टर से वहां की पूरी इन्क्वायरी करा कर इस बात की घोषणा करें कि डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर अकाल ग्रस्त है । वहां पर जिस तरह की आज समस्या है वह इतनी खराब है कि लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है । जो इम्पोर्टेड व्हीट होता है जो बाहर से आता है वह भी लोगों के लिए नहीं के बराबर आता है ।

दूसरे में, इस बात के लिए प्रार्थना करूंगा कि पिछली फसल का अधिक गेहूं किसी व्यक्ति के पास पड़ा है तो उसको लेने का अधिकार है वह एस. डी. ओ. ने ले रखा है और वह गांव में से गल्ला पकड़ सकता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो गल्ला पकड़ा जाये उस गल्ले का वितरण उसी गांव में करायें जिससे कि जो बेचारे भूखे लोग और गरीब लोग हैं जो यह आशा लगाए हुए हैं कि कब सरकारी गल्ला आएगा और कब हमें भरपेट भोजन मिलेगा, और उन लोगों को मिल सकेगा । मैं निवेदन करूंगा कि डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर में गल्ला पकड़ा जाय उसको उसी गांव में वितरण कराने की व्यवस्था की जाय जिससे वहां के लोगों को गल्ला सुविधाजनक रूप से मिल सके ।

इसके अलावा हमारे यहां जो छोटे छोटे बांध हैं जिनके लिए यह आशा की जाती है कि इनमें पानी भर जाय तो आगे आने वाली फसल अच्छी हो जाय । लेकिन उनमें पानी नहीं आने के कारण यह हालत हो गई है कि आने वाली फसल के संबंध में भी लोगों को बहुत परेशानी होगी । इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वहां भी ऐसे कार्य प्रारंभ कराये जायं, जिससे जो गरीब तबके के लोग हैं, अकाल पीड़ित लोग हैं, वह वहां पर जाकर वर्क कर सकें और अपना जीवन बिता सकें । इतना ही नहीं, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो वर्क हो रहे हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग का है और दूसरी सहायता का है, उन सबमें जो अधिक गरीब लोग हैं उनकी अधिक सहायता करें ताकि वे जिन्दगी में ज्यादा परेशानी नहीं उठावें, ताकि उनके जीवन में सुख आये और अपने बच्चों का अच्छी तरह पालन कर सकें । इसके साथ साथ माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जल्दी से जल्दी डिस्ट्रिक्ट सवाई माधोपुर को अकाल ग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें ।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : सभापति जी, वैसे अकाल की स्थिति पर बहुत अच्छी तरह से माननीय मंत्री महोदया ने प्रकाश डाला है और जैसा कि आपने फर्माया, बारह जिलों में बहुत ही भयंकर अकाल की

(श्री मुरलीधर व्यास)

स्थिति है और इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अन्दर इस समय अकाल की स्थिति बहुत ही भयंकर है। उसके साथ साथ खास कर बीकानेर जिले के लिए भी इस बात को कहा कि वहां पर एक हजार टन अन्न की व्यवस्था की गई है। यह अन्न वहां पर मिलेगा या नहीं--इसका तो वह जबाब देंगी ही। लेकिन किस प्रकार की व्यवस्था है, क्या नहीं है उसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण इसमें नहीं किया गया है।

दूसरे सबसे बड़ा सवाल मैं सदन के सामने यह रखना चाहता हूं कि अकाल की जो स्थिति है इस स्थिति में अनाज से बहुत ज्यादा सरकार का संबंध है। और राजस्थान में जहां तक अनाज का सवाल है, अनाज की व्यवस्था करने के लिए खाद्य मंत्री अलग हैं और अकाल मंत्री अलग हैं। इन दोनों में जब तक परस्पर संबंध नहीं हो और कम से कम एक मंत्री के पास दोनों विभाग नहीं हों··

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): क्या सम्बंध कराना चाहते हैं?

श्री शीशराम ओला (खेतड़ी): यह कहती हैं, दोनों के उप-मंत्री एक हैं।

मुरलीधर व्यास: एक हैं, मैं कहता हूं खाद्य का जहां तक मामला है वह इस प्रकार का है कि उसमें सब कुछ मंत्री म ोदय ही करते हैं और उसके कारण खाद्य का ढांचा इतना बिगड़ जाता है कि राज्य के अन्दर से बहुत तेजी से माल बाहर चला जाता है और उसके कारण स्थिति बहुत खराब हो जाती है। जैसी आज के समय में भी स्थति है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहां से किसी प्रकार का भी अनाज बाहर चला जाये, तो उसकी गवर्नमेण्ट आज्ञा कैसे देती है, उसके लिए परमिट कैसे इश्यू किये जाते हैं? मैं कहना चाहता हूं कि आज की स्थिति की भयंकरता को देखते हुए यह करना चाहिए कि यहां से किसी प्रकार के अनाज की निकासी नहीं हो। अगर इस प्रकार का स्ट्रिक्टली प्रतिबन्ध नहीं लगा निकासी पर तो वही स्थिति होगी जैसी जयपुर में है। जयपुर में कहते हैं कि अनाज काफी है, लेकिन बाजार में लोगों को जौ भी नहीं मिलते हैं। तो राजस्थान में आज इस प्रकार की स्थिति है कि लोगों को जौ भी उपलब्ध नहीं होते हैं। जो ऐसे इलाके हैं जहां अन्न का अच्छा उत्पादन होता है, वहां के भावों की हालत को देखते हैं तो ऐसा मालूम होता है कि यह अच्छी फसल का इलाका है, अच्छा उत्पादन होता है फिर भी इतनी अनाज में महंगाई है। ऐसी स्थिति में अधिक अन्न वाले इलाके में भी महंगाई ज्यादा है, तो इस पर जब तक काबू नहीं पायेंगे, मैं सदन में सरकार को इतना आगाह कर देना चाहता हूं, कि इसके संबंध में स्ट्रिक्टली कदम नहीं उठायेंगे तो इस समय जहां हमारे देश पर लड़ाई का संकट है, वहां सीमा के इलाकों में इस लड़ाई के कारण संकट है, वहां पर दूसरी ओर यह अकाल की स्थिति हो, तो इस पर यदि आपने ज्यादा ध्यान देकर काबू पाने की कोशिश नहीं की, इसके संबंध में मजबूत कदम नहीं उ ाये, तो मैं कहना चाहता हूं कि भविष्य में अकाल ग्रस्त क्षेत्रों में बड़ा भारी नुकसान हो सकता है।

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि इस मामले में थोड़ा नीति को स्पष्ट कर दीजिये, क्योंकि आज जो अकाल की स मस्या राजस्थान के अन्दर है, उसके साथ ही जो अन्न का मामला है जो गेहूं का,

(श्री मुरलीधर व्यास)

मामला है गेहूं की स्थिति तीन महीने के बाद खराब हो जायेगी और अनाज के अन्दर मंहगाई का सवाल भी भयंकर हो जायगा क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि हम गेहूं देंगे नहीं। अमेरिका देगा नहीं तो गेहूं हमारे यहां बाहर से आने वाला नहीं है और ऐसी दशा में स्थिति और बिगड़ सकती है। मंत्राणी जी का कहना है कि वह खाद्य स्थिति को भी देखती हैं तो वह बतायें कि इस पोर्टफोलियों के बारे में आपने क्या किया है ताकि मंहगाई की समस्या पर काबू पाया जा सके? बीकानेर के इलाके में एक महीने के बाद में मालूम पड़ेगा कि वहां पर अकाल की स्थिति कितनी भयंकर है, वहां पर लोगों के भूख मरने तक की स्थिति हो जाएगी। बीकानेर में पहले ही अकाल था, उसके बाद फिर अकाल के कारण हालत खराब है, उस पर भी अनाज मिले नहीं, एक रुपये का एक किलो का बाजरा नहीं आता है, ऐसी स्थिति की ओर मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि मंत्राणी जी बहुत गंभीरता से इस पर ध्यान देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, अकाल की काली घटायें राजस्थान के बहुत से क्षेत्रों पर छायी हुई हैं। गंगानगर में भी इस वर्ष वर्षा चार इंच से नीचे ही हुई है और बहुत से क्षेत्रों में तो कतई वर्षा नहीं हुई है। अनाज की स्थिति भी गंभीर है और एक ओर वर्षा का सर्वदा अभाव है, दूसरी ओर बारानी क्षेत्रों के अन्दर मुकम्मिल फसल नहीं हुई है, कई जगह तो बाजरा मुकम्मिल तौर से जल चुका है। धरती की स्थिति ऐसी है कि धरती में मोईश्चर नहीं है, जिससे कि बारानी क्षेत्रों में चने की व्यवस्था हो सके। दूसरी ओर जो अनाज के वितरण की स्थिति है, अनाज की स्टाक्स की जो पोजीशन है, और अनाज के संबन्ध में जो नीति चल रही है-उसके कारण से लोगों को अनाज उपलब्ध नहीं हो रहा है। गंगानगर में अनाज नहीं मिले, सभापति महोदय, इसका एक साइकोलोजिकल इम्पेक्ट सारे राजस्थान के अन्दर पड़ता है।

जो राजस्थान की सबसे बड़ी मण्डी है और भारतवर्ष की एक मुख्य मंडी है वहां के लोगों को अनाज नहीं मिले, राजस्थान सरकार को इस स्थिति को बडी गंभीरता से लेना चाहिये, क्योंकि इसका इम्पेक्ट राजस्थान पर है और इसका असर भारतवर्ष के बहुत से क्षेत्रों पर पड़ा है। रायसिंहनगर, सूरतगढ आदि में लोगों को एक रुपये किलो का आटा लोगों को नसीब नहीं है। और यदि जून, जुलाई और अगस्त में आपको आस्ट्रेलियन गेहूं देना पड़े और वह भी आप काफी मात्रा में उपलब्ध नहीं करा सकें तो उसका असर दूसरी मंडियों पर पड़ा है और नतीजा यह था कि दूसरी मंडियों से भी अनाज गायब हुआ है। मुझे याद है कि गंगानगर में जन और जुलाई में सैंकड़ों महिलाओं ने कलेक्टर के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया और उसमें उन्होंने इस बात की मांग की कि उनको एक रुपये का एक किलो आटा भी नहीं मिल रहा है। जब यह सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित होकर आई तो इसका असर दूसरी मण्डियों पर भी पड़ा और जयपुर, सीकर और कोटा की मण्डियों में भी चार-चार रुपया क्विन्टल भाव चढ गये।

Page No 54

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

मैं यह निवेदन करूंगा कि प्रायः बोर्डर क्षेत्रों में यह स्थिति बहुत गंभीर है। आपने १२ अगस्त को मोटा अनाज बाहर जाने से रोका और बाहर जाना बन्द करने का आदेश दिया। इसका असर क्या हुआ? इसका असर यह हुआ कि एक मंडी पर १४ तारीख को जहां सैंकड़ों ट्रक्स माल ले जाने के लिये खड़े थे और सारी एन्ट्रीज नाहरसिंहजी दर्ज कर रहे थे और जब टेलीफोन से कलेक्टर, और ए. डी. एम. को इत्तला दी गई कि इस प्रकार से माल बाहर जा रहा है तो वे तुरन्त घटना स्थल पर नहीं पहुंचे और इसका नतीजा यह हुआ कि ट्रक्स में बहुत सा स्टॉक बाहर चला गया और उसके बाद में उन्होंने सप्लाई ऑफिसर को सस्पेण्ड किया मगर जो व्यक्ति दोषी था, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की। मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां के लोगों ने खुद ने अपनी तरफ से डाइरेक्टिव लेकर उनको स्टेशन पर जाने से रोका। इस प्रकार की स्थिति चल रही है। अभी भी गंगानगर में एन्टीडेटेड स्टॉक पड़ा हुआ है और काफी मात्रा में है। सरकार उसको बाहर निकलवाने का प्रयत्न करे। अभी भी काफी एन्टीडेटेड स्टॉक पड़ा हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि एन्टीडेटेड स्टॉक है उसके बारे में जुडिशियल इन्क्वायरी करवा कर उसको सीज करें। इसका असर गंगानगर पर ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान पर पड़ने वाला है।

अब अकाल के राहत कार्यों पर कुछ कहूंगा। बीकानेर, चूरू और गंगानगर इन तीनों डिस्ट्रिक्ट्स में कम्पलीट फैमिन की हालत हो चुकी है। वहां के अधिकारी यदि अपनी रिपोर्ट न भेजें तो यह उनकी शिथिलता है। अभी गंगानगर की रिपोर्ट नहीं आई है। मैं इस संबंध में उप-मंत्राणीजी की प्रशंसा करूंगा कि वे इसमें काफी सतर्कता से काम करती हैं और गंभीरता से कदम उठा रही हैं। मैंने जब उनसे पर्सनली जाकर कहा तो उन्होंने कलेक्टर से रिपोर्ट मांगी। यह बात सही है कि कलेक्टर उस मामले पर बैठे रहें और रिपोर्ट नहीं भेजे तो उसकी कोई उनकी जिम्मेदारी नहीं। अभी भी वे मुझ से मिलीं तो उन्होंने बताया कि रिपोर्ट मांगी वह आ गई होगी। उनकी उत्सुकता प्रशंसनीय है। लेकिन हमें इस संबंध में विशेषकर बोर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के लोगों के मोरेल को कायम रखने के लिये बहुत थोरो स्टेप उठाने चाहियें।

सभापति महोदय, हमें इस दलील में नहीं पड़ना है कि किसान के पास ज्यादा स्टॉक है या बनिये के पास है। इस झगड़े में पड़ने से अच्छा तो यह हो कि सरकार एक खरीदार की शेप में बाजार में उतरे और उसे अपना बफर स्टॉक क्रियेट करना चाहिये। गंगानगर की ओर से वहां की जिला परिषद् ने ध्यान आकर्षित किया। कलेक्टर ने २० परसैन्ट अनाज सीज किया और लेवी ली और थोड़ा सा स्टॉक प्राप्त किया। लेकिन सरकार ने इस सम्बन्ध में भी अपनी लापरवाही दिखाई और इस प्रकार के कोई आर्डर कलेक्टर को नहीं मिले। उस कलेक्टर ने जिला परिषद् के लोगों के कहने से अपने आपको रिस्क में डाला। ऐसी भी स्थिति आई कि सरकार ने यह कहा कि आपने यह स्टॉक क्यों क्रियेट किया। मगर मैं निवेदन करूंगा कि गंगानगर के कलेक्टर ने जो यह २० परसेन्ट नाज इकट्ठा किया उससे थोड़े लोगों को रिलीफ अवश्य मिला। इससे वहां पर कुछ दुकानें खोलकर

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

लोगों के लिये अनाज का प्रबन्ध कर सकें। चूंकि बाजार में भी अनाज नहीं आ पाया और स्थिति बहुत गंभीर है, दूसरी छोटी मंडियों में अनाज कतई उपलब्ध नहीं हो रहा है इसलिये मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अकाल के कार्य को, जो ग्रेन की प्रोबलम से जुड़ा हुआ है, पूरा करें। इस संबंध में केवल आश्वासनों से काम चलने वाला नहीं है। आपको चाहिये कि चाहे किसान हो, चाहे बनिया हो जिनके पास पुराना स्टाक है उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। आज ऐसे व्यक्तियों के लिये, जो देश द्रोही हैं, उनके मकानों में जगह नहीं है उनके रहने के लिये जगह है तो जेल है।

श्रीमती कमला बेनीवाल (उप-मंत्री, खाद्य) : सभापति महोदय, जो मैंने स्टेटमेन्ट दिया उसके बारे में भिन्न भिन्न जगहों से आने वाले माननीय सदस्यों ने वहां के हालात के बाबत जानकारी दी और अपने अपने विचार प्रकट किये। हो सकता है इस रिपोर्ट में अभी पूरा ब्योरा नहीं आया हो। जैसा मैंने आपको बताया कि यह रिपोर्ट अनोपचारिक है और रिपोर्ट आने के बाद में और भी अधिक गांवों को डिक्लेअर करना पड़े। अनुमानितः यह रिपोर्ट दी गई है। जो रिपोर्ट आई है गिरदावरी में, उसमें तरमीम हो सकती है। कई माननीय सदस्यों ने बताया है कि कई कलेक्टरों ने अपने जिले की स्थिति को जाहिर नहीं किया है। मैं यह निवेदन करूंगी कि माननीय सदस्यों की भावना को ध्यान में रखते हुए संबंधित जिलाधीशों को लिखा जावेगा कि वे इस बात की तसदीक करें कि वास्तव में स्थिति खराब है या नहीं और जैसी गिरदावरी की रिपोर्ट फाइनल में आवेगी उसके अनुसार कार्य करेंगे। इसलिये तब तक यह प्रश्न नार्मल-वे में पैदा नहीं होता जहां पर एब्नोर्मल कन्डीशन्स है वहां पर एड-हॉक तौर पर यह किया गया है। इसके अलावा सभी कलेक्टरों को आदेश दिये हुए हैं कि वे जहां पर अकाल की स्थिति हो वहां पर काम चालू करके संकशन हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगी कि जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा है उसी प्रकार राज्य सरकार को अपने अपने क्षेत्रों की स्थिति से समय समय पर अवगत कराते रहे तो ज्यादा उपयोगी होगा।

अनाज की स्थिति के बारे में जो आपने परिस्थितियां बताई उससे मेरी सहमति है उसके लिये इन्तजाम करना जरूरी है। इसमें विभाग की तरफ से खाद्य मंत्री और चीफ मिनिस्टर को परिस्थितियों से अवगत कराया जा चुका है और मंत्री महोदय इस बात पर काफी गंभीरता से सोच रहे हैं। वे दिल्ली पधारें आवश्यक कार्यवाही करने के लिये और चीफ मिनिस्टर भी भारत सरकार से इस संबंध में बातचीत करके माकल प्रबंध करने की व्यवस्था करेंगे।

इसलिए स्थिति की गंभीरता और विस्तार को देखते हुए राजस्थान सरकार अपनी तरफ से पूर्ण व्यवस्था करेगी और जिस प्रकार पिछले अकाल के समय पूरी व्यवस्था की, पूरा संतोष देकर संकट का निवारण सरकार कर चुकी है उसी प्रकार हम कोशिश करेंगे कि जनता को इस संकट से निकाल सकें।

गैर सरकारी सदस्य कार्य

(क) नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४

(विचार कुछ समय तक के लिये स्थगित)

श्री सभापति : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि आज एक संकल्प है जो श्री रामानन्द अग्रवाल ने पिछले सत्र में रखा था। एक विधाई कार्य की दृष्टि से नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ भी आज की कार्य-सूची में है। इसके अतिरिक्त दो विधेयक प्रस्तुत किये जाने वाले हैं, एक श्री पोहूमल ईसरदास का, और दूसरा श्री अब्दुल जब्बार खां का है। इनके संबंध में सदन जिस प्रकार की व्यवस्था चाहेगा, संकल्प पर पहले विचार हो या विधाई कार्य पर। नाथद्वारा संशोधन विधेयक को एक नई सिलेक्ट कमेटी को भिजवाने के बारे में माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे हैं और सरकार की तरफ से भी सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव है। अगर बिना वाद-विवाद किये ही सिलेक्ट कमेटी में भेजना हो तो इसको पांच मिनट में डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : बिजनैस इडवाईजरी कमेटी ने तो प्रायोरिटी बाकायदा फिक्स कर दी है।

श्री सभापति : मैं प्रायोरिटी में चेन्ज नहीं कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि नाथद्वारा टेम्पिल (अमण्डमेन्ट) बिल, १९६४ को सरकार सिलेक्ट कमेटी में भेजना चाहती है और माननीय सदस्य भी भेजना चाहते हैं, अगर उसे सिलेक्ट कमेटी को भेजना है तो पहले पांच मिनट में इसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। अगर उस पर वाद-विवाद करना है तो प्रायोरिटी फिक्स है ही।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक एक माननीय सदस्य सभी पार्टीज के बोलेंगे।

श्री सभापति : सरकार क्या कहना चाहती है ?

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : इन दोनों संकल्पों में आधा आधा समय वितरित कर दिया जाय। अगर माननीय सदस्यों की इच्छा हो तो पहले नाथद्वारा टेम्पल (अमेंडमेंट) बिल को ले लीजिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (देवस्थान मंत्री) : अगर नाथद्वारा विधेयक पर बहस ही करना चाहते हैं तो मुझे एतराज नहीं है। वरना मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक को इस वक्त पोस्टपोन कर दिया जाय। अगर इजाजत हो तो इसके कारणों पर प्रकाश डालूं।

श्री सभापति : इजाजत है।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदय, यह विधेयक जिन हालात में बनाया गया उनसे माननीय सदस्य वाकिफ हैं। जब अमेंडमेन्ट बिल आया तो इसे प्रवर समिति के सुपुर्द किया गया। इसके बाद लिटिगेशन हुआ। तिलकायतजी के द्वारा विधेयक को हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में चेलेंज किया गया। जो पोइन्ट्स विधेयक में हैं उन पर डाइरेक्ट और इन्डाइरेक्ट ऑब्जर्वेशन्स हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हैं उन पर तिलकायतजी की तरफ से और हमारी तरफ से एग्री हुए। तिलकायतजी के एडवोकेट हैं, श्री सीतलवाड़ जो एटार्नी जनरल थे गवर्नमेन्ट की तरफ से और श्री दफ्तरीजी गवर्नमेन्ट की तरफ से एडवोकेट थे, ये दोनों मिलकर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट हैं ऑब्जर्वेशन्स हैं उनकी लाइट में रूल्स बना दें, उनको तिलकायत जी मान लेंगे।

(श्री दामोदरलाल व्यास)

दो खास मुद्दे हैं; एक तो यह कि महाराज प्रेसीडेन्ट बनें और कुछ सर्विसेज के एपोइन्ट-मेन्ट वगैरह की बात है, तो दोनों को हमने रेफर कर रखा है और उसका इन्तजार है। और इस जमाने में पुष्टिमार्गी वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले हैं उनके तार आये हैं, उन माननीय सदस्यों की भावनाओं को जानने की कोशिश की है, उनकी राय आ जायगी तो हम इस मामले को जल्दी से जल्दी फैसला करके ला सकेंगे। इसलिये आज इस पर बहस करने में कोई खास नतीजा निकलने वाला हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि गवर्नमेंन्ट का पोइन्ट ऑफ व्यू इस सिलेक्ट कमेटी में बिल्कुल नहीं रखा गया, किसी कारण से एमर्जेन्सी की वजह से गवर्नमेन्ट की तरफ से जो सदस्य थे वे कहीं चले गये थे, सिलेक्ट कमेटी ने उनकी अदम मौजूदगी में ही डिस्कशन करके निर्णय लिया है। इसलिये मैंने प्रस्ताव किया है कि इस संशोधन विधेयक को एक नई सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय। यह सुप्रीम कोर्ट के जजमेन्ट से कवर हो जाता है, उनको इम्प्लीमैन्ट कर देते हैं, यह देखने को इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय। वह इसे फाइनल शेप में सदन में ले आयेगी वह ज्यादा अच्छा होगा। इसलिये मेरी अर्ज है कि इस बिल का कन्सीडरेशन अभी स्थगित कर दिया जाय और इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय तो जल्दी से जल्दी कोई कार्यवाही करके सदन के सामने ले आयेगी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): सभापति महोदय, प्रोपोजल किया जाता है .....

श्री दामोदरलाल व्यास: मेरा अर्ज करना यह है कि यदि किसी माननीय सदस्य को इस पर वाद-विवाद करने में दिलचस्पी हो तो समय क्यों खराब किया जाय, नम्बर से ले लिया जाय।

श्री मुरलीधर व्यास: आपने मेरी बात नहीं सुनी और कह दिया। आपका प्रस्ताव है कि इस बिल को नई प्रवर समिति को दिया जाय। जो इस प्रवर समिति के सदस्य हैं उनकी राय का क्या होगा ? गवर्नमेंट का पॉइन्ट ऑफ व्यू नहीं आया, वह आ सकता है। पर आपने जो नई प्रवर समिति का प्रस्ताव रखा है वह जचता नहीं है।

श्री दामोदरलाल व्यास: उसी प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय; इसमें तो मैं अमेण्डमेन्ट करने को तैयार हूं, यह स्लिप ऑफ पैन है। The same Select Committee..

श्री रामानन्द अग्रवाल: फिर तो सरकार की तरफ से बाकायदा मोशन मूव हो रहा है कि सिलेक्ट कमेटी को इसे रेफर कर दिया जाय। इसी तरह से मेरा मोशन है कि इसे जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। या तो सिलेक्ट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसे विथड्रॉ किया जाता तब तो मान जाते कि गवर्नमेंन्ट सिलेक्ट कमेटी को और टाइम देना चाहती है। या और माननीय सदस्यों ने अपनी राय जाहिर की है; जैसे ढाबरियाजी हैं। उस संप्रदाय के कुछ लोगों को बुला कर तिलकायतजी से बात करके प्रवर समिति को सुनना चाहिये था। तो यदि सिलेक्ट कमेटी के चेयरमैन अपनी उस रिपोर्ट को विथड्रॉ करें जो उन्होंने सबमिट की है, वर्ना नया मोशन हो तो उस पर बहस हो जाय और उसके बाद जैसा भी हाउस निर्णय करना चाहे कर दे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : जैसा कि अभी अभी मंत्री महोदय ने कहा, नाथद्वारा टेम्पल बिल को स्थगित कर दिया जाय या पहले की प्रवर समिति को वापिस भेजा जाय, इस बारे में ....

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं साफ कर दूं। मेरा पहला इन्टेन्शन यह है कि इसे स्थगित कर दिया जाय। प्रवर समिति में तो उस समय भेजा जाय, if the Hon'ble members want to discuss it. Then I will press for my amendment to refer it to the Select Committee....

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय सदस्य अगर एग्री कर लें तो आज के एजेंडा से इसे विथड्रॉ कर लिया जाय।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : स्थगित हो जायगा तो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई उसका क्या होगा ? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स के आधार पर मिल कर दूसरी बात करेंगे तो सिलेक्ट कमेटी के माननीय सदस्य हैं जिन्होंने असहमति-पत्र प्रस्तुत किया है उनको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिये। इसलिये रामानन्दजी के संकल्प के लिये और इस विधेयक के लिये आधा आधा समय बांट लिया जाय।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, बात बहुत सीधी है। न मालूम मंत्रीजी को इतना क्यों हो रहा है ? क्या तो सीतलवाड़ साहब करेंगे और क्या दफ्तरी साहब करेंगे ? सरकार को करना था तो कभी का ही कर सकती थी। क्यों डिले किया जा रहा है ? यह धार्मिक मामला है, हिन्दुओं के धार्मिक मामले को ठेस पहुंचाने वाली बात है। तिलकायतजी जो नाथद्वारा न बिराज कर बम्बई बिराजमान हैं उन्होंने यह प्रण लिया है कि जब तक इस मामले का सही ढंग से फैसला नहीं होता तब तक नाथद्वारा नहीं पधारेंगे। यह बहुत सोचनीय स्थिति है। आज देश पर इस प्रकार के बादल मंडरा रहे हैं, उसमें भी मैं श्रीनाथजी और एकलिंग महाराज की नाराजगी मान कर चलता हूं। मंत्री लोग तो धर्म का मामला समझते नहीं हैं, इनके लिए धर्म कोई चीज नहीं है, लेकिन जो हम लोग हैं धर्म भी हैं, धर्म से डरते हैं, उनके लिए बड़ी बात है और सिर्फ हिंदुओं को ही सिंगल आऊट किया जाता है। यही आप चर्च के मामले में पादरी को निकाल कर कोई दूसरा इंतजाम करें। यहां जो विरोध हुआ मंदिर की प्रोपर्टीज के बारे में, अब प्रोपर्टीज के बारे में कुछ भी नहीं है लेकिन पूजा वगैरह का इंतजाम अविलंब होना चाहिए और पूजा का मामला जहां तक है तो उसमें आपको कुछ करना जरूरी नहीं है। वह तो महाराज को पूरा अख्तियार होना चाहिए। आप किसी पंडित को मस्जिद में बिठाएं तो मैं मानूंगा कि व्यासजी सही ढंग से चल रहे हैं; तो गिरजे का सवाल आया तो यह नहीं होगा, लेकिन हिंदुओं के मंदिरों की पूजा का जहां ताल्लुक है तो उनको सरकार बदल सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यदि बहस ही करानी है तो बाकायदा करा दीजिए।

श्री सभापति : सोच तो मैं भी यही रहा हूं।

श्री मानसिंह महार : मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक प्रोपर्टीज वगैरह का सवाल है उसको चाहे अपने हाथ में लें या जिस तरह से पहले किया उस तरह से कर लें तो मुझे नाराजगी नहीं है लेकिन

(श्री मानसिंह महार)
जहां तक पूजा का सवाल है, हम इस मामले में क्लीयर कट हैं। पूजा के मामले में महाराज श्री को पूर्ण अधिकार होने चाहिए, इसमें दो राय नहीं।

श्री सभापति : तो फिर वाद-विवाद हो जाय आज ही ?

श्री मानसिंह महार : महाराजश्री को फुल पॉवर्स दी जांय प्रोपर्टीज के मामले में; मंत्रीजी जैसे चाहें वे करें।

श्री दामोदरलाल व्यास: आपकी सलाह से करेंगे।

श्री मानसिंह महार : इसलिए दो पहलू हैं। जो पूजा का मामला है इसका आज ही फैसला करना चाहिए और मंदिर में महाराज श्री उसी प्रकार बिराजमान होकर पूजा करें, उनका उस पर पूरा कन्ट्रोल होना चाहिए, क्योंकि इसमें गड़बड़ हो सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करूंगा कि दोनों को लिया जाय। मेरा जो संकल्प है उसको दूसरे नंबर पर ले लिया जाय। आधा आधा समय दोनों को दिया जाय।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो मंत्री महोदय ने कहा, मैं उनकी विचारधारा से विशेष भिन्नता नहीं रखता क्योंकि दरअसल में यह धर्म का कार्य है; इसमें किसी प्रकार की पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुख की बात है कि ६ वर्ष हो गये इस मामले को, इन रूल्स के विषय को लेकर तीन वर्ष हो गए; अभी भी यह मामला सुलझा नहीं है। म सुलझने के कारण पुष्टिमार्गी वैष्णव सम्प्रदाय को तो दुख है ही लेकिन नाथद्वारा के लोगों को भी आर्थिक दृष्टि से और सामाजिक दृष्टि से हानि हुई है, वह दयनीय है। यह पोस्टपोन हो या सिलेक्ट कमेटी में जाय इसमें अंतर नहीं। इसका मतलब है कि सरकार अपनी राय व्यक्त करना नहीं चाहती, इसको आगे बढ़ाना चाहती है। अभी तक सवा लाख तार सरकार के पास आ चुके हैं कि इसमें सम्प्रदाय के लोगों के हितों का ध्यान रखा जाय। सेठ गोविंददास, डाक्टर अणे, प्रकाशवीर शास्त्री; न जाने कितने आदमियों ने लिखित रिप्रेजेन्टेशन्स सरकार के सामने और मुख्य मंत्री के सामने दिये हैं और ६ महीने से बराबर ४०० तार आए हैं। ऐसी हालत में मैं जानना चाहूंगा कि आज ही इस पर विचार क्यों नहीं किया गया ? ऐसी कौनसी स्थिति पैदा हो गई थी ? मैं जानता हूं कि देश में संकटकालीन स्थिति है, लेकिन इससे पूर्व ही सारा मसला चल चुका था। ९ तारीख तक विधान सभा खुली है, यदि ४-५ दिन में फैसला हो सकता है तो मैं निवेदन करूंगा कि जल्दी से जल्दी किसी प्रकार से भी आप सुलझा सकते हैं तो मुझे आपको बात मानने में किसी प्रकार की आपत्ति नहीं होगी।

श्री सभापति : और ४-५ दिन में नहीं हुआ तो ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : वह बहस के लिए प्रेस कर रहे हैं। मेरा मोशन कि नहीं होनी चाहिए। ५ दिन में इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर जनता की राय लेनी चाहिए।

श्री मानधातासिंह (महुआ) : मैंने भी प्रस्ताव दिया है।

श्री सभापति : उसको बाद में लेंगे। यह प्रश्न दूसरा है। मैं माननीय सदस्यों की राय

(श्री सभापति)
जानना चाहूंगा ताकि उसी हिसाब से समय का बटवारा किया जाय। एक संकल्प भी है और विधेयक भी है और जहां तक मैं जान पाया हूं, सदन चाहता है कि जो मंत्री महोदय ने प्रस्ताव रखा है सिलेक्ट कमेटी में भेजने का या अन्य माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव रखे हैं चाहे वे जनमत जानने हेतु हों या सिलेक्ट कमेटी में भेजने हेतु वे प्रेस करना चाहेंगे, डिबेट करना चाहेंगे और सभी इच्छा जाहिर करना चाहेंगे तो वाद-विवाद निश्चित रूप से होगा। तो आप चाहें कि पहले वाद-विवाद को लें। तीन बजे तक ....

श्री विजयसिंह झाला : इस प्रस्ताव और विधेयक पर विचार किया जाय या नहीं, इस पर निर्णय करना है और मंत्री महोदय पोस्टपोन करना चाहते हैं तो मैं वह लिमिट जानना चाहता हूं।

श्री दामोदरलाल व्यास : इसे अभी पोस्टपोन किया जाय। माननीय सदस्यों ने चाहा कि समय निर्धारित करें। मैं निवेदन करता हूं कि हम जल्दी से जल्दी इसे करना चाहते हैं। दफ्तरी और सीतलवाड़ साहब की और राय जाननी है। लेटेस्ट चिट्ठी जो आई थी उससे मालूम होता है कि सीतलवाड़ साहब १५ सितम्बर को दिल्ली आए थ उसके बाद जो मीटिंग्ज अरेंज होने वाली थीं वे नहीं हो सकीं। वे खुद भी चाहते हैं कि जल्दी फैसला हो और क्योंकि वे दोनों पार्टीज के वकील हैं इसलिए वे मिलकर फैसला कर सकेंगे और यह आगे सत्र में ही आ सकेगा। वे ६ तारीख को मिल रहे हैं, उनकी राय जानकर सरकार निर्णय लेगी।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : ब्राह्मणों का काम मंदिरों में और मौलवियों का काम मस्जिद में रहने का है। सरकार को इन मंदिरों, मस्जिदों से क्या लेना-देना ? आप इसको संस्कृति के आधार पर जल्दी से जल्दी टेक-अप करें और जिनका काम हो उसे सौंप दें।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : जब मंत्री महोदय कहते हैं कि सीतलवाड़ साहब से कोई राय लेनी है तो कम से कम इस सदन में डिस्कशन हो जाय तो उसके अन्दर कोई बात आए, वह भी सरकार के समक्ष रहेगी और उस पर वाद-विवाद हो ....

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेंगू) : हम सब का वक्त खराब होता है। मंत्री महोदय को सिलेक्ट कमेटी में आना चाहिए था।

श्री सभापति : इस विधेयक को पहले हम ले लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आधा-आधा समय दे दें।

श्री सभापति : लगभग साढे तीन बजे तक ले लेंगे।

श्री विजयसिंह झाला : पहले संकल्प ले लो।

(ख) राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५
(पुरः स्थापित)

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, मैं राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, १९६५ को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

(श्री सभापति)

अनुमति प्रदान की गई ।

श्री अब्दुल जब्बार : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं ।

श्री सभापति : श्री पोहूमल ईसरदास ।

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास : फिर इस संकल्प को ले लिया जाय । नाथद्वारा बिल तो अपने टाइम पर आवेगा । My motion was only for adjournment. If it is not being adjourned then it will have its own chance.

(१.५० म० प०)

(ग) विभिन्न नगरों की कच्ची बस्तियों में बसने वाले नागरिकों द्वारा काबिज जमीनों पर बिना किसी कीमत के मालिकाना हकूक देने विषयक संकल्प

(सप्तम सत्र, १९६५ में दिनांक ६ अप्रेल, १९६५ को प्रस्तुत संकल्प पर अग्रेतर वाद-विवाद)

श्री सभापति : So we are taking the Resolution first. Yes, Shri Kedar Nath.

संकल्प निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया : "[इस सदन की राय में राजस्थान के विभिन्न नगरों की कच्ची बस्तियों में बसने वाले नागरिकों की अव्यवस्थित स्थिति को स्थायी रूप से व्यवस्थित बनाने के लिये, उन्हें अपनी बसावट में कब्जे की जमीन पर बिना किसी प्रकार की कीमत लिये मालिकाना हकूक दे दिये जायं ।"

श्री केदारनाथ द्वारा इस पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किया गया :—

संकल्प के अन्त में जोड़ा जाय—"तथा उन्हें गृह-निर्माण के लिये बिना ब्याज के लम्बी अवधि की किश्तों में कर्ज भी दिया जाय ।]"

श्री केदारनाथ (गंगानगर) : माननीय सभापतिजी, जो संकल्प श्री रामानन्दजी ने ६ अप्रेल, १९६५ को इस सदन में रखा इस संकल्प के मार्फत एक बहुत अहम समस्या हमारे सामने रोशनी में लाई गई है । झुग्गी में रहने वाले, झोंपड़ी में रहने वाले या कच्ची बस्ती में रहने वाले इन बस्तियों के निवासी आज से ही नहीं आदिकाल से चलते आ रहे हैं । जब से लोगों ने मैदान में आकर बसना शुरू किया, खेती-बाड़ी का धन्धा शुरू हुआ और मकानों का निर्माण हुआ, अगर मैं यह कहूं कि जब से हिन्दुस्तान की सभ्यता का विकास शुरू हुआ, मानव विकास का सवाल हुआ, झुग्गी-झोंपड़ी का सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है । लोग बसने लग गये उस वक्त वह व्यवस्था थी और उसके लिहाज से जो खेतों के मालिक थे वे गांव के बीच में बसे और जो खेतीहर मजदूर थे और हरिजन जाति के थे वे गांव के बाहर बसे । यह समस्या का जैनिसिस है । इसके आधार पर यह समस्या आदिकाल से चलती आ रही है । पहले यह गांवों में शुरू हुई । रोजगार के रास्ते कम हुए या समाप्त हुए, गांवों पर प्रेशर बढ़ा; इन लोगों का मूवमेन्ट हुआ । जो खेतीहर मजदूर थे, अपने श्रम को बेचा करते थे, वे शहरों की तरफ आये । वहां इन्डस्ट्री का लगना, शहरों का बसना और उसके साथ साथ रोजगार के साधन होना और उनका आना हुआ । उस वक्त भी जो शहर बसे थे, अन्दर जो लोग बसे वे लोग बसे थे जिनका अपना रोजगार था, अपनी प्रोपर्टी थी और अपनी इन्डस्ट्री थी और शहरों के आउट स्कर्ट्स में वे लोग बसे जो गांवों से चल कर यहां आये, रोजगार ढूंढने के लिये यहां आये, जो अपना श्रम बेच कर

(श्री केदारनाथ)

रोजगार प्राप्त करते थे। तो यह समस्या, देखा जाय तो, गांव से लेकर शहरों, छोटे कस्बों से लेकर बड़े कस्बों तक सारे देश में एक सी समस्या है। कई बार कमीशन रिपोर्ट्स दे चुका है। कमेटी ने रिपोर्ट्स दी हैं। सरकार इसके बारे में कोई इन्टीग्रेटेड पॉलिसी बना सकी हो, कानून की मार्फत इसको लागू कर पायी हो, तो कहना पड़ेगा कि सरकार असमर्थ रही है। इसलिये समस्या आज वैसी की वैसी खड़ी है।

यह किन लोगों की समस्या है? यह उन लोगों की समस्या है जो हरिजन हैं और उन लोगों की समस्या है जो मजदूरी का पेशा करते हैं। इसको हल कैसे किया जाय? सभापति जी, राज्य सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किये हैं कि जिन लोगों का खेती से कोई वास्ता नहीं रहा उनको 'ग्रो मोर फूड' के अन्तर्गत लाखों एकड़ जमीन के खातेदारी राइट्स दे दिये और इसके साथ साथ जो वेस्टेड कम्युनिटीज के लोग थे जिन्होंने जमीनों पर अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेशन कर लिया, ऐसी ९ लाख एकड़ जमीन है उनके ऊपर भी उन लोगों को खातेदारी के अधिकार दे दिये और लोग जो शहरों में आये, कम्पलशन के जरिये से आये रोजगार ढूंढने के लिये, उन लोगों को आज तक आवास के लिये स्थायी निवास सरकार नहीं दे पायी। कई कस्बों और शहरों में बेदखल करने के नोटिस दिये जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि शहर का विकास जब हो सकेगा तब झुग्गियां, कच्ची बस्तियां यहां से हटा दी जायं और अलग मोहल्लों में उनको बसा दिया जाय।

देश में एक तरफ यह नारा दिया जा रहा है कि नेशनल इन्टीग्रेशन हो हम में, भावात्मक एकता हो। मेरे, सभापतिजी, पुख्ता कन्विक्शन्स हैं कि जो कास्ट्स यहां बसी हैं जिस मोहल्ले में बसी हैं वह उन्हीं में रहे तो उनमें कम से कम कास्ट इर्रेगुलेरिटी नहीं पैदा होगी। चाहे ब्राह्मण हो, सिक्ख हो, महाजन हो, राजपूत हो, कोई हो उन बस्तियों में यदि हरिजन बसते रहेंगे तो कभी भी सेग्रेगेशन की भावना नहीं होगी। अगर आप भावनात्मक एकता लाना चाहते हैं तो यह तब ही संभव होगा जब कि सब लोग एक साथ रहें। एक दूसरे के अच्छे स्वभाव का, रहन सहन का असर पड़े। उस चीज से कई चीजें इवोल्व होंगी तो नेशनल इन्टीग्रेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा।

स्थायी अधिकार कैसे दिलाये जायं उनको? जब राजस्थान सरकार ने 'ग्रो मोर फूड' के नाम से खातेदारी हक दिये, अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेशन्स थे उनको भी खातेदारी के अधिकार दे दिये और रेगुलेराइज कर दिया तो उन लोगों को क्यों नहीं स्थायी अधिकार दिये? इसलिये मेरी यह प्रार्थना है कि आज तक १९६५ के साल तक जो जहां बसे हैं उनको स्थायी अधिकार दे दीजिये। अगर किसी न किसी काम से, विकास के काम को उठाना है तो पहले उनको उठायें और फिर बेदखली के दूसरों को नोटिस दें। यह कहना, ताज्जुब कीजिये, ऐसी बात है शहर के आसपास जो लोग बसते हैं वह खेतीबाड़ी की जमीन थी, एक ही जगह की यह बात नहीं है, सारे राजस्थान की यह बात है, उन लोगों ने खेती–बाड़ी को कन्वर्ट कर दिया इन्डस्ट्रीज के नाम से और उनमें बड़े बड़े भवन और कारखाने कायम कर दिये; इसलिये सरकार उनको एक्वायर नहीं कर सकी। गंगानगर का ही उदाहरण दूं।

(श्री केदारनाथ)

बहुत पैसा खर्च किया। कन्वर्शन नहीं करवा सके तो लीज के लिये लेली। इन्डस्ट्री खड़ी है, भवन खड़े हैं। एक तरफ कन्वर्शन हुए, सरकार एक्वायर नहीं करे, झुग्गी-झोंपड़ी वैसी की वैसी! ताज्जुब कीजिये जिन लोगों ने इनको नहीं देखा है, इनके निवास-स्थान, स्वास्थ्य, पर्सनलिटी पर क्या असर पड़ा है? एक फ्रेज है :

"Many a flower flourish in the desert"

श्री बरकतुल्लाखां (स्वायत्त शासन मंत्री) "And waste their sweetness on desert air".

श्री केदारनाथ : इसलिये ये सारी चीजें जाननी होंगी। अगर हम सही चीज का, विकास का मौका देते तो शहरों की खूबसूरती होती और इन लोगों में से कितने अच्छे निकलते और देश की एकता के नाम पर सर्वस्व देते। इसलिये इसको बेदखल न करिये, टाउन प्लानिंग कमेटीज आदि विचार करें कहीं इन्डस्ट्रियल एरिया काम करे।

लैंड कमीशन की सैकिंड रिपोर्ट है, उसने रिकमन्डेशन की है कि देहातों में पंचायत की जमीन में झुग्गी-झोंपड़ी वालों को स्थायी अधिकार दिये जायं और उनको पट्टे दिये जायं और यही एश्योरेन्स यहां रहा था, टाउन प्लानिंग की मीटिंग हुई और फैसले हुए लेकिन उनको कानून की शक्ल नहीं मिली।

इसलिये ज्यादा न बोलते हुए अगर प्रोब्लम हल करना है तो एक फैसला होना चाहिये कि बिना मुआवजा लिये उनको स्थायी अधिकार दें और, सभापतिजी,

(२ म. प.)

आज उनकी हालत ऐसी है कि सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं। जो हैंड टू माउथ रहते हैं जब तक उनको मकान बनाने के लिये लोन्स नहीं देते बिना इन्ट्रेस्ट के और वह भी लम्बी किश्तों पर, तब तक वे अपना मकान नहीं बना सकेंगे।

सरकार के दिमाग में यह बात हो कि यदि उनको स्थायी अधिकार दे दिये गये तो वे बेच कर चले जायेंगे। मैं इसके लिये निवेदन करना चाहूंगा कि जिस प्रकार के आपके कानून जमीन के बारे में हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले की जमीन है तो वह शिड्यूल्ड कास्ट्स वाले को ही दे सकेगा, दूसरा जमीन नहीं ले सकता; इसी प्रकार का कानून इस बारे में भी लागू कर सकते हैं। ऐसा कानून लगा सकते हैं कि दस साल तक यदि कोई पट्टा बेचता है तो वह जिस कास्ट वाले की जमीन हो वह उसी को दे सकता है या फिर सरकार को वह सरेन्डर करे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि वहां पर जो बसता है उसका उस पर स्थायी अधिकार हो और जो जिस मोहल्ले में बसा हुआ है वह उसी में रहे ताकि नेशनल इन्टीग्रेशन की जो भावना है वह पनप सके। जो यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है सारे राज्य में चाहे वह पंचायत की जमीन हो, सरकारी जमीन हो या म्युनिसिपैलिटीज की जमीन हो, सरकार को उनको बसाने के लिये जमीन एक्वायर भी करनी पड़े तो जमीन के मामले में सख्ती से कदम उठाना चाहिये। आपको एक्वीजीशन के पॉवर्स हैं, कम्पेन्सेशन का फैसला हो गया है। हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी हर शहर में गये हैं, उन्होंने खुले दिमाग से सोचा भी है और उन्होंने कुछ

Page No 64

(श्री केदारनाथ)

फैसले भी लिये हैं। वे आज इस बात का ऐलान करेंगे कि १६६५ तक के बसने वाले सारे झुग्गी-झौंपड़े वाले हैं उनको जिस जमीन पर वे बसे हैं उनको स्थायी अधिकार उस जमीन पर बसने का मिल जायगा, उनको बेदखल नहीं किया जायगा और उनको मकान बनाने के लिये बिना ब्याज के लोन दिया जायगा।

मन्त्री महोदय यह कहेंगे कि लो इन्कम ग्रुप स्कीम के तहत लोन दिया जाता है; लेकिन, सभापति महोदय, इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसमें कम्युनिटीज के लिहाज से अलोकेशन नहीं है। शिड्यूल्ड कास्ट्स और हरिजन जाति के लोग हैं उनको वह नहीं मिल पाता है, इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इन लोगों के लिये विशेष रूप से लोन का प्रोवीजन करना पड़ेगा और यह भी ऐलान करना पड़ेगा कि उनको इस तारीख तक उनकी जमीन का स्थायी अधिकार मिल जायगा बिना मुआवजा दिये।

श्री विट्ठल (बांसवाड़ा-सु.) : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री सभापति : This shows how the Government is interested in the business.

(गणपूरक घंटी के पश्चात्)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : सभापति महोदय, मैं बड़े कष्ट और दुःख के साथ आज की बात को शुरू करता हूं। सभापति महोदय, जब राजस्थान के गांवों में कुछ बस्तियों में लोग रहते हैं, जहां दुःख दरिद्रता का ताण्डव नृत्य होता है, बेबस जिन्दगियां गटर में अपनी जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं उस सम्बन्ध में जब संकल्प प्रस्तुत हुआ है तो इस सदन में इस प्रस्ताव पर बहस सुनने के लिये कोरम का अभाव है। यह इस बात की ओर इंगित करता है, कितनी दिलचस्पी हम लोगों की इस प्रकार के प्रस्ताव से सम्बन्धित है। सदस्य चले जायें तो कोई बात नहीं, लेकिन सरकारी बैन्चों पर मन्त्रीगण बस्तियों के लोगों की दुःख-गाथा न सुनना चाहें तो यह तो और भी कष्टदायक बात है।

(श्री निरंजननाथ आचार्य के सदन में प्रवेश पर)

एक माननीय सदस्य : श्री आचार्यजी आ गये हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : वे तो इन गन्दी बस्तियों में भी डी. आई. आर. के तहत मुल्जिम की तलाश में आये हैं।

सभापति महोदय, आज ये कच्ची बस्तियां हमारे देश के १८ वर्ष की आजादी के समय में भी कायम रहें, यह हमारे देश के लिये कलंक है। आचार्यजी आ रहे हैं। मैं उनको भी सुनना चाहता हूं कि उनके महकमे वालों से भी यह झुग्गी-झौंपडी वाले कितने परेशान हैं।

सभापति महोदय, जयपुर शहर को ही ले लीजिये। यहां पर दो लाख से भी ऊपर लोग कच्ची बस्तियों में गुजर करते हैं। राजस्थान की दो करोड़ जनता में २० प्रतिशत जनता इन कच्ची बस्तियों के अन्दर निवास करती है। इन कच्ची बस्तियों की दशा को देखकर राज्य सरकार को यह कभी भी अनुभव नहीं हुआ कि इनका टेक्नो-इको-

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
नामिकल सर्वे कराया जाय । ऐसा विचार कभी राज्य सरकार के मस्तिष्क में नहीं आया । कच्ची बस्तियों के अन्दर किस हद तक दरिद्रता है, किस हद तक दुःखी इन्सान रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इस बारे में सर्वेक्षण कराने की राज्य सरकार ने जरूरत नहीं समझी ।

लोकनाथन् को लाखों रुपया देकर सरकार टैकनो-इकोनोमिकल सर्वे करा सकती है लेकिन आज तक सरकार ने इस बात की आवश्यकता महसूस नहीं की है कि वे अपने राज्य के अन्दर रहने वाले, कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों की टैकनो-इकोनोमिक सर्वे करावे । कुछ राज्यों ने इस ओर प्रयास किया है और उन्होंने इस बात की सर्वे कराई है । आज सरकार ने इस बात को महसूस किया है और मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि देश के ३६ करोड़ लोगों की आमदनी ६८ नया पैसा हैं जिस पर वे अपना गुजारा करते हैं । दस करोड़ की आबादी ४२ न. पै. पर गुजारा करती है और इन लोगों में से शत प्रतिशत वे ही लोग हैं जो कच्ची बस्ती के अन्दर रहते हैं ।

महालनवीस ने इस बात को स्वीकार किया है कि देश की आबादी के एक प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो इस प्रकार की बस्तियों में नहीं रहते हैं ।

जयपुर राज्य के अन्दर यहां के महान् से महान् कलाकार भी इन कच्ची बस्तियों के अन्दर रहे हैं । घाट दरवाजा, नारी का टका, धूल-पट्टी का टीबा, गंगा टॉकीज के पीछे जो रहने वाले लोग हैं, सेवाड़ क्षेत्र के लोग, लाल कोठी के लोग, हसनपुरा में रहने वाले लोग वे हैं जिन्होंने जयपुर की कला को विकसित किया है । यहां के प्रसिद्ध नगीने का काम करने वाले लोग इन्हीं बस्तियों में रहने वाले हैं ।

खजाने वालों के रास्ते के अन्दर जो मूर्तियों का काम करते हैं, उनमें से अधिकतर इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले हैं । मूर्ति कला में जयपुर का सानी रखने वाला अन्य कोई शहर नहीं है । पीतल का काम करने वाले लोग, जिनके काम से यह हमारा देश गौरवान्वित हुआ है वे भी इन्हीं कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं । कालीनों पर काम करने वाले लोग भी यहीं पर रहते हैं, आज उनकी दरिद्रता उनके दुखों की तस्वीर आपको इन कच्ची बस्तियों में देखने को मिलेगी ।

सभापति महोदय, दुःख, दरिद्रता और इन्सान की गिरी से गिरी हालत को देखना है तो इन कच्ची बस्तियों में जाकर देखा जा सकता है । इस समस्या का हल करने का प्रयत्न सरकार द्वारा जो किया गया उसका आप सेवाड़ एरिया में और लालकोठी एरिया में रहने वाले लोगों को देख कर अन्दाज लगा सकते हैं । इसी प्रकार हसनपुरा और गंगा टाकीज के पीछे रहने वाले लोगों से अन्दाज लगाया जा सकता है । इसके साथ साथ गंगानगर शुगर फैक्ट्री के मोलेसस के गन्दे पानी के नले के नीचे जो झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं उनसे इसका अन्दाज लगाया जा सकता है ।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाडा)

सेवाड़ क्षेत्र का एरिया जो जागीरदार की भूमि है उसने उस क्षेत्र के प्लाट बेचे उनका कामदार गुलाबदास है उसने हर तरीके से वहा के रहने वालों को टॉर्चर किया, पुलिस से मिलकर उनके खिलाफ नाजायज मुकद्दमे बनवाये। थानेदार हरिराम के खिलाफ सेवाड़ बस्ती के लोगों ने पचासों दरख्वास्तें दीं, प्लाट्स के बारे में कोहराम मचाया, बार-बार राज्य सरकार को कहा कि जो पैसा दूसरे लोग इन प्लाटों का देने वाले हैं वह हमसे ले लें और हमारे नाम दे दिये जायं लेकिन उनकी बात राज्य सरकार के दिमाग में नहीं आयी। राज्य सरकार ने जागीरदार की ही मदद की। यह बात राज्य सरकार क दिमाग में नहीं आयी कि स्वच्छ इलाके के अन्दर गरीब लोगों को भी रहने का अधिकार है।

१९४७ से पहले हमने, कांग्रेस का अधिवेशन उस जगह किया और उस बस्ती का नाम बापूनगर रक्खा और बापूनगर में जिस तरह गरीब हरिजनों की और कच्ची बस्ती वालों की दुर्दशा हुई वह कांग्रेस के मंत्री महोदय को अच्छी तरह से जान लेनी चाहिये। किस तरह से उनके खिलाफ नाजायज केस बनाये गये, पीटे गये, घायल होकर दो दो दिन तक पड़े रहे। बच्चे चैक आउट नहीं हुए। बातचीत नहीं हुई। झोंपड़ियों को आग लगा दी गई। उनको हर तरह से टैरोराइज किया गया कि वे वहां की अपनी कच्ची बस्ती छोड़ कर चले जावें। बापू के चेलो! तुम अपनी यह काली करतूतें देखो! तुमने क्या क्या उन गरीबों के साथ जुल्म नहीं ढाये हैं। तुम उस बापू के चेले होने का दम भरते हो जिसने इनको हरिजन बताया, इनकी सेवा का व्रत लिया। तुम्हारे ये काले कारनामे इतिहास में मिसाल बनकर रह जावेंगे कि उस बापू के इन तथा कथित अनुयाइयों ने यह किया है।

सभापति महोदय, हसनपुरा में पाच हजार लोग हैं। हजार परिवार वहां अपना गुजर करते हैं। वहां बिड़ला की बॉल बियरिंग फैक्ट्री है। उन झोंपड़ियों को वहां से उजाड़ कर वह जमीन बिरला की फैक्ट्री के एक्सटेन्शन के लिये उनको दे दी गई है। अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट स्कीम बनाता है उनको उधर जमीन पर बसाने के लिये। स्वीकृति हो जाती है। राज्य सरकार के पास वह स्कीम चली जाती है। राज्य सरकार उस स्कीम को टोकरी के गटर में डाल देती है और उसको इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर दिया जाता है कि आओ बिडला, झोंपड़ियों को गिराकर यहां पर अपनी इन्डस्ट्री का विकास करो। उस हसनपुरा के क्षेत्र में जाकर देखिये हजारों एकड़ जमीन पड़ी है। बिड़ला को फैक्ट्री का एक्सटेन्शन हो सकता है, वह और जगह हो सकता है, बहुत जमीन पड़ी है; पर उन गरीब लोगों को झोंपड़ियों की चिता पर ये बिडला का कारखाना खड़ा करेंगे, उस पर उसका अपना प्रोडक्शन होगा। यही राज्य सरकार को मंजूर था।

अनेकों बार प्रश्न इस बारे में सदन में उठे। खाली जगह पड़ी है तो क्या कारण है उसको इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित नहीं करते? क्या कारण है कि पांच हजार लोग जहां अपना गुजर-बसर कर रहे हैं, अपनी दरिद्रता का जीवन किसी तरह चला रहे हैं, वहीं बिड़ला की फैक्ट्री का एक्सटेन्शन हो। यह इन्सानियत के नाम पर कलंक

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

है । इस गांधी के चेलों की सरकार के नाम पर कलंक है । उनकी नीतियों का यह एक जीता-जागता नमूना है कि उन पांच हजार लोगों को वहां से उजाड़ कर उनकी झोंपड़ियों को मिट्टी में मिलाकर बिड़ला का कारखाना बनाना है ।

सभापति महोदय, इतना ही नहीं, मैंने इसके अन्दर एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि जहां पर अलवर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात कही है कि राज्य सरकार इस नीति को ग्रहण करे कि जो कच्ची बस्ती में रहते हैं और जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान पर उनको जमीन देकर उसका पट्टा दे दिया जावे; मैंने उसके अन्दर कुछ संशोधन प्रस्तुत किया है कि उसको कर्जा भी दिया जावे और वह भी लम्बी अवधि का दिया जावे ताकि वह उस पर अपने रहने के लिये मकान भी बना सके । यह बात मैंने कह दी । और मैं अर्ज करूं इस ओर बैठने वालों की आदत है कि वे कहें, पर उस ओर बैठने वाले सदस्यों ने और इस सरकार के हुक्मरानों ने आदत बना ली है कि वे सुनते हैं उसे और सुनने के बाद सदन से जब बाहर निकलते हैं तो उनकी मुद्रा बदल जाती है । वे मुस्कराते हुए जीवन के कलरव में जाकर खो जाते हैं । जो बातें यहां कही गई वे बातें उनके दिल और दिमाग में से निकल जाती हैं । पर हम तो उनको हजार बार कहेंगे । वे अब उनको मानें या न मानें ।

यह भी कहूंगा कि तुमने नहीं सुना तो वक्त आ गया है जब लोग ज्यादा इन्तजार नहीं करेंगे अब । वे तुम्हें कान फाड़ कर सुना देंगे । इस देश के संकटकाल के समय सारा राष्ट्र उठ खड़ा हुआ है और कन्धे से कन्धा मिला कर सिंह गर्जना कर उठा है । जिस तरह से आम आदमी उठ खड़ा हुआ है वह यह भी निश्चय कर चुका है कि वे आपको भी चौकन्ना बना दें । यह एमर्जेन्सी है, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा । अब आपकी ये मौज-बहारें नहीं चल पावेंगी ।

मैंने कर्जे की बात कही है । पर मकानों पर कर्जा देने की जो मौजूदा स्थिति है उसको देखा जावे तो वह भी बहुत गम्भीर है और उस स्थिति को देखते हुए मैं आशा करके नहीं चलता कि यह राज्य सरकार कुछ उनके लिये कर देगी । अप्रेल में सरकार को एक निर्णय लेना था कि जो कर्जा देते हैं मकानात पर उसकी रेट ऑफ इन्ट्रेस्ट बढ़ावेंगे । फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट के दफ्तर के अन्दर छः महीनों तक, सितम्बर के आखीर तक वह कागज पड़ा रहा । इधर वे लोग, जिन्होंने पहली किश्त लेकर मकान बनाना शुरू कर दिया था, दूसरी किश्त के लिये इन्तजार करने लगे और न मिल पाने से जिनका काम बन्द हो गया । जो दरख्वास्तें दी हुई हैं, जिनको लिये कलेक्टर ने एप्रूव कर लिया उनकी दरख्वास्तें तड़पती रहीं । इधर इनके कागज एक महकमे से दूसरे महकमे में उछलते रहे, पर ब्याज की दर पर निर्णय छः महीने तक नहीं कर सके । कलेक्टर चिल्लाते रहे, पर बजट की सैंक्शन नहीं जाती । बजट नहीं जाता । लोग मकान बना रहे हैं लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम और मिडिल इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम वाले, जिनको पहली किश्त के पांच सौ रुपये मिल गये, दूसरी किश्त के लिये जूतियां चटकाते चटकाते उनकी जूतियां उधड़ गई ; जिन्दगी बरबाद हो गई ठोकरें खाते खाते कलेक्टर के यहां पर यही जवाब मिलता रहा कि फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से बजट नहीं आया और

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आ गया तो कलेक्टर साहब के चक्कर शुरू हो गये। अब कलेक्टर साहब के यहां ठोकरें खाते फिर रहे हैं। और पैसा नहीं मिल रहा है। इस सब गम्भीर संकट को जानते हुए भी मैं अर्ज करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि वे इन लोगों को लम्बी अवधि के कर्जे देकर उन्हें मकानों में बसावें।

सभापति महोदय, सरकार की नीतियां कुछ चीजों से बहुत ही स्पष्ट दिखाई देती हैं। और इस दौर के अन्दर मैं एक चीज और अर्ज कर देना चाहता हूं कि सरकार आज इन कच्ची बस्तियों और इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले मजदूरों, कलाकार लोगों के सम्बन्ध में कितनी दुर्लक्ष्यपूर्ण स्थिति को अपनाये हुई है। अभी ई. एस. आई. का अस्पताल, जिसकी जमीन दस रुपया गज में ली गई, जिसकी बाकायदा सैंक्शन हो चुकी थी, वह हॉस्पिटल बकायदा मंजूर हो चुका था, कलेक्टर साहब के पास सैंक्शन पहुंच चुकी थी और उसकी नींव रक्खी जाने वाली थी। जब उसकी नींव आरम्भ हुई तो उस समय एक साहब पट्टा लेकर पहुंचे। ए. आई. के हॉस्पिटल में, जिसमें मजदूर कच्ची बस्ती के लोगों का इलाज होता है, गरीब अपना इलाज कराने जाते हैं, उस अस्पताल की १३ बीघा जमीन अंगूरों की बेलों के लिये किन्हीं महाशय को दे दी गई। वह कब्जा लेने गये। भवानीमलजी उनके साथ पहुंच गये और कहा कि हम किसी प्रकार भी कब्जा नहीं लेने देंगे, यहां अस्पताल नहीं बन सकेगा। यह जमीन तो बाकायदा फलां को दी जा चुकी है। कौड़ियों में वह उस व्यक्ति विशेष को मिली है जो १०) गज की जमीन थी। अस्पताल खटाई में पड़ गया।

इन सारी चीजों को देखते हुए मैं अर्ज कर देना चाहता हूं और मजबूती से अर्ज कर देना चाहता हूं कि 'समाजवाद-समाजवाद' चिल्लाने से समाजवाद आने वाला नहीं है। तुम्हारे समाजवाद का नारा अब छिपा नहीं है। अगर तुम्हारे में समाजवाद का एक कण भी है तो उन कच्ची झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों की जिन्दगियों को बदलने के लिये कदम उठाओ। तब इसकी गारन्टी हो सकती है, विश्वास हो सकता है कि तुम्हारी समाजवाद में कितनी आस्था है। वर्ना समाजवाद का तो मुंह तुम इतना काला कर दोगे कि आने वाले वर्षों में तुम्हारे इस समाजवाद का काला मुंह लोग देख लेंगे तो बेहोश होकर गिर जावेंगे।

गंगानगर शहर को ले लीजिये। दिग्गजों का शहर। बड़े बड़े लोगों का शहर। गंगानगर के अन्दर ६५.५ पर्सेन्ट आबादी बढी है। सारे भारतवर्ष का रिकार्ड है कि इतनी बड़ी आबादी किसी डिस्ट्रिक्ट की नहीं बढी जितनी गंगानगर की बढी है और टाउन में जितनी बढी है, उतनी राजस्थान के किसी शहर में नहीं बढी है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद): बड़ा फर्टाइल एरिया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: मर्द रहते हैं वहां।

श्री गिरधारीलाल व्यास: परिवार नियोजन को अपनाना चाहिये।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: देश के लिये सेवक पैदा करते हैं। परिवार नियोजन वाली बात तो पुरानी हो चुकी।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

आज सरकार इस स्थिति में नहीं है कि गंगानगर के चारों तरफ कहीं से एक बीघा जमीन भी एक्वायर कर सके। गंगानगर की कुछ बस्तियों में नरक की स्थिति है, वहां नारकीय दृश्य उपस्थित है। जब वहां की शुगर मिल के मोलेसेज एकत्रित हो जाते हैं तो गंगानगर शहर के पांच पांच मील के रेडियस में नाक पर कपड़ा लगाये बिना आप चल नहीं सकते, कपड़ा नाक पर से हटा नहीं सकते। इस समय भी शुगर मिल के अंचल में सैकड़ों झौपड़े वहां पर हैं और इतनी कन्जेस्टेड पोपूलेशन है कि एक एक झौंपड़े में बीस-बीस, तीस तीस प्राणी गुजर कर रहे हैं। लेकिन गंगानगर में उनके लिये बसाने के लिये लेंड एक्वायर नहीं हो सकती, उन बस्तियों का उद्धार नहीं हो सकता। वे नर्क में ही अपना जीवन बसर करें। उनके भाग्य में यही लिखा हुआ है। आप अगर एक तरफ चलते हैं तो उमराव एण्ड कम्पनी डेरा लगाये खड़ी है, दूसरी तरफ चलते हैं तो लालपुरियों ने नाका रोक रखा है। अगर तीसरी तरफ चलते हैं तो सेठ लक्ष्मीर बैठे हैं और चौथी तरफ चलते हैं तो सेठ सुगनचन्द जी बैठे हैं।

बड़े बड़े सेठ और साहूकारों ने एग्रीकल्चरल लैण्ड के अन्दर के गंगानगर के चारों तरफ कारखाने बना लिए, शहर के चारों तरफ ईंटों के भट्टे लगा लिए और सैकड़ों और हजारों रुपया उनके ऊपर तावान कायम हो सकता था कानून के मुताबिक उनकी फैक्ट्रीज डिसमेन्टल हो सकती थीं लेकिन वहां पर बड़ी बड़ी शॉप्स एण्ड एस्टाबिलशमेंट्स बना लिए हैं। गंगानगर के चारों तरफ भट्टे बिना आज्ञा के बन गए लेकिन कच्ची बस्तियों के लोगों के भाग्य में एक धरती का टुकड़ा नहीं है। गंगानगर के चारों तरफ आप एक इंच भूमि नहीं ले सकते। मंत्रीजी वहां चन्दा लेने जाते हैं और उनको चन्दा मिलता है। वहां के सेठ श्री सुखलालजी के यहां अमरस बनता है और चौधरी साहब को इलेक्शन लड़ाया तो गंगानगर के बड़े बड़े चौधरी और सरदार और सेठ उनकी इमदाद को आ गए। कच्ची बस्तियों के लोगों को कुचलते हुए और भूमिहीन किसानों को कुचलते हुए रुपयों की ढेरी वहां पर कर देते हैं।

एक तरफ सार्दुल टैक्सटाईल मिल है उसका प्रश्न खड़ा है, सरकार के उस पर १५ लाख रुपये हैं। उसकी कोलोनी के लोग नारकीय जीवन व्यतीत करते हैं, उसके मजदूर कीड़ों की तरह रेंगते हैं, लेकिन सरकार कोई बात कर नहीं सकती, उन लोगों को जमीन लेकर दे नहीं सकती, उनके लिए मकान बना नहीं सकती। इसलिये कि बेलेंस शीट में चाहे घाटा हो लेकिन २० हजार रुपया बाकायदा प्रोविन्शियल कांग्रेस कमेटी के नाम साल दर साल चन्दा लिखा जाता है। राज्य सरकार को उनसे फायदा प्राप्त नहीं होता है और वे गलत लोसेज बताते हैं। राज्य सरकार के श्रम मंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं सदन के अन्दर कि वहां का मैनेजमेन्ट बेईमान है, एरोगेन्ट है, इसके बावजूद भी उनके हाथ नहीं लगाया जा सकता, इसलिये हाथ नहीं लगाया जा सकता कि साल दर साल २० हजार रुपया बेलेंस शीट में दर्ज होकर चन्दा पहुंच जाता है। सभापति महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि आज भारत सरकार ने भी स्लम क्लियरेंस के

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

सम्बन्ध में जो कमेटीज़ कायम की हैं उनकी कुछ गंभीरतम रिपोर्टें आ चुकी हैं। हमारी सरकार ने शायद उन रिपोर्टों को पढ़ना मुनासिब नहीं समझा।

इसके अलावा राजस्थान की सेन्सस रिपोर्ट सन् १९६१-६२ भी बाकायदा अब छप चुकी हैं और वह भी आ चुकी है। जो गंभीरतम दशा उस रिपोर्ट के अन्दर और जो आर्थिक अवस्था उस रिपोर्ट के अन्दर स्लम क्लियरेन्स के लोगों की दिखाई गई है वह बहुत गंभीर है। मैं यह अर्ज करना चाहूंगा कि ये कच्ची बस्तियां महान कलंक हैं जो राज्य के सिर के ऊपर है। यह सरकार एक टेकनो-इकोनोमिक सर्वे तीन या छः महीने के अन्दर अन्दर इन कच्ची बस्तियों का कराकर देख ले और इस सरकार को वास्तविकता महसूस होगी और अपने १८ साल के राज्य का सही चित्र सामने आ जायगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, कुछ कच्ची बस्तियां तो म्युनिसिपैलिटी के रहम के ऊपर पड़ी हैं और उनकी जो दशा हो रही है उसका केवल एक चित्र में मंत्री महोदय के सामने प्रस्तुत करके अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। यह चित्र है रायसिहनगर म्यूनिसिपल बोर्ड का। वहां के म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन ने कच्ची बस्तियों के लोगों के ऊपर और कच्ची दूकानों के ऊपर जो जुल्म ढाये हैं वैसी मिसाल भारतवर्ष के अन्दर नहीं मिल सकती। रण आफ कच्छ के ऊपर आक्रमण हो रहा है, रेणुका के ऊपर गोलियां चलीं, हिंदूमलकोट के अन्दर हलचलें हुई लेकिन रायसिहनगर के म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन ने उन दिनों के अन्दर झोंपड़ियों को गिरवाया और सारी की सारी चार सौ दूकानों को एक मुश्त तुड़वा दिया। एक हुकम के द्वारा ईंट और सीमेन्ट का ब्लॉक मार्केट खड़ा हो गया, सीमेन्ट वालों से बात कर ली, लोहे वालों से बात कर ली, सबसे बातें कर लीं, और सभापति महोदय, आप आश्चर्यचकित होंगे कि एक मिस्त्री की डेली वेज १५ रु० तक पहुंच गई। वहां पर १०० रु० हजार के अन्दर ईंटें मिलीं जिसकी कि नार्मल रेट ३० रु० हजार से ज्यादा नहीं होती और जब कि देश के अन्दर संकट काल चल रहा था और रायसिहनगर जो कि बोर्डर से ८ मील की दूरी पर है उसके अन्दर लोगों के अन्दर भगदड़ मची हुई थी और वे अपनी दुकानों का निर्माण कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन महाशय ने १।। लाख रुपये की एक धरती के ऊपर कब्जा कर लिया। एक एडमिनिस्ट्रेटर ने सरकार को अनेकों बार लिखकर भेजा कि इस धरती का एनुअल रेन्ट ५ हजार रुपये कम से कम होना चाहिए, क्योंकि इन खुद चेयरमन महोदय ने उसके पास की जमीन के ऊपर ४००० की बोली दी है। आज तक उस धरती का रेन्ट कम से कम नहीं तो २०-२५ हजार रुपया चेयरमैन महोदय के अन्दर बाकी है। इतना ही नहीं, आज भी लाख-डेढ लाख रुपये का इल्लीगल कन्सट्रक्शन उस जमीन के ऊपर कर रखा है और रेन्ट देना तो दूर रहा वहां कलेक्टर के पास वे बेचारे गरीब दूकानदार रोये, कच्ची बस्तियों के लोग रोये कि चेयरमैन ने लाखों रुपयों की जमीन के ऊपर कब्जा करके इल्लीगल कन्सट्रकशन कराया है। कलेक्टर महोदय के बंगले के अन्दर बैठे हुए थे जो कि उस स्थान से २०-३० गज की दूरी पर था।

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
लोगों ने कहा कि आप मौका देखो लेकिन उन्होंने वहां आकर मौका देखना मुनासिब नहीं समझा। चार सौ दुकानें तोड़ने के बाद यह स्थिति हुई कि वहां पर एक हजार रुपया दीजिए और दुकान ले लीजिए। इस तरह से उस मण्डी से लाखों रुपया उस चेयरमैन ने लिया। इसके अलावा चेयरमैन ने कहा कि यहां पर कॉलेज बनाना चाहते हैं और उसके लिये एक कमेटी बनाई गई और कहा गया कि पैसा कॉलेज को दीजिए। तो कॉलेज को देने के बाद में १।। लाख रुपया रिकवर करके कमेटी के सामने कहा कि १०-२० हजार रुपया मिला है। आज १।। लाख रुपया कॉलेज के नाम पर रिश्वत का इकट्ठा कर रखा है जिसकी कोई रसीद जारी नहीं कर रखी है। अन्त में मैं कहूंगा कि राज्य सरकार इस संकल्प को मन्जूर करे और कच्ची बस्तियों के लोगों के लिए मजबूत कदम उठाये, यही मेरा अर्ज है।

श्री अब्दुलजब्बार (निम्बाहेड़ा) : सभापति महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य श्री रामानन्द जी अग्रवाल ने कच्ची बस्तियों के संबंध में अपना एक संकल्प रखा है, मैं उसकी ताईद करता हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि हकीकत में सरकार को इस ओर जागरूक होकर काम करना चाहिए।

१२ मई, १९५६ से गन्दी बस्तियों को हटाने का मसला भारत सरकार और प्रान्तीय सरकारों के सामने आया हुआ है और इतना ही नहीं इस समस्या को लेकर २५ करोड़ ३० लाख रुपयों की योजना बन चुकी और इसके ऊपर हजारों मकान बनाने की बात-चीत चली और इसके अन्दर से करीब करीब ३३ हजार मकान बने, लेकिन राजस्थान के संबंध में हमेशा इस बात को सुनने को मिला कि यहां की सरकार किसी भी सूरत से कच्ची बस्तियों के सम्बंध में विचार नहीं करती है। सभापति महोदय, हमें हमेशा कहानियां सुनने को मिलती हैं, स्टालिन एक बूचड़ का लड़का था; ऐसी सूरत में हमें अन्दाजा होता है कि संसार में ख्याति प्राप्त करने के लिये महलों में रहने वालों की पेशानी पर नहीं लिखा है कि महल जहां होंगे वहां राष्ट्र की बागडोर संभालने के लिये ऐसी संताने पैदा होंगी। सभापति महोदय, यह खुली चीज है कि झोंपड़ियों में बसने वालों के अन्दर प्रेम होता है, उनमें देश-भावना होती है और मैं कह सकता हूं कि झोंपड़ियों में रहने वालों के पास में जितने प्रेम की भावना होती है शायद महलों और ऊंची-ऊंची अट्टालिकाओं में बिराजमान होने वालों के पास नहीं होती है। जब राजस्थान की बात हम करते हैं तो जयपुर का मसला सामने आता है; तो मैं ताज्जुब करता हूं कि इस जयपुर में जहां राजस्थान भर के विभागों का काम चलाने वाले, मंत्रिमण्डल और उसके सदस्य बिराजमान होते हैं ऐसी सूरत में राजस्थान की इस राजधानी की हालत इतनी खराब होती है तो यह देखकर बहुत अफसोस होता है। दूर की बात तो अलग रही लेकिन जयपुर खास की यह स्थिति है कि नाक के ऊपर रूमाल लगाकर गुजरना होता है।

उदाहरण के लिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं; अजमेरी दरवाजे के साथ सीधे हाथ की तरफ घूम जायें तो ऐसा मालूम होता है कि रोड़ी के अन्दर चले गए हैं। वहां के रहने वालों का स्वास्थ्य कैसा हो सकता है इसका अन्दाजा

(श्री अब्दुल जब्बर)

लगाना चाहिए। इतना ही नहीं घाट दरवाजे की कच्ची बस्तियों को देखा जाये जहां अर्से दराज से लोग रहते चले आ रहे हैं, उनके बाप-दादा वहां मर गए, उनकी संतान आज जीवित है, वहां पर ६-६ और ८-८ फुट की ऊंचाई के मकान बने हुए हैं सरकार उनको बेदखल करने की बात करती है, जब कि खुली चीज है कि उनको मदद दी जानी चाहिए और जब भारत सरकार की नीति है कि ऐसी कच्ची बस्तियों में मकान बनाने के लिये सहायता दी जाये तो आप उनको सहायता दें।

यह बिल्कुल में कहूंगा कि यह बिल्कुल अन्याय है, उन गरीब इन्सानों के प्रति घोर अन्याय है, जो इस प्रकार अपना जीवनयापन करते हैं, अपना गुजारा करते हैं, अपनी रोटी रोजी कमाते हैं और सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाते, सरकार से भीख नहीं मांगते। सरकार को तो फख्र करना चाहिये इन कच्ची बस्तियों में रहने वालों के प्रति कि वे अपनी भुजाओं के बल पर अपनी रोजी-रोटी कमा कर खा रहे हैं। लेकिन सरकार उनको रहने के लिए, उनको सिर छुपाने के लिए, मूसलाधार वर्षा से बचने के लिए कोई मकान नहीं देना चाहती, यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य है; जिसकी राजस्थान में तो क्या हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पोपुलेशन मानी जाती है, कारखाने की गड़गड़ाहट के अन्दर जो मजदूर काम करता है, कारखाने की गड़गड़ाहट में कान मजदूर के बहरे होते हैं, टी. बी. इसी मजदूर को होती है जो कच्चे मकानों में रहता है, और कारखानों को जीवित रखता है, जो हमें जिस्म ढकने के लिए कपड़ा बना कर देता है, जो हमारी सेनाओं के लिए हथियार बना कर देता है और हमको पहनने को जूता बना कर देता है, हमारे रहने के लिए आलीशान भवन बनाने वाले कारीगर भी इन्हीं कच्ची बस्तियों में रहते हैं; लेकिन इन सब की ओर हमारी सरकार का ध्यान नहीं है। ऐसी स्थिति में मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जयपुर के चारों तरफ़ चक्कर लगाएं, उनको जाकर देखें, खटीकों की बस्ती को जाकर देखें कि खटीकों की उस बस्ती की क्या हालत है?

राजस्थान की इस असेम्बली की छत पर खड़े होकर देखें तो भी वह बस्ती दिखाई दे जाती है। वहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां के मकान ख़राब हैं, वहां रहने के लिये कोई एमिनिटीज प्रोवाइड नहीं कर रखी है। इतना ही नहीं, मेरे पूर्व-वक्ता, माननीय सदस्य ने जो हसनपुरा के बारे में कहा है तो आप जाकर देखिये; हसनपुरा की बस्ती को कि वहां क्या क्या हालत है? ज़रा सी बारिश आई तो मकान बैठ जाते हैं। लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं है लेकिन साथ ही साथ वहां पर बंगले बनाने के लिए हसनपुरा वालों को बेदखल किया जा रहा है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को बसाने के लिए, उनके आलीशान बंगले बनाने के लिए हसनपुरा के गरीब लोगों का बेदखल किया जा रहा है। लेकिन उन गरीब इन्सानों को सिर छुपाने के लिए जमीन नहीं दे सकते। यह हमारा दुर्भाग्य है कि आज सन् ४७ के बाद भी हमें कहना पड़ता है कि गरीबों के साथ न्याय नहीं हो रहा है।

इतना ही नहीं, सभापति महोदय, हम घूम-फिर कर फिर जयपुर में आ जाएं, पोलो

(श्री अब्दुल जब्बार)

विक्ट्री सिनेमा के पास चले जांय, पुलिस लाइन चले जायं, जनाना अस्पताल के बीच की गली में चले जांय जहां कच्ची-बस्तियां खड़ी हुई हैं वहां ऐसा लगता है कि जैसे जिस्म पर फोड़ा हो गया है, छाती पर फोड़ा हो गया है और कोई मरहम-पट्टी करने वाला नहीं है। और अगर मरहम पट्टी करने की इन्सान कोशिश करता है तो हमारी सरकार कहती है कि तुम्हें अधिकार नहीं है मरहम-पट्टी करने का, तुम नश्तर नहीं चला सकते, अगर इसको फोड़ोगे तो पीप निकलेगा। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह दुनियां के रवैये को देखे, कम से कम वक्त के तकाज़े को समझे, दुनियां किस तरह से किस तेजी से सामाजिक सिद्धान्तों को बदलने में लगी हुई है और हमारी सरकार, यह हमारी राजस्थान सरकार उसी तरह से बैठी हुई है।

हरिजनों के सम्बन्ध में कहा जाता है कि उनको मकान की व्यवस्था के लिये लोन दिया जाता है, लेकिन हरिजनों की कैसी दुर्दशा है। हरिजनों को मकान बनाने के लिए प्लॉट बड़ी मुश्किल से दिया जाता है तो पैसे का पता नहीं है। उनको ऐसी जगह पर मकान दिए जाते हैं कि वहां कोई रहना पसन्द नहीं करता। सरकार का यह तरीका होना चाहिये कि हम मिक्स्ड पॉपुलेशन के लिए व्यवस्था करें। कम से कम हरिजनों के पास में बनिए भी रहें, उनके पास में कोई मुसलमान भी रहें, सिख भी रहे; ईसाई भी हैं; तभी तो उनको मालूम हो सकता है कि उनकी सामाजिक जिन्दगी किस प्रकार की होती है। उनमें भ्रातृभाव बढ़ सकता है। लेकिन सरकार खुद प्रतिक्रियावादी भावना को बढ़ावा देती है, हरिजनों के लिए अलग बस्ती बसाती है और इन गन्दी बस्तियों को हटाने की कोशिश नहीं करती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और क्या हो सकता है? मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे।

(२.३५ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन.)

साथ साथ जो माननीय सदस्य के संकल्प में यह बात रखी गई है कि उनको मालिकाना राइट दिया जाय, मैं इसका भी हामी हूं और सरकार से निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार हमारे राजस्व उप-मंत्री यहां बिराज रहे हैं और स्वायत्त शासन मंत्रीजी का चार्ज लेकर बैठे हैं उसी तरह से मैं उम्मीद करूंगा कि वे हमारे मंत्रीजी को सजेस्ट करेंगे कि जिस प्रकार कृषि भूमि के अनधिकृत कब्जों को रेगुलराइज कर रहे हैं, कृषि भूमि पर अगर किसी ने नाजायज तरीके से खेती कर ली तो उसको रेगुलराइज किया जा रहा है; मैं निवेदन करता हूं कि उसी प्रकार जो कच्ची बस्ती में रहने वाले लोग हैं, उनका जो कब्जा है, उनके कब्जे को मैं तो नाजायज कब्जा नहीं मानता हूं, जो बरसों से वहां पर रहते हुए आ रहे हैं तो उस पर उनका जायज कब्जा है, लेकिन फिर भी सरकार उसको नाजायज मानती है तो उसको रेगुलराइज कर दे। जो वहां पर बरसों से रहते आ रहे हैं उनको अपने रहने के लिये, मकान या झोंपड़ी बनाने के लिये जरूरत थी तो उन्होंने बना ली, जरूरतमन्द को चाहिए कि वह अपने अधिकारों को मनवाले और अगर नहीं मनवा सके तो उसको जबर-दस्ती ले ले। इसी दृष्टिकोण से मैं निवे...

(श्री अब्दुल जब्बार)

करता हूं, माननीय मंत्रीजी भी तशरीफ ले आए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार एग्रीकल्चरल लैंड के मामले को रेगुलराइज किया जा रहा है उसी तरह से जो म्युनिसिपैलिटी की सीमा में रहने वाले लोग हैं उनके मामलों को रेगुलराइज कर दें ताकि म्युनिसिपैलिटी की सीमा में रहने वाले, कच्ची बस्ती में रहने वाले इन्सान हैं वे आराम के साथ यह तो कह सकें कि इस दुनियां में कम से कम नौकरी समय पर नहीं मिलती, खाना समय पर नहीं मिलता, घासलेट समय पर नहीं मिलता, चीनी समय पर नहीं मिलती; लेकिन कम से कम सिर छुपाने के लिये, सर्दी बारिश से बचने के लिये तो व्यवस्था है। मकान बनाने के लिये मालिकाना हक तो दे दिया। तो मैं कहता हूं कि यह आप कर दीजिए, इससे कम से कम एक उदाहरण तो पेश कर सकेंगे कि हिन्दुस्तान की इस पापुलेशन को राजस्थान सरकार ने मालिकाना हक दे दिया। राजस्थान की स्टेट प्रोग्रेसिव स्टेट है जिसने नाजायज कब्जों को रेगुलराइज कर दिया, मकान बनाने की इजाजत दे दी।

साथ साथ इतना ही नहीं, हमारे पास में रिपोर्ट आई है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बारे में। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि मंत्रिमण्डल भी इसको देखेगा कि वह सरकार जिसको हम भारत सरकार कहते हैं, जिसके अधीन राजस्थान सरकार है वह ऐसी रिपोर्ट देती है। यह रिपोर्ट बतलाती है कि देखो ! गरीब आदमियों के साथ में हमदर्दी का बर्ताव करो, उनको घरबार बना कर दो, जिनको रोजी नहीं मिलती है उनको रोजी दो। जो अछूत हैं, जो शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के हैं और जो ज्यादा संख्या में जीत कर नहीं आ सकते उनके लिए सीट रिजर्व करो। उनमें यह भावना न रहे कि खुदा ने पैदा किया तो खुदा के भरोसे ही रहो, सरकार किसी तरह से मदद देने वाली नहीं है। यह धारणा छोड़ देनी चाहिए। इन्सान का फर्ज है, इन्सानियत का तकाजा है कि जो मजदूरी करते हैं हम उनके साथ पूरी हमदर्दी रखें। आपको यह याद रखना चाहिए कि इन्सान का फर्ज क्या है। अगर आपने अपना फर्ज याद नहीं रखा तो ये आपके ऊंचे ऊंचे महल, और आपके ये आलीशान बंगले रहने वाले नहीं हैं। They will turn to ground-level one day positively. इसलिये मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं कि उन गरीबों के प्रति हमदर्दी रखें और उन गरीबों को राहत पहुंचाने की कोशिश करें जिसके पास रहने को मकान नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं, माननीय सदस्य, श्री रामानन्दजी ने जो संकल्प रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री मानसिंह महार (आमेर) : सभापति महोदय, सदन के समक्ष हमारे साम्यवादी मित्र ने जो संकल्प रखा है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। वह जिस दिशा से आता है उससे तो जरूर कुछ खतरा महसूस होता है लेकिन फिर भी उनकी नीयत पर डाउट नहीं कर सकते, इसलिये मैं भी इस संकल्प का समर्थन करता हूं और मैं ही नहीं, मैं समझता हूं कि हमारे मंत्रीजी भी इसका तहे दिल से समर्थन करेंगे क्योंकि वह भी गरीबों के लिए बहुत आतुर रहते हैं। मैं उनके साथ बहुत रहा हुआ हूं। गरीबों के लिये उनके हृदय में भी

(श्री मानसिंह महार)

उतने ही शोले हैं जितने कि हमारे जब्बार साहब के थे, इसलिये मैं आशा करता हूं कि एक बहुत सीधा-सादी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर इसको मंजूर कर लेंगे तो कोई ऐसी बात होने वाली नहीं है।

आप देखिए, सभापति महोदय, गांवों अन्दर रहने वालों के लिये आप एक सिद्धान्त मानते हैं। आपने एक फैसला किया है कि १९५८ या १९५९ से जो जमीन होती है रिहायशी उस पर काबिज हैं तो उनको मालिकाना हक दे दिया है। सरकार ने इस प्रकार का फैसला किया है। मैं आपसे निवेदन करूं कि आपने आज जब शहर के रहने वालों का प्रश्न आता है तो उनके लिए सरकार क्या मालूम क्यों इस प्रकार की बात सोचती है? गांवों में तो मैं सरपंच की हैसियत से कहना चाहता हूं। सरकार इतनी उदार है कि रिहायशी मकान भी नहीं। अगर कच्चे बाड़े भी बना रखे हैं तो उनको मालिकाना अधिकार देने की बात पर हमारे उप राजस्व मंत्रीजी विचार कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि बाड़े पर अधिकार देने की भी बात है। यहां पर बाड़े वगैरह की बात नहीं है, केवल मकानों की बात है। जो बाहर से लोग जयपुर शहर में आकर मजदूरी करते हैं, जिनको कि रैनबसेरे के लिये स्थान नहीं है उन्होंने २०-२०, १५-१५ वर्षों से टीबों के अन्दर सिर छिपाने के लिये कच्ची झोंपड़ियां बनाई हैं। इसको एक प्रगतिशील सरकार माना जाय तो अपने खर्चे से उन कच्चे मकानों को पक्का बना देना चाहिए। पर इतना तो यह सरकार नहीं करती है। क्यों नहीं करती? और कोई वजह नहीं है। उन झोंपड़ियों में अगर मंत्री लोग रहते या उनके पिछलगू रहते तो जरूर वे पक्के हो जाते। लेकिन वहां के रहने वाले बेचारे इतने समझदार नहीं हैं कि वे उनके पिछलगू बन कर कुछ करें। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको जिसको कि सुनकर आपको शर्म आयेगी···

श्री जयनारायण सालोविया (निवाई): शर्म तो उनसे सौ कोस दूर रहती है।

श्री मानसिंह महार: जयपुर से १० मील की रेडियस में एलॉटमेंट कमेटी जमीन एलॉट नहीं करती है। ये स्टैन्डिग ऑर्डर्स हैं। इसके बावजूद राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी, जिनके लिये हमारे एस० एस० पी० महोदय ने कहा है कि आप तो राजस्थान और हमारे सब के लिये लीडर हैं, उन्होंने अपने एक ड्राइवर को जमीन एलॉट कराने के लिए तहसीलदार को ऑर्डर दिया कि इसको यह जमीन एलॉट कर दी जाय, क्योंकि यह मेरा ड्राइवर है। मैं तथ्य से परे जाता हूं और अगर गलत है तो माननीय मंत्रीजी कह देंगे और यह कह देंगे कि यह नहीं हुआ है···

श्री गिरधारीलाल व्यास: वह मोटा आदमी है क्या, ड्राइवर?

श्री मानसिंह महार: वह पिछलगू आपका होगा या उनका हो सकता है और उनके लिये इस तरह से हो रहा है मैं उसकी ताईद में यह बात कहता हूं।, अगर कोई गरीब या फौजी भी १० मील की रेडियस में जमीन चाहता है तो उसको नहीं देते हैं, मगर चूंकि मुख्य मंत्रीजी का ड्राइवर है तो क्यों नहीं दी जायेगी, १० मील की रेडियस में; उसको जलेबी चौक में आपका बस चले तो बसा देंगे?

श्री गिरधारी लाल व्यास : चन्द्रम हल में जगह देंगे ।

श्री गोकुलप्रसाद शर्मा (मांडल) : सरकार की आज्ञा से दी जा सकती है ।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा था कि सरकार की आज्ञा भी तरीके से होनी चाहिए । यह मेरा भाई है तो दी जा सकती है, यह दृष्टिकोण नहीं होना चाहिए ।

श्री जयनारायण सालोदिया : सरकार तरीके की नहीं है ।

श्री मानसिंह महार : मैं निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की बात नहीं होनी चाहिए ।

मैं दूसरे पाइंट पर आता हूं । वह यह है कि जो हाउसिंग स्कीम्स हैं उनमें मकान बनाने के लिए जो लोन दिया जाता है वह भी इसी प्रकार के आदमियों को दिया जाता है । मैं कहता हूं कि आपके लोन के वितरण का जो तरीका है वह भी बिल्कुल गलत है । भारत सरकार जो लाखों रुपये भेजती है वह किस लिए भेजती है ? सभापति महोदय, वह इसलिए नहीं भेजती है कि आप लखपति को २० हजार रुपया दें ताकि वह बड़ी ऊंची अट्टालिका बनाये । वह पैसा भेजती है ऐसे आदमियों के लिए कि जिनके पास घर का मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है और सरकार की सहायता से वह मकान बना लें । मगर वह पैसा उनको कतई नहीं मिलता है । वह पैसा मिलता है किनको ? १५-२० हजार रुपया सरकार से वह लें और इसलिए लें कि उनका छिपा हुआ धन, अगर गुप्त धन है तो वह मालूम न पड़े । अधिकांश सरकारी अफसरों के मकानात आदि हैं वे इसी तरह के हैं । हमने तो लोन लिया है, पैसा कहां था मकान बनाने के लिए ? मैं निवेदन करूं कि यह भी एक बहुत गलत सी चीज है । सरकारी अफसरों को लोन देने से मेरा विरोध नहीं है, लेकिन दिया जाय उनको जिनके पास वाकई में पैसा नहीं हो । लेकिन आज क्या होता है कि सेक्रेटेरियेट से फोन उठता है, सभापति महोदय और कलेक्टर जयपुर को कहा जाता है कि अरे भाई, मेरी एक एप्लीकेशन है । बस इतना होना चाहिए और कलेक्टर साहब के यहां उसी वक्त क्लर्क आता है और वे उससे कहते हैं कि अरे भाई! वह सेक्रेटेरियेट से टेलिफोन आया था, फलां सेक्रेटरी साहब के मकान की बात थी, क्या हुआ ?

मैं आपसे निवेदन करूं कि यही लोन जिनको दिया गया वे हजार हजार रुपया किराया लेते हैं और सरकारी मकानों में रहते हैं । यह अन्याय है । हम चाहते हैं कि लोन जितना भी दें वह कच्ची बस्तियों के रहने वालों को दें आपका लोन जो है वह ऐसा होना चाहिए कि एक गरीब आदमी एकाध कोठड़ी बना ले और अपना निर्वाह कर सके । जिस प्रकार कि आपने कई जगह मजदूरों के लिए मकान बनाये हैं, उस मजदूर वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए यह लोन होना चाहिए । अब देखिये कि तीन प्रकार के लोन कर दिये । इन्कम टैक्स देने वालों को इतना, सरकारी नौकरी करने वालों को इतना और इतना गरीबों को । इसकी जरूरत क्या है ? आपका यह कायदा होना चाहिए कि इनकम टैक्स जो पे करते हैं उनको लोन नहीं दिया जायेगा मकान के लिए । यह भी एक सिद्धान्त आप मानें । जितनी कच्ची बस्तियां हैं उनको आप बसा दें । मैं निवेदन करूंगा, सभापति महोदय, कि और तो क्या होगा,

(श्री मानसिंह महार)

यह सरकार तो नारी के नाके जैसी कच्ची बस्ती के अन्दर भी सेनीटेशन का इन्तजाम नहीं कर सकती है । वहां पर इसका कोई इन्तजाम नहीं है ......

श्री गिरधारी लाल व्यास : वह म्युनिसिपैलिटी का काम है ।

श्री मानसिंह महार : आपको मालूम होना चाहिए कि वह यू. आई. टी. के अन्दर है और म्युनिसिपैलिटी के बाहर है । म्युनिसिपैलिटी की जो पैरवी करते हैं तो वह म्युनिसिपैलिटी के एरिया में नहीं है ।

और, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि इन गरीबों ने जो जमीन दबाई है, जो मकान बनाये हैं, जिनमें कि वे रहते हैं वह कोई ऐसी जमीन नहीं थी । कहीं पानी भरता था और खड्डे थे ३-३ ताल गहरे । उनको उन बेचारों ने भरा है और जमीन को समतल बनाया है और वहां पर बसे हैं । सरकार उनको हटाना चाहती है । उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं देती है । यह कोई तरीका नहीं है । इस सरकार के लिये, जो अपने आपको एक समाजवादी सरकार कहती है, जो समाजवाद लाना चाहती है, यह शोभा की बात नहीं है कि वह इस प्रकार के गरीबों को वहां से हटा दे और अपनी कोई कोलोनाइजेशन की या नई बस्तियों में आलीशान मकान बनाने की जो स्कीम है उसको क्रियान्वित करे ।

मैं आपको निवेदन करूं कि जयपुर में जब 'सी स्कीम बनी तो सर मिर्जा ने बहुत अच्छे तरीके से उसको प्लान किया और 'सी' स्कीम बनाई । वहां पर उस समय यह प्रश्न नहीं था कि गरीबों को एविक्ट किया जाय । उसका कोई सवाल नहीं था, लेकिन आपकी जितनी भी स्कीम्स हैं वे इस प्रकार की हैं कि आप गरीबों को एविक्ट करते हैं । मैं आपको सुझाव देता हूं कि गरीब जहां पर बसे हुए हैं वहां पर नई कोलोनी व स्कीम चालू नहीं की जाय । वहां पर उन गरीबों को उठायें तो आप अजमेर रोड पर चले जाइये तो उस पर आप जैसे मंत्रियों के लखपतियों के फार्म हैं उन फार्मों को आप एक्वायर कीजिये । (मंत्री महोदय के हंसने पर) आप हंसिये मत । वहां पर मोतीलालजी चौधरी का फार्म है, वहां पर हरिदेवजी जोशी का फार्म है ।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) : मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे लखपति बना दिया ।

श्री मानसिंह महार : आप भी पुराने जागीरदार हैं । मेरे से कम नहीं हैं, बरकत भाई इन दस वर्षों के अन्दर इन लोगोंने कितना पैसा कमाया है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : आप तो करोड़पति हैं ।

श्री मानसिंह महार : मैं तो पुश्तैनी हूं । मैंने तो कुछ दिया ही है इस राज्य के बनने के बाद । मैं उनके लिए कहता हूं कि जिन्होंने इस राज्य के बनने के बाद नाजायज तरीकों से पैसा इकट्ठा किया है ......

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं समाप्त कर ही रहा हूं ।

श्री सभापति : जल्दी समाप्त कर दें ।

श्री मानसिंह महार : बिल्कुल समाप्त कर रहा हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अभी तो मूर्तियों के चित्र आ रहे थे। इन्हें आने दिया जाय।

श्री मानसिंह महार : इन चित्रों का चित्रण मैंने इसलिए किया है कि ये सारे फार्म्स मेरी कॉन्स्टीट्यूएन्सी में पड़ते हैं ? जो कि जयपुर तहसील में हैं। उनमें से आप नवाब अलीमुद्दीन लुहारू को ले लीजिये, श्रीमान् मनफूलसिंहजी चौधरी को लीजिये, और किस किस का नाम लूं; आप कहें तो एक एक को बता दूं, लेकिन सारे के मेरी कॉन्स्टीट्यूएंसी में ही जा पड़े हैं और सब नाजायज कब्जा करने वाले हैं।

श्री सभापति : आपको खतरा तो नहीं हुआ ?

श्री मानसिंह महार : इसलिये मेरी निवेदन है कि आप अपनी स्कीम बनावें, जमीन पर बसाने की स्कीम बनावें तो यह नहीं हो कि जो गरीब हैं

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : भीमसेनजी ने भी कोई प्लॉट लिया है क्या ?

श्री मानसिंह महार : वे ऊंचे आदमी हैं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वे सच्चे कॉंग्रेसी हैं, महात्माजी के चेले हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : खरीदा भी हो तो आपको पता नहीं है।

श्री मानसिंह महार : बात दूसरी तरफ चली गई है। कई बातें मुझे कहनी थीं, आपने भी घंटी दी है, लेकिन मैं मंत्रीजी से यह अपील करना चाहता हूं कि गरीबों के मित्र हैं, अपने आपको वे ऐसा कहते हैं और अब तो वे कानून मंत्री बन गये हैं, चाहे कानून में कम समझते हों; लेकिन कानून के लिहाज से, न्याय के लिहाज से उन गरीबों के साथ अन्याय न हो इसलिये उनसे अपील करता हूं कि जो आपको लाल कागज व्हिप का दिया है उसको तो फड़वा दें और गरीबों के खातिर इस संकल्प को पारित कर दें।

श्री सभापति : श्री गिरधारीलाल व्यास।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदय, जो संकल्प कच्ची बस्तियों के लिये माननीय रामानन्दजी ने रखा है उसके सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि माननीय सदस्यों ने अभी जिक्र किया कि इस सरकार के आने के बाद में सन् १९४७ से आज तक १८ साल की अवधि में इन गरीब लोगों के रहने के लिये इस सरकार ने किसी प्रकार की आशा नहीं दी या जो लोग कच्ची बस्तियों में रहते हैं उन लोगों के सम्बन्ध में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया। जो बातें कही गई हैं उनके सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं कि जब से राजस्थान बना, देश आजाद हुआ तब से सरकार ने किस प्रकार गरीब लोगों को बसाने के लिये और उनको मकान की आसायस के लिये किस प्रकार प्रावधान किया है यह तो आप को, स्लम क्लीयरेन्स को देखने से पता चलेगा या जिस प्रकार से गरीब लोगों को बसाने की व्यवस्था है यदि उसको सही तरीके से देखें तो आप सब को यह मालूम हो जायगा कि सरकार ने स्लम क्लीयरेन्स में और मजदूरों और गरीब लोग हैं उनको बसाने में किस प्रकार की

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

इमदाद की है। यह जरूरी बात है आप यदि चाहें कि सारे देश में स्लम हैं उनको एक साथ खत्म करके सबको एक साथ बसा दिया जाय और इसके लिये प्रबन्ध कर दिया जाय तो यह एक नामुमकिन चीज है, लेकिन जहां तक एक ध्येय या व्यवस्था का सवाल है और जहां तक सवाल है कि ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा व्यवस्थित ढंग से बसाया जाय उसमें सरकार विश्वास करती है और कांग्रेस समाजवाद में विश्वास करती है वह अच्छी तरह से इस चीज को मानती है।

जहां तक कच्ची बस्तियों का सवाल उठाया है, जो लोग वहां रहने वाले २५-३० वर्षों से आबाद हैं वहां उनको उसी तरीके से जैसे लैंड रेवेन्यू एक्ट में सरकार ने प्रावधान किया है कि उन लोगों को जिन का सन् १६५८ से पूर्व का कब्जा है तो उनको हक दे दिया जायगा, इस प्रकार का जो संकल्प आया है उसमें विवरण दिया है उस संबंध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पर सरकार की तरफ से इस बस्ती के लिये या इस क्षेत्र के सम्बन्ध में यदि दूसरा प्लान था और लोग जबर्दस्ती जाकर वहां बैठ गये हैं सरकार की आज्ञा के विरूद्ध ऐसे लोगों को छोड़ कर बकाया के लिये ऐसा होना उचित है कि जो जो लोग इस प्रकार की बस्ती में २०-२५ साल से रह रहे हैं और सरकार का उस जमीन के बारे में उस समय कोई प्लान नहीं था, ऐसे लोगों को बसाने में मदद करती है और सरकार योजना बना कर उनको बसाने का प्रबन्ध करती है तो मेरे ख्याल से यह उचित ही होगा।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक सरकार की मंशा है सरकार स्वयं चाहती है कि हमारे देश में खराब बातें हैं और खराब रहने के निवास जो हमारे देश के नागरिकों के पास हैं, जो हमारे ही भाई हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा प्रदान की जाय। वह किस प्रकार की जाय, इस सम्बन्ध में बराबर विचार विमर्श होता रहता है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, मिल्स और दूसरी चीजें हैं वहां सरकार ने इस प्रकार की व्यवस्था की है कि जगह जगह मजदूरों की कोलोनीज बनाई हैं और लाखों-करोड़ों रुपय खर्च करके व्यवस्था की है। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि सरकार ने कदम नहीं उठाया। सरकार ने यथासंभव प्रयत्न किया है और बराबर कर रही है।

यहां जिस प्रकार का संकल्प और अमेन्डमेन्ट प्रस्तुत किये हैं कि उनको जमीन बापी कर दी जाय, जो वहां पर रहते हैं और साथ ही साथ उनको लोन देने की व्यवस्था की जाय जिससे उनको पैसा मिले और मकान बना सकें इस प्रकार का प्रावधान करना चाहिये। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रकार की व्यवस्था लो इन्कम ग्रुप हाउसिंग स्कीम में सरकार की तरफ से की गई है और उसमें इस प्रकार का प्रावधान है कि गरीब लोगों की जिनकी इन्कम अमुक सीमा से कम है वैसे लोगों के लिये इस प्रकार के लोन की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा की जाय ताकि वे लोग अपना घर या मकान बना सकें। जहां तक लोन्स वगैरह मिलने का सवाल है, लो इन्कम या मिडिल इन्कम या दूसरी तरह के जितने लोन्स हैं उनमें से सबसे ज्यादा प्रावधान लो इन्कम वालों के लिये रखना चाहिये, क्योंकि जो गरीब लोग हैं जिनकी आमदनी कम है वे ऐसी सुविधा के बिना मकान नहीं बना सकते। ऐसी सुविधाएं

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्राप्त करने का ऐसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा तो वे लोग अपने मकान बना सकेंगे। और जो इस प्रकार की बस्तियां हैं उनको सुचारु रूप से, अच्छे ढंग से आबाद कर सकें, इसके लिये मेरा इतना ही निवेदन है कि जहां तक संकल्प का प्रश्न है कच्ची बस्तियों में, उन को हक दिया जा सके, उनको बसाया जा सके इस संबंध में जैसा दूसरे सदस्यों ने कहा, मेरा यह निवेदन है कि जहां पर उचित प्रबन्ध हो सके और सरकार समझती है कि ऐसे स्थानों पर उनके प्लान के माफिक लोगों को बसाने में अड़चन नहीं आती है, वैसे स्थानों पर इन लोगों को बसाने का सरकार को अवश्य प्रबन्ध करना चाहिए ताकि कच्ची वस्तियों के लोगों को बसाया जा सके और जहां के बारे में सरकार समझती है कि वहां पर ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकती तो ऐसे स्थानों पर जो लोग २० २५ साल से रह रहे हैं उनको दूसरे स्थानों पर बसाने की व्यवस्था की जाय; मुफ्त में नहीं तो सस्ती रेट पर प्लोट्स देकर बसाने की व्यवस्था की जाय तो सुन्दर बात होगी और सरकार को गंदी बस्तियों को खत्म करने में ज्यादा सहयोग मिलेगा इसलिये सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

श्री सभापति : श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गवर्नमेन्ट की तरफ से रिप्लाई कब होगा ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार जयपुर) : गवर्नमेन्ट तो इसको स्वीकार करने वाली है, उनको ज्यादा लंबा जवाव नहीं देना है।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस पर बोलना चाहते हैं।

श्री सभापति : इसको ३।। बजे तक समाप्त करना है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभापति महोदय, इतने महत्व के मसले पर केरी ओवर हो तो भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। सदन के सभी पक्षों की राय आनी चाहिये। सरकार का उत्तर हो न हो, सरकार जिस ढिलंगे ढंग से कार्यान्वित करती है . . .

श्री बरकतुल्ला खां : सरकार जवाब देने को तैयार बैठी है।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : जवाब देने से पहले बीकानेर, अजमेर, जोधपुर की समस्या भी सुन लीजिये।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) सभापति महोदय के हाथ में है जैसा चाहें समय निर्धारित करें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : समय बढ़ा दिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : बाद में जैसी स्थिति होगी देख लेंगे क्योंकि अभी कुछ विचार चल रहा है, शायद टेम्पल बोर्ड बिल पोस्टपोन करने का विचार कर रहे हैं। इसलिये शायद विचार हो नहीं उस पर, तो यह पांच बजे तक चल जायगा।

सभापति महोदय, विधान सभा के गत सत्र में अलवर से आने

(३.०० म. प.)

(श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत, सभानेत्री, पदासीन)

वाले माननीय सदस्य ने एक संकल्प प्रस्तुत किया था। उस संकल्प की मन्शा यह थी

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

कि राजस्थान के विभिन्न नगरों में जो कच्ची बस्तियां हैं और उन कच्ची वस्तियों में बसने वाले लोग हैं और जो लोग वहां पर इतने दिनों से रहते चले आ रहे हैं उनको उन जमीनों पर मालिकाना अधिकार दे दिया जाय। सभापति महोदया, मैं समझता हूं ......

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): कोरम की घण्टी बजा दी जाय तो अच्छा हो, जिससे और माननीय सदस्य आ जायं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: अभी तो पूरा है।

सभापति महोदया, मैं समझता हूं कि इस संकल्प का विरोध शायद ही कोई इन्सान करेगा। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जीवन के लिये जो मूलभूत आवश्यकताएं रखी गई हैं, उनमें निवास की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है। अफसोस इस बात का है कि पिछले अठारह सालों में राजस्थान की सरकार कोई आवश्यक कदम इस आवास व्यवस्था को सुलझाने के लिये राजस्थान में नहीं उठा सकी। आज भी, सभापति महोदया, राजस्थान के अन्दर, विशेषकर गांवों में तो कच्चे मकान हैं हीं, लेकिन यह संकल्प जिस ओर विशेष रूप से संकेत करता है वह राजस्थान के विभिन्न नगरों में अनेक कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के बारे में है। गांवों में कच्ची बस्तियों में जो लोग रहते हैं और उनके पास जो आबादी की जमीन है, उसके सम्बन्ध में वहां पर झगडा नहीं है क्योंकि राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में कुछ व्यवस्थायें हैं, जिसमें इस आबादी की भूमि को रिजर्व करने के बारे में व्यवस्था है, काश्तकारोंको आवास के लिए भूमि दी जाय-इसकी व्यवस्था है। इसलिये वहां के सम्बन्ध में आबादी भूमि के मालिकाना अधिकार देने के बारे में झंझट नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, जो व्यवस्था आज गांवों में लागू की है वही व्यवस्था आज राजस्थान के नगरों में क्यों लागू नहीं की गई है?

आज राज्य सरकार को मैं शहरी इलाके के लिए कहना चाहूंगा, इस सदन में और पूछना चाहूंगा सरकार से कि आपने राज्यपाल महोदय से इस सदन में एक बार नहीं अनेक बार इस बात को कहलवाया है कि राजस्थान में शहरों में सामुदायिक विकास की योजनायें लागू की जायेंगी। लेकिन मैं अफसोस के साथ कहना चाहूंगा कि राजस्थान के किसी भी नगर में अर्बन कम्युनिटी डेवलपमेन्ट स्कीम को लागू नहीं किया गया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह कहलवाया जाना, सदन में इस तरह का आश्वासन देना और आज तक राजस्थान के नगरों में इस स्कीम को लागू नहीं करना–यह राजस्थान के लोकल सेल्फ डिपार्टमेन्ट और टाउन प्लानिंग की उदासीनता का द्योतक है।

मैं समझता हूं, सभापति महोदया, और मुझे बड़ा अफसोस इस बात का होता है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में हाउसिंग स्कीम के लिए एलोकेशन किया फंड का और इसमें आपने कच्ची और गन्दी बस्तियों के विकास के लिये धनराशि रखी। मिडिल इन्कम ग्रुप और लोअर इन्कम ग्रुप और इन्डस्ट्रियल हाउसिंग के लिये आपने इसके अन्दर पांच सौ लाख रुपये की व्यवस्था की, आपने पांच करोड रुपयों की व्यवस्था की, वहां पर सभापति महोदया, इस स्लम क्लियर

Page No 82

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

रेन्स की दृष्टि से, गन्दी और कच्ची बस्तियों के विकास की दृष्टि से-जहां दूसरी योजनाओं के लिये पांच सौ लाख की धनराशि रखी, वहां केवल २.४० लाख की योजना रखी। इस प्रकार तृतीय पंचवर्षीय योजना में सरकार ने गन्दी और कच्ची बस्तियों की उपेक्षा की है। मैं समझता हूं, यह शर्म की बात है। सभापति महोदया, हालत यह है, मैं और शहरों के सवाल पर कुछ नहीं कहता, उदाहरण के लिये जिस शहर से मैं चुन कर आया हूं जयपुर से, यहां पर ९५ हजार व्यक्ति कच्ची, और गन्दी बस्तियों में निवास करते हैं, जिनके रहने के लिये उन बस्तियों में न बिजली की सुविधा है, न पानी की सुविधा है, न जहां पर सड़कें हैं, न प्राथमिक शालायें हैं, न औषधालय हैं, न डिस्पेंसरी हैं, न क्लिनिक हैं, न मेटर्निटी होम हैं। इन बस्तियों में रहने वाले लोगो का नारकीय जीवन हो गया है, नर्क के समान जीवन हो गया है, वे गरीब लोग छोटे छोटे घरों में कमरों में रहते हैं; उसी में रहना, उसी में सोना, उसी में बच्चे जनना, उसी में मर जाना और मरने के बाद, सभापति महोदया, उनके घरों की हालत ऐसी है, उनकी बनावट ऐसी है, उनकी गलियों की हालत ऐसी है कि मुर्दे को घर से निकाला जाय तो उसे कन्धों पर रख कर नहीं निकाल सकते। इस तरह की गन्दी और कच्ची बस्तियां आज हैं। मैं समझता हूं कि राज्य सरकार को यह चाहिए था, इस समाजवाद का नारा लगाने वाली सरकार को चाहिए था कि सबसे पहले वह योजना बनाती तो इन गरीबों के लिये योजना बनाती, इन कच्ची और गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के जीवन के विकास के लिये योजना बनाती और उसको क्रियान्वित करती। मिडल इन्कम ग्रुप, लोअर इन्कम ग्रुप और इन्डस्ट्रियल हाउसिंग स्कीम के लिये जहां इस सरकार की पांच सौ लाख रुपये की योजना है, वहां स्लम क्लियरेन्स के नाम पर २.४० लाख की स्कीम की व्यवस्था है। यह इस सरकार की उदासीनता का द्योतक है। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस स्लम क्लियरेन्स की स्कीम को अपने हाथ में ले, गन्दी बस्तियों का सुधार करे; कच्ची बस्तियों का सुधार करे। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर दिक्कत क्या है? सरकार यह फैसला क्यों नहीं लेती है कि कच्ची और गन्दी बस्तियों में रहने वालों की वहां रहते पीढ़ी दर पीढ़ी निकल गई है, चार चार जेनरेशन से वहां रहते आये हैं; लेकिन एक साल नहीं, दो साल नहीं, कई कई साल तक उन लोगों के नक्शे पास नहीं होते हैं। जब वह नक्शों के सम्बन्ध में म्युनिसिपैलिटी के अन्दर जायं तो म्युनिसिपैलिटी वाले कहते हैं, पट्टा दिखाओ।

सभापति महोदया, जो लोग तीन सौ साल पहले जयपुर में बसे थे, जो लोग कई जनरेशन पहले यहां बस गये थे, कच्ची बस्तियों में जिन लोगों ने घर बना लिये और वहा आबाद हो गये और वहां आबाद हुए चार चार पीढ़ियां निकल गईं–उनको पट्टा दिया किसने था? उनको राज्य की ओर से जेमीन का पट्टा नहीं दिया गया। मुझे अफसोस यह है कि उन लोगों को उस जमीन का राज्य सरकार से पट्टा नहीं मिला, यह समाजवादी समाज में विश्वास रखने वाली सरकार, यह कल्याणकारी सरकार, जनता को साधन-सुविधा देने वाली सरकार, चुनी हुई सरकार, लोकतंत्र के आधार पर चलने वाली सरकार उन लोगों को, जो तीन सौ, चार सौ

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
साल से वहां रहते आये हैं, पट्टा नहीं दे पाई, उनको उस जमीन का अधिकार नहीं दे पाई। उनके पास भूमि नहीं, प्लॉट हो तो उसका पट्टा नहीं, पट्टा हो तो कर्ज नहीं और कर्ज हो तो उसके पूरे इन्स्टालमेंट नहीं—मैं समझता हूं कि यह क्या हालत है। इन कच्ची और गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों की हालत को देखने के लिये जाने का, सभापति महोदया, माननीय मंत्री को मौका नहीं हुआ है, उन मोहल्लों में जाने का मौका नहीं हुआ है।

चौपड़ पर १५ अगस्त और २६ जनवरी को सभा में जाते हैं और केवल भाषण देते हैं। उन्होंने उन लोगों की हालत नहीं देखी है। आप गये थे फ्लड के जमाने में और देखा था कि उनकी क्या हालत है? आप कच्ची और गन्दी बस्तियों में नारी के नाके में गये थे? आप पूछिये ज्वालाप्रसादजी से, वे नारी के नाके पर गये थे। जहां स्त्रियों ने बच्चे जन्मे, उन घरों में, उन बस्तियों में क्या हालत है? आपसे मैं पूछता हूं कि क्या आपने उनकी हालत देखी है। आप उनकी हालत सुधारने की कृपा करें। आपने इन बस्तियों को इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को दे दिया, उससे ये सम्भली नहीं तो आपने फिर म्युनिसिपैलिटी को ट्रान्सफर कर दिया। म्युनिसिपैलिटी ने कुछ काम नहीं किया और इस सम्बन्ध में इस सदन में आवाज उठाई तो फिर आपने इम्प्रूवमेंट बोर्ड को ट्रान्सफर कर दिया। और फिर आवाज बुलन्द हुई तो फिर म्युनिसिपैलिटी को दे दिया। क्या कमी इनकी योजना बनी? आपने उसका सर्वे कराया? क्यों जमीन का एक्वीजीशन किया? योजना बनी, सर्वे कराया और एक्वीजीशन किया और लोगों को मुआवजा देने की बात तय हो गई लेकिन उसके बाद सारी स्कीम खटाई में डाल दी गई, उस स्कीम को ड्रोप कर दिया। क्यों कर दिया, तो कहते हैं कि खर्च ज्यादा है, कोस्ट ज्यादा है-इसलिये स्कीम को ड्रोप कर दिया। कोस्ट ज्यादा नहीं है, बरकत साहब, झगड़ा यह है कि जयपुर शहर के पास कई कच्ची बस्तियां हैं, लेकिन जो कच्ची बस्ती गंगा टॉकीज के पीछे है, इसके लिये बड़े बड़े आदमी चाहते हैं कि गंगा टॉकीज एरिया का डेवलपमेंट होगा तो मुझे प्लॉट मिल जायेगा। मैं कहता हूं कि उनके मन्सूबे पूरे नहीं होंगे। जब तक इस बस्ती में रहने वाले लोगों को प्लॉट नहीं मिल जायं, बाहर रहने वाले किसी आदमी को प्लॉट नहीं लेने दिया जायगा।

आपने स्कीम बनाई, उसको आपने ड्रॉप कर दिया; फिर स्कीम बनायें, आज बनायें, पांच साल बाद बनायें, लेकिन उनके इस मन्सूबे को पूरा नहीं होने दिया जायगा। इस बस्ती में रहने वाले लोग भटकते रहें और बाहर के रहने वाले ताकतवर लोग, आपके कृपा-पात्र, आपके मर्जीदान उन प्लॉट्स को हांसिल कर लें। इस बस्ती की स्कीम ड्रॉप हो गई, उसका प्लान ड्रॉप हो गया। यह इस तरह की एक बस्ती नहीं है, जेल के पास में कच्ची बस्ती है, मुस्लिम स्कूल के पास में कच्ची बस्ती है, फतह टीबा के पास कच्ची बस्ती है, हसनपुरा की कच्ची बस्ती है, नारी के नाके की कच्ची बस्ती है, रेगर बस्ती है, हरिजनों की बस्ती है-इस जयपुर की इन कच्ची बस्तियों में रहता कौन है? इन बस्तियों में शिड्यूल्ड कास्ट्स के अधिकांश लोग रहते हैं, अधिकांश शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, इनमें रहते हैं हरिजन, इनमें चमार रहते हैं, खटीक रहते हैं, धनाके रहते हैं, रेगर रहते हैं।

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

तो अधिकांशतः इन कच्ची बस्तियों में रहने वाले नीचे के तबके के लोग हैं-उनकी यह हालत है, उनके लिये यह व्यवस्था की है; जब आप कहते हैं कि हम गरीबी को मिटाना चाहते हैं, आप कहते हैं कि हम अमीरी और गरीबी के भेद को मिटाना चाहते हैं। लेकिन आप इन गरीबों के लिये कोई इन्डस्ट्रियल यूनिट नहीं खुलवा सके, कोई फेक्ट्री नहीं खुलवा सके, नेशनल बॉल बेयरिंग जैसी, डी. सी. एम. जैसी कोई फेक्ट्री नहीं खुलवा सके, उनको करोड़ों रुपये आप फाइनेन्शियल कोर्पोरेशन से नहीं दिलवा सके। यह भी जाने दें, आप उनको मकान के लिये प्लॉट, मकान के लिये कर्जा उनको नहीं दे सके; और इनको जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी नहीं दे सके।

मैं तो कहता हूं कि आपको उनको कुछ देने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वे लोग वहां पर रहते आ रहे हैं। वे कहते हैं कि जिस जमीन पर वे लोग रहते आये हैं वही उनको दे दी जावे। हमें प्लॉट नहीं चाहिये। वे लोग आज वहां पर काफी समय से रहते आ रहे हैं इसलिये कम से कम उनके लिये यह तो होना ही चाहिये कि उनको छोटा सा टुकड़ा जमीन का रहने के लिये मिल जाए और यह जमीन का टुकड़ा उनको मिलने का पूरा हक है। और मिलना चाहिए। इसके लिये कोई भी व्यक्ति जो इन्सानियत अपने हृदय में रखता है उनके इस राइट को देने से मुकर नहीं सकता है।

सभापति महोदया, मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड के सदस्यों का सम्मेलन किया। इसमें कुछ निर्णय लिये गये और जो निर्णय लिये गये उसके संबंध में अखबारों में आपने समाचार प्रकाशित किये। जो निर्णय आपने अखबारों में प्रकाशित किये उसके आधार पर आपने १९५७ के बाद के रहने वाले लोगों को अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेण्ट माना है। आपने उनको अनऑथोराइज्ड माना है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने उनको कहीं पर बसाने के लिये योजना बनाई है, आपकी घोषणा के अनुसार जो पत्रों में प्रकाशित हुई है? अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं हो तो मैं आपको जानकारी दे सकता हूं। आपके भाषण मेरे पास हैं। मैं सदन में आपसे यह पूछना चाहता हूं कि स्लम क्लियरेन्स स्कीम के अनुसार आपने कितना लोन और सहायता भारत सरकार से प्राप्त की और आपने उसे किस प्रकार खर्च किया? क्या आपका वह पैसा जो भारत सरकार से मिला वह लैप्स नहीं हुआ? स्लम क्लियरेन्स के अन्तर्गत कितनी कीमत के कितने मकान बनाये या बनने चाहिए थे। कितने रुपये ग्रान्ट हुए और कितने आपने काम में लिये और कितना अमाउण्ट आपका लैप्स हुआ और कितने लोगों को आपने प्लॉट दिये और कितनों को प्लॉट के पट्टे दिये गये? कितने मकान आपने बनाये? ये सारे आंकड़े आप पेश करेंगे तब पता लगेगा।

मैं एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं। सरकार ने एक आदेश जारी किया, सभापति महोदया, आपको भी शायद उस आदेश का मालूम होगा और वह १९५६ में जारी किया गया था कि हरिजनों को नोमिनल फीस एक रुपया लेकर पट्टे दिये

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

जावेंगे और आपने ६२ में आदेश और निकाला । यह चुनावों की तारीख है । अगर यह चुनावों के लिये, वोट लेने के लिये ही किया गया था तो उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है और मैं कुछ नहीं कहूंगा । अगर आपने शासन करने और वोट लेने के लिये ऐसा आदेश जारी नहीं किया, नहीं निकाला तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने एक भी व्यक्ति को इस आदेशानुसार एक रुपया लेकर पट्टा दिया है ? एक रुपया वर्ग गज की बात नहीं कहता हूं । एक रुपया लेकर प्लॉट के पट्टे हरिजनों को देने की बात राजस्थान सरकार ने कही थी । क्या आपने एक को भी आज तक एक रुपया लेकर पट्टा दिया है ? आपका जवाब होगा कि एक को भी नहीं दिया है । आपने उन गरीब लोगों के लिये आज्ञा निकाली, मगर आपने उन गरीबों के लिये ईमानदारी से काम नहीं किया और आपमें ऐसा करने की ताकत नहीं ।

माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं, आखिर ये सारी बातें इस प्रकार की कब तक चलेंगी और कैसे चलेंगी ? आप गरीबों को प्लॉट नहीं देते । प्लॉट देते हैं तो उनको उन प्लॉटों के पट्टे नहीं मिलते और अगर किसी तरह से उनको पट्टे भी मिल जावें तो उनको मकान बनाने के लिये कर्जा नहीं मिलता, कर्जा मिल जावे तो उनके नक्शे पास नहीं होते और अगर नक्शे भी पास हो जावें और वे मकान बना लें तो म्युनिसिपैलिटी और अर्बन इम्प्रूवमेंट बोर्ड उनके मकानों को जाकर तुड़वा देते हैं । मैं यह कहूंगा कि आपका अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट इस मामले में बिलकुल नाकाबिल रहा है और इस मायने में अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के सदस्य जनता के ट्रस्टीज नहीं हैं, वे जनता के डिसट्रस्टीज हैं । उन्होंने जनता को प्लॉट देने का तरीका अपनाया, उसमें उन्होंने जनता को धोखा दिया है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहूंगा कि मैंने एक पत्र लिखा था और जानकारी की थी कि मोती डूंगरी रोड पर जो माइनर्स की बस्ती बस रही है उसमें ऐसे लोगों को प्लॉट दिये गये हैं जिनमें माइनर्स भी हैं और जो लोग इन्कम टैक्स देते हैं और जिनके मकान यहां पर मौजूद हैं। आपने उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है। मैं आपसे कहूंगा कि भाटिया, जो पी. सी. सी. के सदस्य हैं, ने लिस्ट बनाई और उन लोगों को प्लॉट्स एलॉट किये गये जो माइनर थे और बहुत से ऐसे लोगों को जो इन्कम टैक्स देते हैं और जिन लोगों के यहां पर मकान मौजूद हैं · · · ·

एक माननीय सदस्य : ज्यादा तेजी से न बोलें। जरा धीरे बोलें, जोर से बोलने से सांस चढ़ जाता है ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। मैं यह कहूंगा कि मैंने उनको बताया · · · ·

(घंटी)

श्रीमती सभानेत्री : यह कोरम तैल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं और सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार इसकी तरफ ध्यान दे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद): सभानेत्री, ...

श्रीमती सभानेत्री: मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगी कि पहले ऐसा तय किया गया है कि ३॥ बजे दूसरा बिल ले लिया जावे।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं बहुत कम समय लूंगा।

श्रीमती सभानेत्री : फिर भी समय का क्या होगा, जो पहले निश्चित किया हुआ है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मैं जल्दी ही समाप्त कर दूंगा।

सभानेत्री महोदया, आज श्रमिक जो उन महलों के बनाने वाले हैं जिसमें आज बड़े बड़े लोग रहते हैं और उनको बनाने के बाद श्रमिकों को उन महलों में घुसने की इजाजत नहीं और उनको अपनी बातों को बताने का मौक़ा नहीं दिया जाता, जिनके हितों की आज हम बातें करते हैं वे अपना पेट भरने के लिये दिन–रात मज़दूरी करते रहें और पशु के समान अपना जीवन बिताते रहें। आज मैं यह कहूंगा कि इस प्रकार का पशु का जीवन काटने के लिए लाखों आदमी बड़े बड़े शहरों में पड़े हुए हैं। वे आज आजादी के इतने समय के बाद भी अपना जीवन एक प्रकार के गुलामी के वातावरण में काट रहे हैं। उनको अपने जीवन में शान्ति नहीं और वे इस बात को महसूस करते हैं कि उनको शान्ति नहीं। वे यही महसूस करते हैं कि उनके जीवन को शान्ति तभी होगी, बड़े बड़े बंगलों और महलों को बनाते बनाते और मज़दूरी करते करते जिस दिन उनको मौत आ जायेगी। आज केवल पेट की आग बुझाने के लिये उनका जीवन है। मैं यह निवेदन करूंगा कि आज मनुष्य को आवश्यकता है तो तीन चीज़ों की है: (१) कपड़ा (२) रोटी खाने के लिये और (३) सिर छिपाने के लिये जगह हो।

मगर आप इन लोगों के आंकड़े देखेंगे जो आज इन कन्डीशन्स में रह रहे हैं तो आपको मालूम होगा कि उनकी दयनीय हालत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रकार की हालत को देख कर कहा था कि हमें इनमें आग लगा देनी चाहिये। इनमें रहने के बजाय खुली हवा में रहना ज्यादा अच्छा है। मैं इस सरकार से कहना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं कि आपने इस सम्बन्ध में क्या क़दम उठाया सोश्यिलिस्टिक पैटर्न ऑफ़ सोसाइटी की गवर्नमेण्ट होने का हम दावा करने वाले हैं, हम लोगों की ग़रीबी को दूर करने के लिये लोगों से लड़ने वाले हैं, तो जिसके लिये हमने वायदे किये, उनको पूरा करने के लिये आपने क्या प्रयत्न किये हैं? यह कांग्रेस का दावा है और we are committed to this principle; यह काम हमें करना है, इस सिद्धान्त से हमारी सरकार फ़ैसला क्यों नहीं करती? मैं इसका तो विरोधी करता हूं, लेकिन इसकी तरफ़ सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। आज जो लोग इसके लिये बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको मैं यह कहूंगा कि आज 'मुंह में राम बग़ल

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

में छुरी' इससे तो काम चलने वाला नहीं है। हमारे लैक्चर और मीठी मीठी बातें पेट नहीं भर सकतीं। आज उन लोगों को जो गन्दी बस्तियों में रह रहे हैं उनको गन्दगी से निकालना चाहिये। आज वे भी गन्दगी से निकल कर अच्छी जगह रहने का हक़ रखते हैं।

उसके अन्दर क्या सिलसिला है? आज सिलसिला यह है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट्स बना दिये पर प्रोग्रेस का हाल यह है कि कितने ही लाखों रुपये लैप्स होते हैं। कांग्रेस की जो पॉलिसी है उसके अनुसार इस रिज़ोल्यूशन को आवश्यकता ही नहीं है। परन्तु उस प्रोग्राम को कैरी आउट करते वक्त बड़ी बड़ी कमेटियां बनादी जाती हैं वे कमेटियां क्या करती हैं? जैसा कि सतीशचन्द्रजी ने बताया लाखों रुपया लैप्स हो गया। न अजमेर में यूटिलाइज़ हुआ और न जयपुर में यूटिलाइज़ हुआ। रुपया एलोटेड है, पर सरकार काम नहीं करा सकी, आप प्लान नहीं बना सके, आपका कोई मास्टर प्लान नहीं है, बिना मास्टर प्लान के ही कमेटियां बैठा दीं। जहां मियांजी के मन में आई वहीं बस्तियां बसा दीं, जहां मन में आया जिसको चाहा ज़मीनें एलॉट कर दीं।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह वास्तविकता है, आप वास्तविकता की ओर जा रहे हैं।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : 'मियांजी' बड़ा इज्ज़त का शब्द है। आप जिस अर्थ में ले रहे हैं वह नहीं है।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो जनता के खिलाफ षडयन्त्र है उसको सरकार तोड़े। आज ४० वर्ष से उन ज़मीनों पर बैठने वालों से पट्टे की बात की जाती है। जो जयपुर में कल आये वे बड़े बड़े बंगलों के मालिक बन बैठे। यह तरीक़ा है आपका, जो असली मालिक थे उनको तो जयपुर से बाहर निकाल दिया है।

मैं इस विषय में एक बात कहना चाहता हूं। रेवेन्यू लॉज़ कमीशन ने भी रिपोर्ट कर दी है कि जो आदमी जहां पर है वहीं रहे, यह रेवेन्यू लॉज़ कमीशन ने मान लिया है। सरकार ने पैसा खर्च करके बनाया; जो लोग जहां बसे हुए हैं, वह ज़मीनें उनकी होंगी, पट्टे की आवश्यकता नहीं। १६५८ में यह बात बता दी, १६५८ में काबिज़ लोगों को मालिक मान लिया गया है। सरकार जवाब दे कि क्यों नहीं उनको मालिक माना जाता? किस तरह से कानून को तोड़ा-मरोड़ा जाता है। सारे शहरों में यही हाल है। अजमेर की बात कहूं, नगरा है, और जगह हैं जहां लोग नारकीय जीवन काटते हैं। अजमेर में जो और शहरों में हाल है उससे भी बदतर हाल है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, स्लम्स को हटाने में आपका खर्चा क्या होता है, प्लॉट्स एलॉट करिये। जो किराया देते हैं उससे आपका खर्चा पूरा हो सकता है। पर समस्या तो आज यह है कि जिनकी पहुंच है वे लोग प्लाट्स ले लेंगे, पहले उनको बसाना है। यह कांग्रेस के उसूल के खिलाफ है। फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट में ६ महीनों तक कागज नहीं निकलते। लो इन्कम ग्रुप के लोगों के मकान, मिडल इन्कम ग्रुप के लोगों के मकान बरसात में नष्ट हो जाते हैं, पर उनको रुपया नहीं दिया जाता है, । कल के एल. डी. सी. थे अजमेर में, जो स्टेनोग्राफ़र बन गये, उनके मकान बन गये। तो मैं

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)
निवेदन करूंगा कि सब कानूनों को जेब में रख कर जो रिज़र्व्ड हैं सेक्रेटरीज़ के लिये, डिप्टी सेक्रेटरीज़ के लिये, गज़टेड ऑफ़िसर्स के लिये, उन मकानों में क्लर्कों को ठहराया जाता है, इसलिये कि मकान बन गये हैं। इसमें भी स्पेशल बात है; यह आप और हम सब जानते हैं और सफ़ाई करूं तो मिनिस्टर साहब भी जानते हैं। पर ये बेचारे कागज़ भेज दें तो फ़ाइनेन्स डिपार्टमेन्ट से कागज़ नहीं निकल सकता। खाली रेट तय करना है, गवर्नमेन्ट ने रेट तय कर दी वही करना है पर फ़ाइनेन्स डिपार्टमेन्ट उसके ऊपर बैठेगा, जब तक उसकी इच्छाओं के माफिक़ क्लर्क का मकान तैयार होने का फ़ैसला नहीं हो जाता, तब तक कागज़ नहीं निकल सकता। इस रूप से गवर्नमेन्ट चलाना कहां तक ठीक है, दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं।

जो रुपया आज से ६ महीने पहले मिल जाना चाहिए था वह कल मिला है और फिर कहते हैं कि एमर्जेन्सी है, हमको वक्त नहीं है। कहते तो यह हैं कि एमर्जेन्सी है, चपरासी चपरासी की जगह, क्लर्क क्लर्क की जगह, ऑफिसर ऑफिसर की जगह, मिनिस्टर मिनिस्टर की जगह, सब अपनी अपनी जगह मुस्तैदी से काम करो ताकि जल्दी काम हो और देश का निर्माण हो, देश ताकतवर बने; पर महारतनजी का, फाइनेन्स डिपार्टमेंट का हाल यह है कि ६ महीने हो गये कागज नहीं निकाला। आज आप जो २५ नम्बर पर हैं उसको पहले नम्बर पर कर्जा दे रहे हैं। सबसे पहले यह सब ठीक करना होगा।

मैं इन शब्दों के साथ इसका विरोध करता हूं। जो कुछ करने वाली है कांग्रेस सरकार है, आज नहीं करेगी तो कल करेगी, कल नहीं तो परसों करेगी, और परसों भी नहीं करेगी तो तुम और हम मर जायेंगे तब करेगी।

श्री बरकतुल्ला खां (स्वायत्त शासन मंत्री) : माननीय सभापति महोदया, जहां तक कच्ची बस्तियों का ताल्लुक है; सब ने हमदर्दी बताई है और बहुत सों ने बुरा माना कि मिनिस्टरों को क्या हक है कि कच्ची बस्तियों के लिये हमदर्दी बतायें, इससे तकलीफ हुई। इन्सान के नाते हर इन्सान को हमदर्दी होनी चाहिये। चाहे किसी शहर का रहने वाला हो, किसी कस्बे का रहने वाला हो, उसकी तकलीफें इन्सान की तकलीफें हैं। इन्सान की तकलीफ दूर करने के लिये हर एक इन्सान और इस सदन के सभी माननीय सदस्य इत्तिफाक करेंगे। हम, जो अपने आपको इन्सान और हिन्दुस्तान के शहरी कहते हैं, हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि इन्सानों की तकलीफों को दूर किया जाय।

कच्ची बस्तियों के सवाल के साथ जो इन्कम ग्रुप के सवाल को और दूसरे सवालों को जोड़ा गया; मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक कच्ची बस्तियों का सवाल है, चाहे किसी दोस्त को बुरा लगे, हिन्दुस्तान में एक राजस्थान गवर्नमेंट ही ऐसी गवर्नमेंट है जिसने ऑर्डर निकाला है कि कच्ची बस्तियों को खाली नहीं कराया जायगा। दिल्ली में झुग्गी वालों को एक रात में खदेड़ कर निकाल दिया, बम्बई वाले उन्हें धक्के देकर निकालते हैं, तो इतना तो क्रेडिट राजस्थान गवर्नमेंट को देना चाहिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : यह क्रेडिट तो पिछले सत्र में दे दिया गया था।

श्री बरकतुल्लाखां : मैं आगे जा रहा हूं। राजस्थान गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया है उसके मुकाबले में हिन्दुस्तान की किसी भी गवर्नमेंट ने एक्शन नहीं लिया जिसने कहा हो कि कच्ची बस्तियों को बेदखल नहीं किया जायगा।

जहां तक कच्ची बस्तियों का ताल्लुक है, उसमें आपको और हमको गलतफहमी हो गई है, उसको मैं दूर करना चाहता हूं।

मैं चाहता हूं कि कच्ची बस्तियां सुधरें। सदन में जिस तरह बहस हुई उससे ऐसा लगा कि माननीय सदस्य चाहते हैं कि कच्ची बस्तियों के लोग जैसे बसे हुए हैं वैसे ही रह जायं। मैं इसकी मुखालिफत करता हूं। मैं चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के शहरी की हैसियत से उनका यह हक होना चाहिए कि उनके मोहल्लों में भी सड़कें बनें, उनके मोहल्लों में नालियां बनें, बिजली लगे और नल लगें। जिन्दगी की जो मामूली सहूलियतें हैं वे उनको मिलनी चाहिए लकिन कैसे मिलेंगी। उनसे कैश मांगते हैं तो वे कैश लगाने को तैयार नहीं। भारत सरकार कच्ची बस्तियों के नाम पर पैसा नहीं देती। भारत सरकार जो रुपया देती है वह इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को उधार के तरीके से देती है। सरकार की तरफ से ट्रस्ट को कोई ग्रांट नहीं दी जाती है, कोई महरबानी नहीं की जाती है। उनको रुपया कर्जे पर दिया जाता है और वह रुपया उनको लगाना पड़ता है अपने शहरों में और सरकार ने एक राइडर लगाया है कि आयन्दा जितनी बस्तियां बसेंगी एक तरह की नहीं होंगी। मालदार और गरीब दोनों की मिक्स्ड बस्तियां होंगी। उनके अन्दर वह जमीन होगी जो नीलाम की जायगी और उससे जो ज्यादा पैसा मिलेगा वह उन स्कीम्स पर लगेगा जिससे गरीब लोगों को जमीन एलॉट हो सके और उसके लिए भी केटेगरीज बनाई हैं। जिसको माहवारी तनख्वाह १००) रु० तक है उसको जमीन सबसे ज्यादा कन्सेशनल रेट पर दी जायगी। सरकार ने यह भी किया है कि जहां जहां ट्रस्ट भारत सरकार से रुपया उधार लेकर मकान बना सकता है वहां मकान बना देंगे और मालिक बनाने के लिए हायर पर्चेज का सिद्धान्त किया जायगा।

जहां तक सवाल है उनसे ब्याज नहीं लिया जाय, हम भारत सरकार से रुपया लेते हैं उस पर ब्याज देते हैं, जो लाइफ इश्न्योरेन्स कॉर्पोरेशन से पैसा लेते हैं उस पर भी ब्याज देना पड़ता है और वह ब्याज इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट से वसूल करते हैं। इसलिए यह कहना कि यदि कोई भी डेवलपमेंट ट्रस्ट करे, सड़क बनाएं या बिजली लगाएं या नल या नालियां लगवाएं तो उसका एक भी रुपया न लिया जाय तो यह डेवलपमेंट नहीं हो सकता। अगर आप सब स्टेण्डर्ड डेवलपमेंट भी करना चाहें जो स्टेण्डर्ड से गिरा हुआ हो तब भी आज की जमीन ४) रु० फी गज से कम नहीं हो सकती और हमने यही रखा है कि जिनकी तनख्वाह १००) रु० से कम है या जिनकी १००) से २५०) रु० तक है तो उनको तीन रुपये गज से महंगी जमीन न दी जाय। तो जहां पर एक्चुअल प्रेक्टिस में यह हो रहा है तो जो बस्तियों में बस रहे हैं उनके अन्दर ट्रस्ट को दूसरी स्कीम्स से जो रुपया मुनाफे में आ रहा है वह इन स्कीम्स में लगाएं और सरकार के आदेश हैं कि किसी भी हालत में तीन रुपये से ज्यादा गज की कीमत नहीं लेंगे।

(श्री बरकतुल्लाखां)

इस तरह से कच्ची बस्तियों के साथ गन्दी बस्तियों को भी जोड़ा गया । दोनों चीजें एक भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं । कच्ची बस्तियां, जिन्हें स्लम क्लीयरेंस कहते हैं, के अन्दर तीन हिस्सेदार होते हैं--भारत सरकार, राजस्थान सरकार और नगरपालिका । भारत सरकार तैयार हो, राजस्थान सरकार तैयार हो लेकिन यदि नगरपालिका अपनी स्लम क्लीयरेंस की स्कीम बना कर न भेजे तो किसी नगरपालिका पर जबरदस्ती स्कीम थोपी नहीं जा सकती क्योंकि उनको भी रुपया देना पड़ता है, इसलिए उनकी तरफ से फाइनेन्शियल लाएबिलिटीज की कमिटमेंट राजस्थान सरकार नहीं कर सकती ।

उसी तरह से आपने शायद पढ़ा होगा, एक सर्क्यूलर हम लोगों ने निकाला है, उसके अन्दर हमने इस चीज को डिफाइन किया है कि गरीब कौन है । चूंकि जब कच्ची बस्तियों के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिलों के अन्दर भी जोश उठता है । हमारे दोस्त ने कहा कि मैं कच्ची बस्तियों में कभी गया हूं ? मैं तो गया हूं, सैकड़ों गवाह हैं, लेकिन आपने कभी तकलीफ फरमाई ? कच्ची बस्तियों में वे लोग भी बैठे हैं जिनके एक से ज्यादा पक्के मकान हैं, जो शहरों में काम करते हैं, जिनका बिजनेस चलता है तो क्या उनको भी जमीन इतनी सस्ती दी जाय ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : ऐसे लोगों की हिमायत किसी ने नहीं की, जिनके मकान हों, दूकानें हों, सिर्फ कच्ची बस्तियों में आ गए हों तो उनको भी रेग्युलराइज किया जाय । यह किसी की मन्शा नहीं है और यदि किसी ने कहा है तो आप पाइंटेडली कहें ।

श्री बरकतुल्लाखां : हमने सर्क्यूलर निकाला है जयपुर से २१ अप्रेल, १९६५ को । उसके अन्दर हमने लोगों को कैटेगरीज रखी हैं :

"Persons not liable to pay income tax and whose monthly income is upto Rs. 100/- p.m. (hereinafter called persons in Low Income Group I).

Persons not liable to pay income tax and whose monthly income is from Rs. 101/- to Rs. 250/- p.m. (hereinafter called persons in Low Income Gourp II)."

तो यह है कि इकॉनोमिकली वीकर सेक्शन । हम मानते हैं कि जिसकी माहवारी तनख्वाह १००) रु० से कम है हम समझते हैं कि उस आदमी को हक है कि वह अपना मकान बनाए । इसलिए राज्य सरकार ने फैसला किया कि सबसे छोटा प्लॉट १२० स्क्वायर गज का हो और सबसे बड़ा प्लॉट १२०० स्क्वायर गज का । इससे पहले राजस्थान में ६-६ एकड़, २-२ एकड़ के प्लॉट्स होते थे, इस तरह दस गुने से ज्यादा फर्क नहीं होगा ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : १२०० स्क्वायर गज भी तो बहुत बड़ा है ।

श्री बरकतुल्लाखां : यह उनके लिए रखा गया है कि जिनसे रुपया लेकर १२० गज वालों को सबसीडाइज कर सकें । जो नीलाम में आकर खरीदें उनसे जो ज्यादा रुपया मिले, वह गरीबों के काम आए जो इकोनोमीकली वीकर सेक्शन्स हैं । जो

(श्री बरकतुल्लाखां)

१००) से २५०) रु० तनख्वाह वाला ग्रुप है उनको इकोनोमीकली वीकर या लो इन्कम ग्रुप सेक्शन मानते हैं। हमने यह तय किया है :

"Government or Urban Improvement Trust may construct a small tenements costing upto Rs. 3,500/- on an area measuring 120 Sq. yards and may allot these to persons of low-income group on hire-purchase basis, cost being recovered in monthly instalments over a period of 25 years. Actual cost of construction of the tenements and price of land at Rs. 3/- per sq. yard will be recovered. Interest will be charged on the total cost @6 ercent.

Vacant plots measuring 120 sq. yards will be allotted at concessional rates at Rs. 2/- sq. yard on instalments basis to person of Low Income Group I including persons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes who may be in the category of Low Income Group I. The cost of the plot being recovered in 10 yearly instalments with interest @ 6 per cent."

यह हमने इकोनोमीकली वीकर सेक्शन्स के लिए रखा है। इस तरह से २५०) से ४००) रु० तक वाले लोगों के लिए यह रखा है कि कोस्ट प्राइस है उस पर उनको प्लॉट्स एलॉट किए जायं और जिनकी तनख्वाह ४००) रु० से ऊपर है, मैं सदन को विश्वास दिलाता हूं कि सदन के दिमाग में एक भय है कि जो ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वे अपने तरीके से जमीन एलॉट करवा लेते हैं; जैसे एक जिक्र माननीय श्री सतीशचन्द्र ने किया। उसमें पार्टी से लिख कर पूछा जायगा। जब लोगों के पास प्लॉट्स मौजूद थे तो उनको फिर क्यों एलॉट किया गया ? मैंने फाइल पर लिख दिया है :

"I will like to hear the party before giving a decision."

तो मैंने इस चीज को सेफ-गार्ड करते हुए किया है कि ऐसा न हो कि गरीबों के हक में मालदार घुस जायं। इसलिए मेरी क्लीयर हिदायतें हैं कि जिस आदमी की तनख्वाह ४००) रु० से ज्यादा है उसको जमीन का प्लॉट एलॉट नहीं किया जाय और एलॉटमेंट के अन्दर फेमिली इन्क्लूड करते हैं, बच्चे मां और बाप भी इन्क्लूड करते हैं। इस चीज का हमने ख्याल रखा है। अगर कोई केस आपके सामने हो जो इन दिनों सरकार की हिदायतों के बाद हुआ हो तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जायगा और जिन्होंने प्लॉट्स एलॉट किए है उनका एक्सप्लैनेशन कॉल किया जायगा। अपनी तरफ से मैंने कोशिश की है कि जो लोग एलॉटमेंट में नहीं आते हैं उनको एलॉट नहीं किया जाय।

मैं फिर आपके जरिये सदन से अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक गरीबों का ताल्लुक है हम सबको मिल कर काम करना चाहिये, लेकिन ऐसी योजना नहीं बनानी चाहिये कि जो कारआमद न हो, ऐसा प्लान जिसको युटोपियन कहते हैं हम नहीं बना लें। आज यह कहा जाय कि जो कच्ची बस्ती में रहते हैं उनको जमीन दे दी जाय। मेरे

(श्री बरकतुल्लाखां)
लायक मित्रों ने कच्ची बस्तियों की हालत का जिक्र किया, कीचड़ और मच्छरों का जिक्र किया। मैंने कहा कि इस नरक को पर्पीचुएट न करें। कोशिश करें और दस दस गज में ही उनको थोड़े इन्सानों की बराबरी में ला सकें जहां पर कि सड़क हो, नाली हो, बिजली हो, पानी की व्यवस्था हो। कहीं न कहीं से यह रुपया आवे इसके लिये। राजस्थान सरकार के किसी हैंड में इसके लिये रुपया नहीं है। गवर्नमेंट आॅफ इन्डिया के किसी हैंड में इसके लिये रुपया नहीं है। इसलिये अर्ज करूंगा कि हमारी हमदर्दी है, हमारी मंशा है और हम दिली तौर पर चाहते हैं, इसीलिये यह प्रावधान रखा था। जयपुर में कोशिश की गई है। जो कच्ची बस्तियां हैं उनमें रेगुलर रूप में काम शुरू किया है। चार बस्तियों में एलाॅटमेंट हो गये हैं। छः में काम जारी है। जहां जहां भी मुमकिन हो रहा है इन कच्ची बस्तियों को एक प्लाॅन के रूप में बना रहे हैं। मैं आपका सहयोग चाहता हूं। कोई उनकी मदद हो सकती है तो मैं हर तरह से तैयार रहूंगा कि मदद करूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदया, सबसे पहले तो मैं इस सदन के सब माननीय सदस्यों को और सब ही दलों के सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे संकल्प की भावना का और उसके नीचे जो सिद्धान्त हैं उनका समर्थन किया है। स्वयं सरकार भी, यद्यपि मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है उसमें इस संकल्प को स्वीकार करने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा तथापि जो उसके पीछे सिद्धान्त हैं उस सिद्धान्त को इन्कार वे भी करने का साहस नहीं कर पाये हैं।

सभापति महोदया, माननीय मंत्रीजी ने दो-तीन बातें कही हैं जिनकी बुनियाद पर उन्होंने शायद इस संकल्प को अनावश्यक समझा है। मेरा ख्याल है शायद या तो वे इस संकल्प को सही तरीके से इन्टरप्रेट नहीं कर पाये हैं और इसी कारण उन्हें इस तरीके का उस संबंध में रुख लेना पड़ा है। जैसा मंत्रीजी ने यहां कहा है कि इस संकल्प का मकसद यह होगा कि इस संकल्प को हम मान लें तो कच्ची बस्तियों की जिस प्रकार की स्थिति है उसी स्थिति में हम उनको परमानेन्टली छोड़ देंगे, मैं समझता हूं कि इस संकल्प के बारे में यह समझना गलत है। इस संकल्प की बुनियादी मंशा यह है कि जो लोग वहां बसे हुए हैं, मैं यह भी नहीं कहता कि उनको अधिकार दिये जायें, मैं तो कहता हूं कि उनको बुनियादी अधिकार हैं, वे वहां पर रह रहे हैं अर्से से, आपके कानून की जिस प्रकार से अभी व्यवस्था है उसने एक्जिस्टिंग रियलिटी को स्वीकार नहीं किया है, उसको आप स्वीकार कीजिये। यह कानून की बात है, आपने अभी प्रोप्राइटरी राइट्स को इस बुनियाद में माना है ट्रान्सफर आॅफ प्रोपर्टी एक्ट में कि एक बहनामा हो, रजिस्ट्री हो और कागज आपके घर में रखा हो तो मालिक बन जाओगे, वरना नहीं।

एक सरकार ऐसी हो सकती है कि जो कागज पर लिखे हुए को प्रोपर्टी नहीं मानेगी, ताम्बे के पत्रे पर लिखी होगी तो ही मानेगी और एक सरकार ऐसी हो सकती है, कोई इतने अर्से से रह रहा हो, उसके पास रजिस्ट्री हो या न हो, लिखित में कागज पर हो या न हो—वह उसको मालिक मानेगी। प्रोपर्टी का मतलब यह हो कि रजिस्टर्ड डीड ही हो, यह न होकर वास्तविकता को स्वीकार किया जाय। आपके जयपुर में और नगरों में

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में कहना चाहता हूं कि यह अतिक्रमण या अनग्रॉथोराइज्ड ऑक्यूपेशन का सवाल नहीं है, ये भी बसे हैं जब कभी कोई शहर बसे हैं। आपके कानून में, आपकी नगरपालिका, आपका यू. आई. टी. अभी उनको मालिक नहीं मान रहे हैं। जिनके पक्के मकान हैं उनके राइट्स मानते हैं इसलिये कि कभी म्युनिसिपैलिटी से मकान बनाने की इजाजत ले ली होगी या लैंड ट्रान्सफर हुई होगी तो खरीदी होगी, लेकिन जो लोग आज यहां इन जमीनों पर बसे हैं उनके बाप-दादा-परदादा यहां आकर कभी बसे थे, उनको ट्रान्सफर कराने का मौका नहीं आया तो किस इरादे से किस कानून से कहते हैं कि वे उसके मालिक नहीं हैं, सिवाय इसके कि प्रोप्राइटरी राइट के कन्सेप्शन्स हैं वे इस बुनियाद पर हैं कि रजिस्ट्रेशन डीड होना चाहिये, नहीं है तो प्रोप्राइटरी राइट्स नहीं हैं।

मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे संकल्प का मकसद यह नहीं है कि कच्ची बस्तियों की हालत बदस्तूर वैसी ही रखी जाय। अगर आपकी नीयत उन बस्तियों को दुरुस्त बनाने की है तो एक्वायर कर सकते हैं, कोई हम मना नहीं करते हैं कि इस इलाके में बड़े बड़े मकान बने हैं, दूसरे तरीके से बसाना चाहते हैं उन मकानों को एक्वायर करके, तो दूसरे तरीके के बनाते पब्लिक नीड्स के लिये। चूंकि आपको मुआवजा देना पड़ेगा, इसलिये आपके कानून और जगहों के लिये लागू होते हैं। मेरा पक्का मकान तो ले नहीं सकते क्योंकि रजिस्ट्रेशन डीड है, मेरी जमीन का भी रजिस्ट्रेशन डीड है, उसको आप बगैर मुआवजा नहीं ले सकते, लेकिन बेचारा एक महतर नारी के नाके में बसा हुआ है, २०० वर्ष से बसा है, आप कहते हैं उसका उस जमीन पर कोई हक नहीं है, मुआवजा नहीं मिलेगा क्योंकि रजिस्ट्रेशन डीड नहीं है। हर तरीके से उसको हटाया जाता है। इस बुनियादी कन्सेप्शन पर यह संकल्प है.......

श्री विजयसिंह झाला : ३।। बजे तक का समय फिक्स किया गया था वह समाप्त हो गया है।

श्रीमती समानेत्री: खत्म ही कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मंत्री ने इस बात का उत्तर नहीं दिया है। कई माननीय सदस्यों ने एक बात की तरफ ध्यान दिलाया था कि रेवेन्यू लॉ कमीशन ने अपनी सैकन्ड रिपोर्ट में इस सिद्धान्त को रूरल एरियाज के लिये स्वीकार किया है और उन्होंने यह कहा है कि जो भी आदमी रिहायशी तौर पर बैठा है उस जमीन पर जिसका एक पर्टीक्यूलर डेट पर कब्जा था वह बाई स्टेच्यूट ओनर डिक्लेअर कर दिया जायगा।

श्री बरकतुल्लाखां : रेवेन्यू लॉ कमीशम की रिपोर्ट फाइनली गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : रेवेन्यू लॉ कमीशन की यह रिकमण्डेशन है, यह तो तथ्य है, यह तो आप भी मानते हैं। रेवेन्यू लॉ कमीशन ने इस बात को स्वीकार किया है और उसके अनुसार लैण्ड रेवेन्यू बिल बना कर गवर्नमेंट को दिया है, उन्होंने इस बात को उसके अन्दर इनकोर्पोरेट किया है। इस बात को मंत्री महोदय स्वीकार करते हैं।

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इसलिए सवाल दूसरा पैदा होता है कि जो बगैर मकान के लोग हैं या थोड़ी इन्कम वाले लोग हैं हम उनको किस तरह से बसावें—यह मुख्य प्रश्न है। इसमें बुनियादी चीज यह है कि उनके एग्जीस्टिंग राइट को स्वीकार करने की बात है जो इस संकल्प के पीछे भावना है वह यह है। इतने बड़े नगरों में जो लोग बसे हुए हैं आपके यहां जो लैण्ड रेवेन्यू बिल आयगा उससे देहात के रहने वालों की समस्या हल हो जायगी और काफी हद तक यह समस्या टीनेन्सी बिल से भी हल हो गई है। इस तरीके से शहरी इलाके के रहने वाले जो लोग हैं उनके लिये भी आप इस प्रिन्सीपल को मान लें जो कच्ची बस्ती में रह रहे हैं। उनके लिये भी डेट मुकर्रर कर दी जाय कि अमुक तारीख तक जिनका कब्जा हो उनकी उस पर मिल्कियत होनी चाहिए यह नहीं कि जिन लोगों के शहर में मकान भी हैं, दूकानें भी हैं, जिन्होंने बाहर भी भूमि ग्रिप कर ली है, उनका हक मान कर जो बसे हुए लोग हैं उनको निकालने की कोशिश करें। इस प्रकार की भावना न तो इस संकल्प की है और न किसी माननीय सदस्य ने इसको इस प्रकार लिया है।

यह इसलिये मेरा निवेदन यह है कि अगर आप इस नर्क को खत्म करना चाहते हैं इनको साइन्टिफिक और हाइजिनिक तरीके से बसाना चाहते हैं, इसको तो हम वेलकम करते हैं। यह आपका जो उद्देश्य है वह मेरे इस संकल्प को मन्जूर कर लेने से खत्म नहीं होगा। आप उनको राइट देने के बाद सुन्दर बस्तियां बसाइये। आपके पास कानून हैं, अधिकार हैं, लेकिन वहां का जो मूल निवासी है उसका अधिकार उस पर मानिये। कानूनी रूप से मानिये ताकि हीरा हरिजन है, वह आपकी दर दर की ठोकरें न खाता फिरे। इस पर भी आप अगर उसको नहीं बसाते हैं तो कम से कम उसको उजाड़ने पर उसको मुआवजा देना पड़ेगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदया, सरकार द्वारा इस संकल्प की बुनियाद को स्वीकार न करना, मैं समझता हूं, इसमें सरकार का क्लास दृष्टिकोण है, सरमायेदारी का दृष्टिकोण है। पूंजीपतियों के जिनके पक्के मकान हैं उनके प्रोप्राइटरी राइट्स के अधिकार आप मानते हैं, उनके साथ बैठकर काम्प्रोमाइज करते हैं, सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के लेवल पर करते हैं। अपने उसूलों को तोड़ कर आपने बड़े बड़े फैसले किये हैं। हिन्दुस्तान के प्राइम मिनिस्टिर के लेवल तक जाकर इस प्रकार के फैसले किये हैं। लेकिन गरीब लोगों के राइट को रिकगनाइज करने का सवाल है वहां आप उनके राइट को रिकग-नाइज नहीं कर पा रहे हैं। जहां इनको कुछ देने का सवाल है, रियलिटी में जब देने का सवाल आता है तो इन्कार करते हैं। यह आपका वर्ग दृष्टिकोण है। गरीबों की सम्पत्ति के बारे में दूसरा और अमीरों की सम्पत्ति के बारे में दूसरा दृष्टिकोण है उसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता।

सभापति महोदया, माननीय मन्त्रीजी ने कहा कि राजस्थान सरकार की इस बात की घोषणा की हुई है कि कच्ची बस्ती के किसी आदमी को बेदखल नहीं किया जायगा, अगर किसी को बेदखल किया जायगा तो उसको आल्टरनेटिव लैण्ड दी जायगी। यह घोषणा किसी हद तक अच्छी है। लेकिन

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मैं माननीय मन्त्री महोदय को कहना चाहता हूं कि इस घोषणा को आप केवल भाषण तक ही सीमित क्यों रखते हैं; कानूनी शक्ल क्यों नहीं देते? जब अर्बन इम्प्रूवमेन्ट एक्ट में अमेन्डमेन्ट का प्रश्न आया था तब भी मैंने इस बात को प्रेस किया था कि आप इसको स्टेच्यूट में रख दीजिये, ताकि कम से कम उनके सिविल राइट तो क्रिएट हो जाये और सिविल कोर्ट्स के जरिये उनको एक्सरसाइज कर सकते हैं। नहीं तो आपके मुंह की तरफ देखना पड़ेगा, आपकी महरबानी पर निर्भर रहना होगा। आप जिसको चाहें उस पर महरबानी करदें बाकी के रह जायेंगे। जिस घोषणा का आपने जिक्र किया है यह घोषणा अवश्य प्रशन्सनीय है। जब तक यह कानून में नहीं आती है तब तक यह केवल मृग मरीचिका है। आपके आश्वासनों का जो मूल्य है, आपके आश्वासनों की कितनी कदर है यह हिन्दुस्तान की जनता अच्छी तरह से जानती है। आपने १९३० में करांची में क्या आश्वासन दिया, क्या क्या प्रस्ताव पास किये लेकिन हिन्दुस्तान को आप किस तरह से बना रहे हैं, यह अपने आप देखा जा सकता है।

सभापति महोदया, मैं इसलिये निवेदन करना चाहता हूं कि मन्त्री महोदय की वास्तव में मन्शा उसी तरह की है जिस तरह के उन्होंने विचार प्रगट किये हैं। तो सही बात यह होगी, कानूनी तरीके से उनके स्वामित्व के अधिकारों को स्वीकार करें। स्लम क्लीयरेन्स की स्कीम है, लोगों को बसाने की स्कीम है–उसमें यह संकल्प किसी प्रकार का रोड़ा नहीं अटकाता, सिवाय इसके कि अगर आप इसको स्वीकार कर लेते हैं तो उन लोगों को वहां से हटाते हैं तो आपको कम्पेन्सेसन देना होगा। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे इस संकल्प की यह मन्शा है कि जो इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने जाहिर की है। वे सब इससे सहमत हैं। कोई भी इन्सान इस भावना के खिलाफ नहीं होगा और मुझे इस बात की खुशी है कि किसी ने इस संकल्प की भावना की खिलाफत नहीं की। लेकिन सरकार जो कदम उठा रही है वह इन्डाइरेक्ट है, दर असल इस प्रस्ताव की भावना को पूरा नहीं करते। मंत्री महोदय से यह भी निवेदन करूंगा यह डिस्क्रीमिनेशन मत कीजिये। रूरल एरियाज के बारे में जो प्रिन्सीपल इवॉल्व होता है, इतनी बड़ी आगस्ट बाडी रेवेन्यू लॉ कमीशन जिसके अध्यक्ष जस्टिस भंडारी हैं, जो अपने हाई कोर्ट के जज हैं, जो एक सार्वजनिक कार्यकर्त्ता रहे हैं उनकी लीडरशिप में यह रेवेन्यू लॉ कमीशन बना है जिनकी यह रिकमेन्डेशन है, जो पीसमील तरीके से करने की नहीं, डाइरेक्टली स्टेच्यूट द्वारा इस अधिकार को देने की बात कही है; जिस बात को एग्रीकलचर लैन्ड पर माना है एक्चुअल ऑक्युपेशन के आधार पर जिसका खातेदारी हक माना है। जिस प्रकार टीनेन्सी लॉ में उसके अधिकार को माना है, उसी बुनियाद पर निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रिन्सिपल को यहां भी स्वीकार करिये। अगर नहीं करेंगे तो यह बात अलग है। लेकिन आपको यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, जनता अब इस मामले में जागरूक है। आप इस तरह से जिन लोगों के पास पट्टे नहीं, रजिस्ट्री नहीं उस बुनियाद पर लोगों को वहां से हटायेंगे तो वे अब सहन करने वाले नहीं। खास तौर से मैं इस संकट-काल में यह निवेदन करूंगा कि इस संकटकालीन परिस्थिति

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

में इस वर्ग ने जिस देश-भक्ति का परिचय दिया है जिन्होंने लोहे की दीवार बन कर शत्रु का मुकाबला किया है, जिसका बोझ आज नेशनल लीडर्स पर है; यह वह तबका है चाहे अमृतसर हो, चाहे जोधपुर हो, बडे बडे लोग मोटरों में बैठकर इधर उधर भाग गये लेकिन ये कच्ची बस्तियों में रहने वाले लोग हैं जो शत्रु के मुकाबले के लिये हमेशा वहीं पर जमे रहे। आज आप उनके अधिकारों को स्वीकार करने में लाएतलाली मत बरतिये। आप उनके कानूनी अधिकार को स्वीकार करिये और मेरे इस संकल्प को स्वीकार करके राजस्थान में जो कच्ची बस्ती में बसने वाले लोग हैं उनको ठीक प्रकार से बसाने के रास्ते को प्रशस्त करिये।

(४ म. प.)

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि आज जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

('हां' और 'ना' की आवाज)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : भोंपू बोल रहा है। सारी जनता का यह रिप्रेजेन्टेटिव पक्ष में बोल रहा है।

श्रीमती सभानेत्री : आप अमेन्डमेन्ट वापिस लेंगे ?

दो अमेन्डमेन्ट्स हैं।

एक माननीय सदस्य : नहीं लेंगे।

श्रीमती सभानेत्री : जो संकल्प प्रस्तुत किया गया है उसे स्वीकार किया जाय।

(मत-दान के पश्चात्)

हां पक्ष जीता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ना पक्ष जीता

श्रीमती सभानेत्री : क्या आप डिविजन चाहते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

(मत विभाजन सूचक घंटी)

(विराम)

श्रीमती सभानेत्री : मैं फिर से इसे रख देती हूं।

प्रश्न यह है कि जो संकल्प प्रस्तुत है उसे स्वीकार किया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डिविजन नहीं करावेंगे। हिन्दुस्तान का एक बहुत बडा दुश्मन था वह हट गया है। इसके लिये आज इसे छोड देते हैं।

श्रीमती सभानेत्री : अपने संकल्प को वापिस लेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसके वापिस लेने का प्रश्न नहीं है। आप वोट करा दें वोइस से।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि जो संकल्प रखा गया उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया।

(४.०२ म.प.)

जन लेखा समिति में रिक्त स्थान की पूर्ति

श्री हरिदेव जोशी (जन-स्वास्थ्य मंत्री): मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस सदन में सदस्यों द्वारा

(श्री हरिदेव जोशी))
राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम २१३-ए द्वारा समस्त सदस्यों में से जनलेखा समिति के एक रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये एक सदस्य का निर्वाचन किया जाय।

श्रीमती सभानेत्री : प्रश्न यह है कि इस रिक्त स्थान की पूर्ति की जावे।

(स्वीकृत)

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विराम)

मैं इसका प्रोग्राम भी बता देती हूं आपको।

नामजदगी के पर्चों को पेश करना ७ अक्टूबर, ६५; १२ बजे मध्यान्ह नामजदगी के पर्चों की जांच उन सदस्यों के समक्ष जो उपस्थित रहना चाहें; ७ अक्टूबर, ६५-मध्यान्ह १२॥ बजे।

नामजदगी के पर्चों की वापिसी—८ अक्टूबर, ६५; चुनाव यदि आवश्यक हुआ तो—९ अक्टूबर, ६५; मतों की गणना—९ अक्टूबर, ६५-तीन बजे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हम तो उदार हैं। चुनाव की आवश्यकता नहीं होने देंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : वे नामजद कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : संकटकाल में इस तरह के पचडे में नहीं पडना चाहिये।

श्री दयाराम (५८) का संयुक्त समाजवादी दल में सम्मिलित होने विषयक घोषणा

श्रीमती सभानेत्री : एक सूचना और दे रही हूं। श्री दायाराम, विभाजन संख्या ५८, संयुक्त समाजवादी दल में शामिल हो गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब तो कोई दल ही नहीं है। अब कोई दल दल नहीं रह गया।

श्री मथुरादास माथुर : दल नहीं, दलदल है।

(४.०५ म. प.)

नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४
(पुनः प्रवर समिति को)

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ को विचारार्थ लिया जावे।

[इस प्रस्ताव पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत हुए—

१. श्री गिरधारीलाल व्यास
श्री रामानन्द अग्रवाल :

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ (सन् १९६४ का विधेयक संख्या पी. १) को तीन माह के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जावे।

श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा
श्री मानधातासिंह
श्री रामकिशन
श्री गंगा सिंह राठोड :

(श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा)

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित नाथ-द्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ (सन् १९६४ का विधेयक संख्या पी. १) को एक नई प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन तीन माह में /आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में/ एक सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी।]

श्रीमती सभानेत्री : विचारार्थ लिया गया।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : सभापति महोदय, नाथद्वारा टेम्पल (अमेन्ट-मेन्ट) बिल, १९६४, जो प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रिपोर्ट के साथ पेश हुआ है, के सम्बन्ध में मेरा प्रस्ताव है कि इस बिल को वापिस जनमत जानने के लिये भेज दिया जाना चाहिये।

जिस तरह की रिपोर्ट प्रवर समिति ने पेश की है वह रिपोर्ट दरअसल ऐसी है कि उस बिल को, जिस शक्ल में ओरीजिनल था, उस शक्ल में उस बिल को वापिस भेजा गया है। मैंने उस समय भी, जब कि यह बिल पेश किया गया था, इस सदन में उस समय यह प्रस्ताव रखा था कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे क्योंकि इसमें, चाहे यह बिल छोटा सा हो, पर इसके पीछे सिद्धान्त जो निहित है, वह इतना बडा है कि हमारी राजस्थान की जनता में उसके बारे में काफी बडी कन्ट्रोवर्सी हो सकती है। पुराने विचारों में नये, विचारों में बडा संघर्ष हो सकता है और इसलिये आम जनता तक इस बिल को पहुंचाना चाहिये और इस के बारे में जनता का रिएक्शन मालूम किया जाना चाहिये। उस वक्त इस सदन में कई माननीय सदस्यों ने इस बिल का विरोध करते हुए भी या इसकी आलोचना करते हुए भी यह बात जाहिर की थी कि इसको प्रवर समिति में भेजें और उसमें बातचीच करके इस सम्प्रदाय के लोगों से बाचचीत करके और सम्बन्धित लोगों से बातचीत करके और वे किस नतीजे पर पहुंचे जिस प्रकार इस समिति की रिपोर्ट में कुछ असहमति-पत्र पढने से मुझे मालूम हुआ है कि इस प्रवर समिति में इस सम्प्रदाय के लोग जो डाइरेक्टली कनेक्टेड हैं; जैसे श्री गोस्वामीजी, जिनके सम्बन्ध में यह बिल है, की राय, उनके रिएक्शन जानने के लिये उनसे बातचीत भी प्रवर समिति के प्रतिवेदन के अनुसार नहीं हुई या उन्होंने इसको उचित नहीं समझा और इसके बारे में एक माननीय सदस्यों ने अपना असेन्टिंग नोट भी दिया है। इसलिये यह निवेदन था कि इस बिल पर और डिटेल में इस बारे में बातचीत की जाती या जनता का इसमें रिएक्शन जाना जाता तो अच्छा रहता।

सभापति महोदया, इस बिल में इस बात की मांग की गई है कि नाथद्वारा मन्दिर का, जो धार्मिक-सेवा करने का, अधिकार है, वह श्री तिलकायतजी का गोस्वामीजी का, इस कारण होना चाहिये कि वे इस सम्प्रदाय में बाकायदा वारिश हैं, इस सम्प्रदाय की सेवा करने के लिये वल्लभाचार्यजी के डाइरेक्ट लायनियल डिसेन्डेन्ट्स हैं। उसके पीछे तर्क जो है, जो दलील है वह दलील यह है कि इस मन्दिर की सेवा करने या खुद सेवा नहीं कर सके तो किसी से सेवा कराने का अधिकार उन्हीं लोगों को प्राप्त हो सकता है जिनको श्री गोस्वामी जी नियुक्त करें, इसके अलावा

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

और किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता और श्री गोस्वामीजी इस बात के लिये सेवकों को छांटने में या उनके जो मुख्य उपासक हैं या सेवक हैं बीच में उनको छांटने में कई बातों का वे ध्यान रखेंगे। वह इसका भी ध्यान रखेंगे कि उसकी जाति क्या है और वह कौन से विचारों का हैं और और बातें। तो गर्ज यह है कि यह बिल इस सिद्धान्त को प्रतिपादित करने के लिये, इस सिद्धान्त को पुनर्स्थापित करने के लिए कि हमारे देश के अन्दर जहां हम एक डेमोक्रेटिक सोसइटी कायम करना चाहते हैं, डेमोक्रेटिक वे ऑफ लाइफ को प्रोत्साहन दे रहे हैं और सामान्य जीवन के हर अंग में हम उसको प्रजातान्त्रिक बनाना चाहते हैं उसके मुकाबिले में उस थ्योरी को, उस विचार को जिसके अनुसार इस प्रकार के कुछ ऊंचे कार्य करने का अधिकार कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को, कुछ विशिष्ट जातियों को और लोगों को होता है ऐसी थ्योरी जो मानने वाले हैं, उस विचार को मानने वाले हैं इस बिल के जरिये और घुसाने की कोशिश है।

सभापति महोदया, जिस समय मैं इस प्रस्ताव को इस सदन के संमक्ष पेश कर रहा हूं मैं इस सम्प्रदाय को मानने वाले और धर्मावलम्बन करने वाले महानुभावों की जो भावनाएं हैं, उनकी इच्छायें हैं इस सम्प्रदाय के अनुसार अपनी मन्यताओं के अनुसार सेवा पूजा करने की उसके बारे में मैं कोई दखलन्दाजी नहीं करना चाहता। परन्तु उनकी उन भावनाओं का कि अपने देश में कोई मन्दिर में कोई यज्ञ करे, कोई गीता पढे कोई मस्जिद में आज कोई नमाज पढे, कोई कार्य करे, हम उसके अन्दर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते और उनकी अपनी मान्यताओं के अनुसार जो करना चाहें उस बारे में करें-उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन हम अपने समाज में जो कुछ फन्डामेन्टल्स हैं उन फन्डामेन्टल्स की परिधि के अन्दर ही तमाम आजादी को, तमाम मान्यताओं को मानने को उसको देना चाहते हैं। सभापति महोदया, एक वक्त था जब इस थ्योरी को माना जाता था और उस बात के लिए बडे बडे संघर्ष हुए कि हमारे धार्मिक ग्रन्थों को पढने का अधिकार, वेदों को पढने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। यह थ्योरी प्रतिपादित की गई कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, क्षत्रिय बाहुओं से पैदा हुए, वैश्य नाभी से पैदा हुए और शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं और उस थ्योरी की बुनियाद पर इस समाज की व्यवस्था की गई कि जो लोग मुंह से पैदा हुए हैं उनको समाज के अन्दर कुछ बहुत ऊंचा काम दिया जाये और जो लोग पैरों से पैदा हुए हैं उनका काम पैर दबाने का सारी जिन्दगी रहेगा, उनका काम सेवा करना सारी जिन्दगी रहेगा। इस तरह की आस्थायें, मान्यतायें, धर्म के आधार पर इस तरह की थ्योरीज, इस तरह के प्रपोजीशन्स हमारे देश के अन्दर आये और जब लोगों ने इन विचारों के खिलाफ विद्रोह किया, बगावत को और लोगों ने अधिकार दिया कि वेदों के पढने का अधिकार न केवल ब्राह्मणों को है बल्कि हमें भी है, संस्कृत पढने का, गीता पढने का अधिकार न केवल ब्राह्मणों को है बल्कि हमको भी है। इस बात के खिलाफ बडा संघर्ष हुआ। इस राइट के लिए जो क्लेम इन्सान ने किया उसके खिलाफ भारी रेजिस्टेन्स हुआ। इस बात की रोक लगाई गई कि न यह अधिकार

Page No 100

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
मनुस्मृति के अनुसार या धर्मग्रन्थों के अनुसार उन लोगों को है जो कि ब्राह्मण हैं या ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। सभापति महोदया, हमारी यह मान्यताएं हैं कि यह जो मान्यतायें हैं, यह जो दर्शन हैं, फिलॉसफी है यह समय के अनुसार जो व्यवस्था समाज की होती है वह समाज अपने आपका परिचय देने के लिए उस वक्त की जिस तरह की आवश्यकता होती है......

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (वांदीकुई) : सभापति महोदया, कुछ समय-निर्धारण कर दिया जाये क्योंकि सिर्फ एक घण्टा ही तो रह गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मंत्री, राजस्व) : निर्धारित हो चुका है। आप किसी धर्म को मानते तो हैं नहीं; तब भी धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, तो सुनिये तो सही जरा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एक एक आदमी सभी पार्टी का बोले, इस प्रकार की व्यवस्था कर दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो इस तरीके से इस बात पर लोगों ने विद्रोह किया, अपने राइट को क्लेम किया और इस राइट के खिलाफ पूरा रेजिस्टेन्स किया गया हमारे देश के अन्दर। आज भी इस बात के अवशेष, इस थ्योरी के अवशेष हैं जो यह मानते हैं कि कोई लोग जन्म के कारण ऊंचे हैं, और ऊंचे होने के कारण उनको अधिकार हैं, और कुछ लोग किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी जगह पैदा होने के कारण उन अधिकारों से वंचित हैं हमारे देश के अन्दर। आज हिन्दुस्तान का दुर्भाग्य है कि बावजूद भारी संघर्ष के, बावजूद महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन होने के, बावजूद इस डेमोक्रेसी के, आज भी इस विचार वाले अपना रेजिस्टेंस कर रहे हैं। वह विचार अपने स्थान को छोडने से इन्कार कर रहा है। सभापति महोदया, आज इस बिल के अन्दर जो मांग की जा रही है कि एक मन्दिर की सेवा करने का अधिकार एक पर्टीक्यूलर डाइनेस्टी को है, यह राइट ऑफ प्राइमोजेनीचर है। जिस तरह जोधपुर की गद्दी का मालिक वह नहीं जिसको कि जोधपुर की जनता चाहती हो, प्रजा परिषद् ने आन्दोलन लडा कि जिसको जनता चाहे वह राजा हो, लेकिन राजा वह होता जो राजा का बेटा होता। राजा परमात्मा का पुत्र है, परमात्मा का अवतार है। जो लोग डेमोक्रेसी के हमेशा खिलाफ रहे, जो आजादी के खिलाफ रहे, जो डेमोक्रेटाइजेशन के खिलाफ हैं, जो किसी तरह का जनता के संघर्ष का कानून आता है इस असेम्बली में तो उसकी खिलाफत करते हैं, चाहे वह डेमोक्रेटिक डीसेंट्रलाइजेशन हो या और कुछ, जो आज यह कहते हैं कि यह असेम्बली फिजूल है, कानून बनाने की व्यवस्था फिजूल है, केवल एक केन्द्रीय सरकार होनी चाहिये और जो आगे जाकर यह कहेंगे कि पार्लियामेंट भी फिजूल है केवल एक सम्राट होना चाहिए और वह गुरूजी होना चाहिए, वे लोग इस बिल का समर्थन करते हैं.......

एक माननीय सदस्य : यह इस बिल से किस तरह संबंधित है ?

श्रीमती सभानेत्री : संबंधित है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्य बहुत गम्भीरता से इस बात पर सोचें इस बिल के बारे में। इस सम्प्रदाय को मानने वाले

Page No 101

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

बहुत से महानुभाव हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध नहीं, लेकिन एक सिद्धान्त की बात है। सिद्धान्त के लिये चाहे दुनियां भी खिलाफ हो जाय, दुनियां के दार्शनिकों ने अपनी जानें दी हैं। पुरानी मान्यता थी कि पृथ्वी अचल है, सूर्य घूमता है। एक दार्शनिक ने कहा कि यह गलत है। इस बात पर लोगों ने उसे मार दिया, लेकिन उसने अपनी बात से इन्कार नहीं किया। आज दुनियां ने उस थ्योरी को स्वीकार कर लिया है, इसीलिए आज मैं कहना चाहूंगा कि इस देश के अन्दर सौ वर्ष पहले सामन्ती-काल के अन्दर जो आजादी के लिए संघर्ष शुरू हुआ, जिन लोगों ने डेमोक्रेसी की मांग की उस वक्त भी उन्होंने रोड़े अटकाने की कोशिश की। जो डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, जो एक तन्त्र की हुकूमत चाहते हैं, जो फासिस्ट हुकूमत चाहते हैं या जो राजा को एक ईश्वर का पुत्र मानते हैं और यह मानते हैं कि ईश्वर ही उसकी जगह पर विराजमान है, आज उन विचारों को और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं--इसमें उनके इलेक्शन इंट्रेस्ट भी हैं।

इलेक्शन में इस तरीके का नारा लगाते हुए देखा गया है। वे नेता जिन्होंने जनता के दुख और तकलीफ में जनता तक जाने की कभी कोशिश नहीं की, कभी उन्होंने जनता में जाने की तकलीफ नहीं की, ईश्वर का अवतार मानने की वजह से हमारी भोली भाली जनता ने उनको बडी भारी तादाद में चुन लिया। यह एक बडा खतरनाक विचार है और इस एक बहुत खतरनाक विचार को एक बडी आसानी से, एक बडे लहजे के साथ, इस एक बडे डेंजर को धर्म के नाम के साथ जोड कर, जो आज डेमोक्रेटिक सेटअप है, इस डेमोक्रेटिक एज के अन्दर इस सिद्धान्त को भी डेमोक्रेटाईजेशन के बीच में घुसेडा जा रहा है। सभापति महोदया, आखिर मैं यह जानना चाहता हूं कि आखिर इस बात के पीछे क्या मान्यता है कि उस मन्दिर में सेवा करने का अधिकार एक पर्टीकूलर डाइनेस्टी को ही है और उसके अन्दर अगर कोई मुकर्रर किया जाय तो भी वही लोग हों जिनको कि वह पर्टीक्यूलर आदमी मुकर्रर करे, वही लोग उसके लिए मुकर्रर किए जा सकते हैं। अगर वह मांग की जाय, अगर पुराने कानून में यह व्यवस्था हो, उस सम्प्रदाय के मानने वालों के एक्सेप्टेंस से और कोई पुजारी मुकर्रर किया जा सकता हो, अगर उस सम्प्रदाय के मानने वालों के अतिरिक्त कोई और सेवक मुकर्रर किया जा सकता हो तो यह मानने की बातें हो सकती हैं कि उनकी इस भावना को ठेस पहुंचेगी, अगर वह लोग उस सम्प्रदाय के उस डिटी की सेवा नहीं कर पायेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

लेकिन उस सम्प्रदाय के अन्दर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को पनपने नहीं देना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक सेट-अप का उत्थान होने नहीं देना चाहते हैं और उसी पुराने डेस्पोटिक तरीके को, राजाओं के तरीके को कायम रखना चाहते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह निगेशन ऑफ डेमोक्रेसी है। सभापति महोदया, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं और पहले भी मैंने यह निवेदन किया है कि अगर हम इस देश के अन्दर वास्तव में जनतन्त्र को पनपने देना चाहते हैं तो केवल कुछ असेम्बलियां या कुछ

Page No 102

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

पंचायतें या पार्लियामेंट कायम करने से ही जनतंत्र क़ायम नहीं हो जाता। जनतंत्र की भावना हमको अपने तमाम जीवन में, अपने साहित्य में, अपने धर्म में और अपने ट्रेड में, अपने कल्चर और अपने आर्ट में, अपने लिट्रेचर में, तमाम में डेमोक्रेट्राइजेशन करना होगा। सभापति महोदया, आज यह खतरा है कि हमारी सरकार भी जिस तरीके से कम्प्रोमाइज करने की नीति है अपने आपको कायम रखने की लिये केवल इस वजह से कि उस सम्प्रदाय के लोग बहुत बडी तादाद में उदयपुर डिविजन में रहते हैं, हमारे मुख्य मंत्रीजी के बहुत से वोटर्स या कांग्रेस दल के या किसी और दल के बहुत से वोटर्स उस सम्प्रदाय को मानने वाले हैं और वे उससे नाराज हो जायेंगे अगर····

श्री विजयसिंह झाला : चुनावों से इस बिल का क्या सम्बन्ध है? बहुत सी बातें वैसे ही कह रहे हैं जिनका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्रीमती सभानेत्री : It is relevant.

आप भी इसी तरह बातें करते हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : सभापति महोदया, इसीलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार भी आज इन छोटे लोगों के लिए एक बहुत बडे प्रिंसिपल को कुर्बान करने की कोशिश न करे। जो behind the door, पर्दे के पीछे मैंने बातें होती देखीं, जो आज हमने नए मंत्रीजी का भाषण सुना, उसमें भी ऐसा मालूम पड रहा है कि कोई तरीका निकाल कर उस स्थिति को एक्सेप्ट करने के लिये तैयार होने की स्थिति अपनी बना रहे हैं। अपनी पार्टी के अन्दर जो नौजवान तबका है जो डेमोक्रेटिक तबका है जो इस उसूल को स्वीकार करने को तैयार नहीं है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

उनको पटाने की कोशिश की जा रही है; वरना मैं यह समझता हूं, सभापति महोदया, कि इस बिल में जो स्थिति है उसको कभी स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और इसीलिए इसका मैं विरोध करता हूं। अगर इसको वापस न लें माननीय सदस्य तो इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय और जनमत आने के बाद ही इसको कानूनी शक्ल देने की तरफ कोई भी कदम बढाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

(दो-तीन माननीय सदस्य बोलने खडे हुये)

श्रीमती सभानेत्री : श्री गिरधारीलाल।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : सभापति महोदया, नाथद्वारा मंदिर अधिनियम, १९५९ जो इस सदन द्वारा पास हुआ और उसके संबंध में एक संशोधन विधेयक १९६४ का आज प्रस्तुत हुआ है, उसके लिये मैंने प्रस्ताव किया है कि इसको जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जाय। मैं यह निवेदन कर रहा था, जैसा कि इस बिल के संबंध में देखा गया कि पहले इसको प्रवर समिति के अन्दर भेजा गया था और उसमें जिन माननीय सदस्यों ने अपनी असहमति प्रगट की है उनके विचार से भी यह इसको पढने से अवगत हुए। जैसी जानकारी मिली है कि राज्य सरकार की तरफ से इसमें जो मंत्री महोदय गए थे और उनको इस बिल के अन्दर अपने विचार

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

प्रगट करने का, या जो सरकार के विचार थे उनको प्रगट करने का अवसर नहीं मिला। जिस प्रकार से यह बिल प्रस्तुत किया गया है, उस प्रकार से प्रवर समिति के द्वारा प्रतिवेदित करके उसको इस सदन के सामने पेश किया गया है। जहां तक मंदिरों का प्रश्न है, धर्म का प्रश्न है उसमें किसी भी आदमी को या किसी सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। मगर उसकी व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है, जहां पर कि हजारों, लाखों और करोड़ों आदमी जिस धर्म को मानने वाले हैं और अगर उस धर्म के अन्दर जो मंदिर चलते हैं या जिस मंदिर की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होती है तो सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि उस मंदिर या उस धर्म को ठीक प्रकार से व्यवस्थित तरीके से चलाने में सरकार ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्रदान करे।

श्री जयनारायण सालोदिया (निवाई): बहुत रुपया खाया है उस मंदिर का। आपके मंत्री लाखों रुपया खा गए और अब वे लाखों रुपये पचाने का तरीका सोच रहे हैं और क्या सहयोग करना चाहते हैं?

श्री चन्दनमल बैद (उप-मंत्री, उद्योग): कौन रुपया खा गया है, नाम तो बताइए? इस तरह से सार्कस्टिक रिमार्क्स पास करने से क्या होता है?

श्री जयनारायण सालोदिया: यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो रिपोर्ट में है।

(व्यवस्था–सूचक घण्टी)

धर्म का पैसा खा गए और अब बात करते हैं! शर्म नहीं आती है!

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य इन्टरप्ट न करें, उनको बोलने दें।

श्री गिरधारीलाल व्यास: माननीय सदस्य जिस प्रकार से बडे जोश के साथ में इस प्रकार की बात कर रहे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए कि हम भी इस धर्म के मानने वाले हैं और इसमें......

श्री जयनारायण सालोदिया: आप धर्म का पैसा खा गये और धर्म की बात करते हैं।

श्री गिरधारीलाल व्यास: हम नहीं आप खा गये होंगे। इस प्रकार का झूठा आरोप लगाते हुए आपको शर्म नहीं आती है।

श्री जयनारायण सालोदिया: आपने मन्दिर के पैसे का गबन किया है, उसका पैसा हजम किया है।

श्री गिरधारीलाल व्यास: आप गलत बात कहते हैं।

श्रीमती सभानेत्री: माननीय सदस्य, (श्री जयनारायण सालोदिया से) मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप इन्टरप्ट न करें। जब आपका वक्त आये तब कुछ कहें।

श्री गिरधारीलाल व्यास: मैं यह अपने विचार रख रहा हूं कि हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म में विश्वास रखने की आजादी है और अपने धर्म का पालन करने की आजादी है। हम यह भी चाहते हैं कि जिस धर्म का यह मन्दिर है, जिसकी व्यवस्था का सवाल है; तो कम से कम उस धर्म वालों के साथ बैठ कर बातचीत करें कि इस मन्दिर की किस प्रकार से व्यवस्था हो। उसके बारे में जानकारी की जाय तो ज्यादा उपयुक्त होगा।

श्री जोधसिंह चौहान : अब तक सो गये थे क्या ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : इस बिल के अन्दर जो व्यवस्था की गई है उसके अन्दर जो सेक्शन ५ है उसमें यह व्यवस्था की गई है कि वहां के जो तिलकायतजी महाराज हैं उनको उसका अध्यक्ष बनाया जाय। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं कि जो इस धर्म के प्रमुख व्यक्ति हैं अगर उनको इसका अध्यक्ष बनाया जाय तो इसमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है । मगर जहां तक एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, जहां तक पूजन करने का सवाल है तो पूजन की व्यवस्था का तो तिलकायतजी महाराज से ताल्लुक है और उन्हीं की देख-रेख में करते हैं। जहां तक उसके फाइनेन्स, उसकी प्रापर्टी और दूसरी व्यवस्थाओं का प्रश्न है तो वहां पर जैसा कि पहले इस अधिनियम में ५९ में किया था उसी प्रकार की व्यवस्था हुई है और जिसके कारण से इस सरकार को तकलीफ करनी पडी। अगर उसी प्रकार की व्यवस्था रहती है तो हमारे इस बिल के लाने का उद्देश्य पूरा नहीं होता है । इसलिए जो संशोधन पेश किया गया है उसके ऊपर हमें पूरी तरह से विचार करना पडेगा और इस धर्म में विश्वास रखने वाले जितने भी लोग हैं उनकी सहमति और असहमति के विषय में विचार करना होगा । अगर वे इस व्यवस्था को चाहते हैं कि सारे के सारे तिलकायतजी को अधिकार दिये जायं तो सरकार को क्या आपत्ति हो सकती है ? मैं इसके विषय में ज्यादा नहीं कह सकता. लेकिन जो इसके धर्मावलम्बी हैं उनको अगर उसके विषय में कोई आपत्ति नहीं हो तो उसकी भी जानकारी कर ली जाय, तो ज्यादा उपयुक्त चीज होगी ।

तो मेरा इसीलिये यह अनुरोध है कि तिलकायतजी महाराज, इस सेक्शन के तहत में जैसे कि अध्यक्ष बनने का सुझाव है, अध्यक्ष बन जायं उसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं, लेकिन बोर्ड का जो मैनेजमेंट है उस बोर्ड में उस धर्म के मानने वाले प्रमुख व्यक्ति होंगे; ऐसे ही लोगों का बोर्ड बनाया जाकर उसका मैनेजमेंट किया जायेगा, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

इसी प्रकार दूसरी व्यवस्था और की गई है कि इसकी सेवा-पूजा करने वाले और एक्जीक्यूटिव ऑफिसर वगैरह जो हैं इस मन्दिर के उनको तिलकायतजी महाराज एपोइण्ट करेंगे, इस प्रकार की व्यवस्था है । मेरे ख्याल से यह जो बोर्ड मैनेजमेंट करने के लिए बनाया जायेगा जिसके कि तिलकायतजी महाराज अध्यक्ष होंगे तो बोर्ड को अधिकार होना चाहिए न कि एक व्यक्ति को । इसलिए अगर इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की जाय तो ज्यादा उचित होगा । उससे उन लोगों, जो कि वहां पर काम करने वाले हैं, को ज्यादा सहायता मिलेगी और इस मन्दिर की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को लाभ मिलेगा । तो इसलिये मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की अगर व्यवस्था की जायेगी तो इस मन्दिर की व्यवस्था सुचारु रूप से चलेगी । आप जानते हैं कि यह नाथद्वारा मन्दिर राजस्थान में ही नहीं बल्कि सारे हिन्दुस्तान में एक बहुत बडे साम्प्रदाय से ताल्लुक रखने वाला मन्दिर है । यह बहुत बडा मन्दिर है और इसकी बहुत बडी प्रोपर्टी है । अगर ऐसे मन्दिर और ऐसे स्थान की व्यवस्था ठीक प्रकार से नहीं होती है तो उसके जो मानने वाले हैं या अनुयायी हैं उनको भी गहरा

(श्री गिरधारीलाल व्यास)

धक्का लगता है। इसलिए यह हमारा परम कर्तव्य है कि और आज के युग में जब हम सब धर्मों को अपने तरीके से मानने की पूर्णतया आजादी देते हैं तो वास्तव में जो भी अधिकार हमको गवर्नमेंट ने दिये हैं या जो हमको अपने धर्म के मानने के अधिकार हैं उन अधिकारों का पूर्णरूप से उपयोग हो और उसकी व्यवस्था ठीक प्रकार से हो, इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए। इसलिए मैं यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार की अगर व्यवस्था की जायगी तो सुन्दर और सुचारु होगा, और उससे मन्दिर के संबंध में लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा।

दूसरा एक प्रस्ताव और रखा गया है। इसमें धारा ५ की उप-धारा (१) के अन्दर वहां के संसद-सदस्य और विधान सभा के सदस्य हैं उनको भी बोर्ड के अन्दर सदस्य मनोनीत किया जाय। जहां तक संसद सदस्यों और विधान सभा के सदस्यों का ताल्लुक है उनका किसी धर्म और किसी प्रकार के मन्दिर से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं रहता है। उससे तो ताल्लुक वहां के उस धर्म के मानने वाले लोगों का है, चाहे वे विधान सभा के सदस्य हों या न हों, चाहे संसद के सदस्य हों या न हों, उनको इस प्रकार के बोर्ड में लेने से किसी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। इसमें तो उस धर्म के मानने वाले लोगों को स्थान दिया जायेगा तो उस मन्दिर के मानने वाले या उस धर्म के मानने वाले उसकी व्यवस्था को ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह से चलाने में सहयोग देंगे। तो इसलिए यह जो एमेण्डमेंट रखा है, मेरे खयाल से इसमें कुछ रद्दोबदल किया जाकर; तिलकायतजी महाराज को जहां तक अध्यक्ष बनाने का सवाल है उसका मैं विरोध नहीं करता हूं, लेकिन जहां तक दूसरे प्रश्न हैं कि उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से हो, उससे ताल्लुक रखने वाले हैं वे किस प्रकार के हों; इन सब बातों पर पूरी तरह से गौर करना पड़ेगा।

श्री चौसरसिंह बाबेल (बेगूं) : अब तक क्या किया ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : उस पर गौर किया जाकर इस प्रकार की व्यवस्था की जाय कि जिससे मैनेजमेंट अच्छा हो और मन्दिर की व्यवस्था सुचारु रूप से चले ताकि उस धर्म के मानने वाले सभी लोगों को लाभ मिले।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रस्ताव रखा था कि जनमत जानने के लिए इस बिल को प्रसारित किया जाय ताकि सब लोगों के विचार राज्य सरकार को मिल सकें, और जिस प्रकार के इस धर्म के मानने वाले लोग हैं या दूसरे लोग हैं वे विचार प्रकट करें तो उसी प्रकार की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए।

श्रीमती सभानेत्री : श्री मानधातासिंह।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मेरा नोट आफ डिसेंण्ट है।

श्रीमती सभानेत्री : इनका एमेंडमेंट है। पहले एमेंडमेंट आयेगा।

श्री मान्धातासिंह (महुआ) : सभापति महोदया, अभी आपके समक्ष साम्यवादी

(श्री मान्धातासिंह)

माननीय सदस्य, जो कि अलवर से आये हैं, ने विचार प्रकट किये और कांग्रेस के एक माननीय सदस्य, जो कि आसींद से आने वाले हैं, ने अपने कांग्रेस के मत के अनुसार विचार प्रकट किये। जहां तक साम्यवाद का सवाल है तो साम्यवाद के लिए धर्म कोई चीज नहीं है, परन्तु यहां अपने देश के अन्दर अभी साम्यवाद लागू नहीं हुआ है। अपने देश का कान्स्टीट्यूशन संविधान से गवर्न होता है और उसी के अनुसार यहां पर सब कार्यवाही होनी चाहिए।

मैं आपका ध्यान संविधान की धारा २५ की ओर आकर्षित करूंगा कि जिसके अनुसार हर शख्स को फ्रीडम ऑफ प्रेक्टिस ऑफ रिलीजियन है :

"Freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion."

हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार है कि वह अपनी मर्जी के अनुसार अपने धर्म की आराधना करे। इसमें जो ऑप्शन दिया है जिसमें गवर्नमेंट दखलन्दाजी कर सकती है, वह क्लॉज इस प्रकार है :

"25. (1) Subject to public order, morality and health and other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion.

(2) Nothing in this Article shall affect the operation of any existing law or preventing the State from making any law:

(a) regulating or restricting any economic, financial political or other secular activity which may be associated with religious practice;"

रिलीजियस प्रेक्टिस के संबंध में केवल सेक्यूलर, इकोनोमिक वगैरह एक्टिविटीज हैं; सरकार उन पर नियंत्रण कर सकती है, लेकिन सेवा पूजा पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकती। हर शख्स फ्री है to profess his religion। आज से कुछ वर्ष पूर्व सन् १९५९ से सरकार नाथद्वारा टेम्पल एक्ट फोर्स में लाये और उसके प्रावधान के अनुसार एक टेम्पल बोर्ड नियुक्त किया गया; उसका मुख्य प्रावधान यह है कि टेम्पल की संपत्ति की देख-रेख करने का बोर्ड को राइट होगा। उसके १० सदस्य होंगे और तिलकायतजी उसके केवल एक सदस्य होंगे प्रेसिडेंट नहीं होंगे; इसके अलावा धारा १६ के अनुसार ड्यूटीज ऑफ दी बोर्ड ये हैं :

"Subject to the provisions of this Act and of the rules made thereunder, the Board shall manage the properties and affairs of the temple and arrange for the conduct of the daily worship and ceremonies and of festivals in the temple according to the custom and usages of the Pushti-margiya Vallabhi Sampradaya."

इसमें शर्त है कि जो सेवा-पूजा होगी वह पुष्टिमार्गी बल्लभ संप्रदाय के अनुसार होगी। लेकिन मेरा निवेदन यह है कि जो सेवा-पूजा होती है नाथद्वारा मंदिर में

(श्री मानधातासिंह)
आजकल वैष्णव संप्रदाय के अनुसार नहीं होती है, उसमें वल्लभ संप्रदाय के नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसके संबंध में मैं संक्षेप में आपके समक्ष वल्लभ संप्रदाय के सिद्धान्त रखूंगा।

वल्लभ संप्रदाय के सिद्धान्तों के अनुसार सेवा मुख्य चीज है। वैष्णवों के जितने आचार्य हुए हैं उनमें से वल्लभाचार्यजी मुख्य आचार्य थे और उन्हीं के अनुयायी वल्लभ संप्रदाय के कहलाते हैं। श्री वल्लभाचार्यजी के पुत्र श्री विट्ठलेश्वरजी हुए और उनके ७ पुत्र हुए। उनके पास ७ निधियां थीं। इन सातों निधियों में से भगवान् श्रीनाथ जी की मूर्ति प्रथम थी। उन सातों निधियों को उन्होंने अपने सात पुत्रों में बांटा और सबसे ज्येष्ठ पुत्र को श्रीनाथजी की सेवा का अधिकार दिया। उनके ज्येष्ठ पुत्र के वंशज श्री तिलकायतजी हैं और उन्हीं को अधिकार है कि वे सेवा-पूजा करें। वल्लभ संप्रदाय के सिद्धान्त के अनुसार वंश परंपरा से ही सेवा-पूजा होती है। जो सेकेंड निधियां श्री वल्लभदासजी की हैं उनमें सेवा-पूजा उनके वंशज ही कर सकते हैं, दूसरा शख्स नहीं कर सकता। लेकिन इस समय वहां पर जो मुखिया नियुक्त है वह श्री तिलकायतजी की आज्ञा से नियुक्त नहीं है। वैष्णव सिद्धान्त के अनुसार मुखिया नियुक्त हुआ नहीं है, उसको तिलकायतजी नियुक्त कर सकेंगे, या तो तिलकायतजी स्वयं सेवा पूजा करेंगे। वल्लभ संप्रदाय में मुख्य बात यह है कि भगवान को बाल स्वरूप माना है और जो सेवक हैं वह अपने आपको उनके माता पिता समझता है और भगवान को बालक समझता है। जिस तरह से बालक की सेवा माता दूसरे के हाथ में नहीं देती उसी तरह से तिलकायतजी श्रीनाथजी की सेवा दूसरों के हाथ में नहीं दे सकते, केवल उनकी इमदाद के लिये सेवक नियुक्त कर सकते हैं। और ऐसा सेवक मुखिया कहलाता है। लेकिन मुख्य सेवक तिलकायतजी महाराज हैं उन्हीं को सेवा का अधिकार है और वे ही सेवा श्रीनाथजी की कर सकते हैं और अपनी इमदाद के लिये मुखिया नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन इस समय मुखिया उनकी आज्ञा से नियुक्त नहीं है और वल्लभ संप्रदाय के सिद्धान्तों का पालन नहीं किया जा रहा है। वल्लभ संप्रदाय के अनुसार केवल गुरु की आज्ञा से ही सेवा कर सकते हैं लेकिन वहां पर गुरू की आज्ञा से सेवा नहीं होती है और उसको तिलकायतजी ने नियुक्त भी नहीं किया है। तिलकायतजी का स्थान बहुत ही उच्च है। वे वल्लभाचार्यजी के डाइरेक्ट वंशज हैं। आचार्य का स्थान वैष्णव धर्म में बहुत ही उच्च माना है। वैष्णव सिद्धान्त के अनुसार भगवान ने कहा है, आचार्य में भगवान को या मुझको समझो, आचार्य में और भगवान् में कोई अंतर नहीं है। वल्लभ संप्रदाय वाले आचार्य और भगवान् को बराबर समझते हैं। तिलकायतजी भगवान के बराबर हैं, उनका अनादर किया जा रहा है; वह इस प्रकार कि टेम्पल बोर्ड में उनको केवल सदस्य बनाया है। उनकी पोजीशन के अनुसार उनको उसका प्रेसीडेन्ट होना चाहिये।

टेम्पल बोर्ड एक्ट है, उसमें ड्यूटीज दी गई हैं, उसमें भी वैष्णव सम्प्रदाय के सिद्धान्तों के अनुसार सेवा पूजा होनी चाहिये और तिलकायतजी ही सेवा कर सकते हैं सिद्धान्त के अनुसार, लेकिन वे सेवा-पूजा

(श्री मानधातासिंह)

नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुखिया दूसरों ने एपोइन्ट किया है, टेम्पल बोर्ड ने एपोइन्ट किया है। इस संबंध में मेरा यह निवेदन है कि हाई कोर्ट ने भी अपने फैसले में यह लिखा है कि इस बोर्ड का प्रेसीडेन्ट तिलकायतजी को ही नियुक्त करना चाहिये:

The Court observed, "We may however, mention that we would have felt happy and satisfied if the Goswami who enjoys such an exalted and venerable position in the eyes of his followers should have been made the President of the Board."

लेकिन सरकार ने गोस्वामीजी तिलकायतजी को प्रेजिडेन्ट नहीं नियुक्त किया है और इसी कारण से यह संशोधन लाया गया है।

मैं एक निवेदन और कर दूं कि भारतवर्ष एक सेक्युलर स्टेट है और आम तौर से सरकार धर्म में दखलन्दाजी नहीं करती है। दूसरे धर्म हैं मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई; उनके मंदिर-मस्जिदों में किसी तरह की दखलन्दाजी नहीं हुई है, केवल श्रीनाथजी के मंदिर में ही दखलन्दाजी की गई है। उसका कारण यह बताया जाता है कि उस वक्त गवर्नमेन्ट को शक था कि तिलकायतजी ने कुछ आभूषणों का दुरुपयोग किया। यह भी उन पर बिल्कुल गलत आरोप लगाया गया था जिसको कोर्ट में साबित कर दिया गया है। वैष्णव सिद्धान्तों के अनुसार आभूषणों की कोई मोनिटरी वेल्यू नहीं है। जैसे भगवान की पूजा के लिये चन्दन, पुष्प आदि इस्तेमाल होते हैं वैसे ही आभूषण हैं, उनकी कोई मोनिटरी वेल्यू नहीं है; यह भी एक तरह से पूजा की सामग्री है, इसका दुरुपयोग आचार्य श्री तिलकायतजी करेंगे, यह समझ में आने जैसी बात नहीं है।

ये जो संशोधन इसमें आये हैं वे भी इन्कम्प्लीट हैं। मैं समझता हूं, एक तो यह कमी है कि प्रेसीडेन्ट तिलकायतजी को नियुक्त किया जाय और मुखिया की नियुक्ति बोर्ड न करे, तिलकायतजी करें; लेकिन इसके अन्दर और भी कई प्रोवीजन्स हैं जिनमें अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता है।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामकिशन !

श्री मानधातासिंह : मैं दो ही मिनिट में खत्म करता हूं। सेक्शन ८ में यह लिखा है:

"The President and the members of the Board, other than the ex-officio member thereof, shall, subject to the provisions of sections 6, 7 and 10, hold office for a period of three years from the date on which their appointment is notified in the Official Gazette"

इसका एक्स-ऑफिशियो मेम्बर केवल कलेक्टर है और तिलकायतजी का टर्म तीन साल के लिये रखा है। वह शख्स जिनको सेवा का अधिकार है एक्स ऑफिशियो होना चाहिये, न कि तीन साल के लिये। इसी प्रकार सेक्शन २१ में जितने सेवक हैं उन सबकी नियुक्ति बोर्ड के आदेश से हो सकती है और सेक्शन १६ में भी बजाय होना चाहिये कि पूजा वगैरह वर्शिप में कोई भी दखलन्दाजी नहीं होगी। बोर्ड को सिर्फ यही अधिकार होना चाहिये कि प्रोपर्टी है उसको मैनेज करे।

Page No 109

(श्री मानधातासिंह)

मेरा निवेदन है कि जो मौजूदा अमेंडमेंट हैं, या तो उनको यह सदन पास करे और यदि पास नहीं करना चाहे तो और अमेंडमेंट्स लाये जावें जिनको लाने से इस एक्ट का स्वरूप बिल्कुल वैष्णव-सिद्धान्तों के आधार पर हो जाये ।

श्रीमती सभानेत्री : श्री रामकिशन !

(अनुपस्थित)

श्री गंगासिंह राठोड़ !

(अनुपस्थित)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीया...

श्री दामोदरलाल व्यास : There is an amendment to be moved by me also.

[संशोधन प्रस्ताव इस प्रकार है :--

"प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित नाथद्वारा मन्दिर (संशोधन) विधेयक, १९६४ (सन् १९६४ का विधेयक संख्या पा० १) को एक नई प्रवर समिति के सुपुर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक माह में सदन में प्रस्तुत करे । प्रवर समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी ।"]

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अच्छा आप भी करेंगे ?

श्री दामोदरलाल व्यास : Unless that is moved....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आपका भी एक अमेंडमेंट है, वह आ जावे ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप भी अपना अमेंडमेंट रख दें ।

श्री दामोदरलाल व्यास : सभापति महोदया, इस बिल के अन्दर एक अमेंडमेंट मैंने पेश किया है । मेरे से पहले महुआ से आने वाले माननीय सदस्य ने पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के बारे में बातें बताई और इस पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय का ओरिजिन किस तरह से हुआ और किस तरह महाराजश्री तिलकायतजी को सेवा पूजा का अधिकार है--ये सब बातें बताई । जो नाथद्वारा एक्ट है, जिसमें से पढ़ कर उन्होंने बताने की कोशिश की कि महाराजश्री का सेवा पूजा का अधिकार इस एक्ट में से लिया गया है, मैं सबसे पहले यह बात अर्ज करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को यह समझना चाहिए, नाथद्वारा में ही नहीं हिन्दुस्तान में बड़े बड़े मन्दिर हैं और जिन मन्दिरों के अन्दर हिन्दुओं की आस्था है, वे चाहे किसी सम्प्रदाय के हों वहां बराबर सेवा-पूजा का इन्तजाम होता है और उसके साथ साथ उसकी प्रोपर्टी का भी इन्तजाम किसी न किसी कानून के जरिये होता है ।

श्री जोर्वासिंह चौहान (गिरवा) : सत्यानाश किया है सबका !

श्री दामोदरलाल व्यास : धन्यवाद आपको । आपका मौका जब आवे तो पुनर्जीवित कर देना उनको ।

मैं अर्ज कर रहा हूं, टेम्पल प्रोपर्टी का मैनेजमेंट प्रोपरली हो, इस उद्देश्य को लेकर यह नाथद्वारा एक्ट बनाया गया । और यह कोई नई बात नहीं थी, महाराज श्री ने खुद ने अपनी पॉवर ऑफ एटोर्नी की

(श्री दामोदरलाल व्यास)

स्कीम बनाई थी उसके अन्दर इन्हीं लाइन्स के ऊपर करीब करीब मैनेजमेंट कमेटी बनाई थी और उसको अधिकार दिया गया था टेम्पल की प्रापर्टी को सुरक्षित रखने के लिए, प्रोपर्टी मैनेजमेंट के लिए काम करेगी। रहा सवाल इस बात का कि सेक्शन १५ या एक सेक्शन पढ़ कर बताया कि जिससे मतलब निकलता है कि सेवा-पूजा का अधिकार टेम्पल बोर्ड से छीना गया है। सेक्शन १६, में समझता हूं, इसका गलत इन्टर-प्रिटेशन है। उसमें जो बात बताई गई है वह यह है :

"*Duties of the Board*: Subject to the provisions of this Act and of the rules made thereunder, the Board shall manage the properties and affairs of the temple and arrange for the conduct of the daily worship and ceremonies and of festivals in the temple according to the customs and usages of the Pushti-Margiya Vallabhi Sampradaya."

This is very significant.

पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के जो यूसेज हैं, कस्टम हैं और जो ट्रेडीशन्स हैं उनके मुताबिक सेवा-पूजा होना और जो त्यौहार वगैरह हैं उनको ओब्जर्व करने की जिम्मेदारी रखी है, टेम्पल बोर्ड वह इन्तजाम करे। कहीं ऐसा नहीं है कि खुद करे। रहा सवाल कि पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के अनुसार महाराजश्री सेवा पूजा करते हैं, उनको सेवा पूजा करने का अधिकार, उनको पूजा करने की आज्ञा देने का अधिकार है। इस कानून से उस अधिकार को नहीं लिया गया है.........

श्री मानधातासिंह (महुवा) : मुखिया को दूसरा अप्वोइण्ट करता है न ?

श्री दामोदरलाल व्यास : I am just coming to that. Don't be impatient.

इसलिए यह कहना कि सेवा-पूजा का अधिकार ले लिया है, सेवा-पूजा करने की आज्ञा देने का अधिकार नहीं है, यह गलत है। इसका इण्टरप्रिटेशन इस प्रकार का नहीं हो सकता। रहा सवाल कि मुखिया का अपोइण्टमेंट कौन करे ? मैं अर्ज करना चाहता हूं, जिस प्रकार का बिल पेश किया है और जो प्रोवीजन करना चाहते हैं, जो अपाइण्टमेंट वगैरह का मामला है वह है, जिन लोगों को सेवा-प्रसाद पाने का अधिकार है, जो सेवा-प्रसाद पाने वाले हैं। वहां मुखिया की बात नहीं रहती। उसके लिए मैं आपसे अलग से अर्ज करूंगा कि उसके अपोइण्टमेंट पर क्या प्रभाव हो सकता है। सेवा-प्रसाद पाने वालों की चालीस-पचास की लिस्ट है, उनको प्रसाद मिलता है और टर्न से, नम्बर से वह सेवा-पूजा करते हैं; जिस प्रकार आप मान लीजिये कि कोई है और उसे यह अधिकार है। इस सबंध में मैं कोई कमिटमेंट नहीं करना चाहता और न चाहता हूं कि कोई कमेण्ट करूं। माननीय सदस्यों को गलतफहमी हो रही है उसके लिए, सभापति महोदया, मैं आप द्वारा यह कहना पसन्द करूंगा कि इस दफा से महाराजश्री का अधिकार ले लिया गया है। यह बिल्कुल गलत है। महाराजश्री को अधिकार है और जो यूसेज हैं, कस्टम हैं और ट्रेडीशन्स हैं, उनके अनुसार सेवा-पूजा का अधिकार है। उनका अधिकार नहीं लिया गया है और यह है कि टेम्पल बोर्ड इसमें मदद करेगा और

(श्री दामोदरलाल व्यास)
इन्तजाम करेगा कि पुष्टिमार्गीय सम्प्रदाय के कानून-कायदे और रिवाज के मुताबिक सेवा-पूजा होती रहे। इसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर रखी गई है। रहा सवाल मुखिया का मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नाथद्वारा टेम्पल एक्ट को अल्ट्रावायर्स डिक्लेअर कराने के लिए उसको चैलेंज किया गया। उसमें जो अमेंडमेन्ट हुए, उनको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, उसकी सब बातों को वहां चैलेंज किया गया। वहां पर इस पर पूरी बहस हुई है कि मुखिया और सेवा-सदस्यों का अपोइन्टमेन्ट कौन करे। और उसके ऊपर जो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं वे ऑब्जर्वेशन गवर्नमेन्ट के लिए बहुत आवश्यक हैं। उनके ऑब्जर्वेशन को ध्यान में रखते हुए प्रावधान करने की आवश्यकता थी, वह हम करें। तो जैसा शुरू में मैंने कहा था कि इस बिल को स्थगित कर दिया जाय, इस वजह से कि दोनों पार्टी के जो एग्रीमेंट हैं, या जो रूल्स हैं और उनका इन्टरप्रिटेशन क्या हो सकता है ··

श्रीमती सभानेत्री : क्या सदन की राय में समय बढ़ाया जाय ?

श्री दामोदरलाल व्यास: I am just finishing.

श्रीमती सभानेत्री : समय बढ़ाया जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : समय बढ़ाने की जरूरत नहीं है। I oppose this. There is no need of this.

श्री जयनारायण सारोदिया : निर्णय हो गया है।

श्री दामोदर लाल व्यास : निर्णय नहीं होता इस तरह। निर्णय तब होता है जब सदन की राय ली जाय। मैं समय को बढ़ाने के पक्ष में नहीं हूं। बस इन शब्दों के साथ ··

श्री मानधातासिंह : इन सुविधाओं को आप हटा देना चाहते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : इतना बता दीजिये, अभी पांच मिनट हैं। क्या यह सही है कि सुप्रीम कोर्ट ने मुखिया की नियुक्ति का अधिकार महाराज श्री का माना है और इस समय जो काम कर रहे हैं वह महाराजश्री के द्वारा नियुक्त नहीं है। क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले को क्रियान्वित की दृष्टि से मुखिया की नियुक्ति का अधिकार महाराजश्री को हो, सेवा-पूजा वह करे-इस सब दृष्टि से क्या उनके नाथद्वारा में आने की व्यवस्था हो सकती है ? और क्या ··

श्री दामोदरलाल व्यास : उनके नाथद्वारा आने में कोई रुकावट नहीं है।

एक माननीय सदस्य : समय अधिक हो चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : डेढ़ मिनट बाकी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : आपने समय बढ़ाया है, आपने राय ली है।

श्री दामोदरलाल व्यास : नाथद्वारा में आना चाहें तो कोई रुकावट नहीं है। हम उनका स्वागत करेंगे। जहां तक मुखिया के अपोइन्टमेन्ट का प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिये हैं उनको इग्नोरेन्ट जूरिस्ट

Page No 112

(श्री दामोदरलाल व्यास)
एग्जामिन कर रहे हैं और उनकी राय के हम इन्तजार में हैं।

श्रीमती समानेदेवी : सदन की कार्यवाही ७ अक्टूबर के प्रातःकाल ११ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही म० प० ५ बजे, गुरुवार, दिनांक ७ अक्टूबर, १९६५ के म० पू० ११ बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या २३७ का उत्तर देखिये)

बारां नगर में एवम अन्ता आदि पंचायत समिति के क्षेत्रों में माध्यमिक हाई व हायर सैकन्डरी स्कूलें ६४-६५ में निम्न प्रकार से हैं:—

नाम कस्बा व पंचायत समिति	माध्यमिक शालायें लड़के	लड़कियां	योग	हाई स्कूल व हायर सै० स्कूल लड़के	लड़कियां	योग
बारां खास	१	–	१	१	१	२
छाबड़ा खास	..	१	१	१	..	१
पंचायत समिति						
छिपाबड़ोद	२	१	३	१	·	१
बारां	७	·	७	·	·	·
छाबड़ा	·	·	·	·	·	·
अटरू	७	·	७	१	·	१
अन्ता	६	२	८	३	·	३
ईटावा	७	·	७	१	·	१
शाहबाद	८	·	८	१	·	१

परिशिष्ट २

(समयाभाव के कारण प्रश्न-समय में न लिये जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

भरतपुर जिले में प्रोढ शिक्षा केन्द्र

२५६. **श्री सांवलियाराम** (रूपवास सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) भरतपुर जिले में कितने प्रोढ शिक्षा केन्द्र चल रहे हैं ?

(२) इन केन्द्रों द्वारा कितने प्रोढ साक्षर किये गये हैं ?

उत्तर

(१) भरतपुर जिले में सन् १९६४-६५ में ९६६ प्रोढ शिक्षा केन्द्र चल रहे थे।

(२) उपरोक्त प्रोढ शिक्षा केन्द्रों में १६,१४६ प्रोढ साक्षर हुये।

सैकन्डरी स्कूल खोलने तथा किसी स्कूल को हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने के आधार

२५७. **श्री दिग्विजयसिंह** (उनियारा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) राजस्थान में वर्ष १९६५-६६ में कितनी मिडिल स्कूलों को हायर सैकण्डरी स्कूलों में परिवर्तित किया गया ? कृपया उनकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। इनको परिवर्तित करने के लिये क्या आधार रखा गया ?

(२) क्या राज्य सरकार इनको परिवर्तित करने से पूर्व जिला परिषदों से सुझाव मांगती है ? यदि हां, तो क्या जिला परिषद्, टोंक व पंचायत समिति देवली ने यह प्रस्ताव कर निवेदन किया था कि नासिरदा मिडल स्कूल जिला टोंक को हायर सैकन्डरी में परिवर्तित किया जावे ?

(३) हायर सैकन्डरी स्कूल खोलने का या किसी स्कूल को हायर सैकन्डरी स्कूल में परिवर्तित करने का क्या आधार है ?

उत्तर

(१) किसी भी राजकीय माध्यमिक शाला को सत्र ६५-६६ में उच्च शाला में प्रोन्नत नहीं किया गया है। केवल उन्हीं सहायता प्राप्त माध्यमिक शालाओं को प्रोन्नत करने की स्वीकृति दी गई, जो कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अंत तक इस संबंध में होने वाले अतिरिक्त आवर्तक व अनावर्तक व्यय पर किसी भी प्रकार की सहायता राज्य सरकार से न मांगने की लिखित स्वीकृति देते हैं तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों की अपने निजी साधनों द्वारा पूर्ति करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ऐसी शालाओं की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) विभाग प्रति वर्ष माध्यमिक शालाओं को प्रोन्नत करने के लिये विभागीय जिला अधिकारियों से संबन्धित जिले में स्थित शालाओं को प्रोन्नत करने के लिये प्रस्ताव आमंत्रित करता है। इस वर्ष सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक शालाओं को उच्च शालाओं में प्रोन्नत न करने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप उक्त संबंध में नासिरदा

स्कूल, जिला टोंक को प्रोन्नत करने के संबंध में प्रस्ताव मांगने का कोई प्रश्न ही नहीं होता।

(३) विभाग द्वारा किसी भी स्थान पर सीधे उच्चतर माध्यमिक शाला नहीं चालू की जाती। चालू माध्यमिक शाला को ही उच्च। उच्चतर माध्यमिक शाला में प्रोन्नत किया जाता है। प्रोन्नत करने हेतु नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

भूतपूर्व राजाओं से प्राप्त राज्य सरकार की इलाहबाद में सम्पत्ति

२५८. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या सामान्य प्रशासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य सरकार की इलाहाबाद में कौन २ सी सम्पत्ति थी जो सरकार को भूतपूर्व राजाओं से प्राप्त हुई थी? इन सम्पत्तियों की अनुमानित लागत सहित सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) राज्य सरकार को किस किस वर्ष इन सम्पत्तियों से कितनी कितनी आमदनी हुई? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(३) क्या यह सही है कि इन सम्पत्तियों में से कुछ को बेच दिया गया है? यदि हां, तो कौन कौन सी सम्पत्ति कितने कितने रुपयों में बेची गई? इनको बेचने का क्या कारण था?

उत्तर

(अध्यक्ष: पीठ आदेशानुसार स्थगित रहा

जयपुर नगर की प्राथमिक पाठशालाएं

२५९. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जौहरी बाजार, जयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) जयपुर नगर में कुल कितनी प्राथमिक पाठशालायें हैं और उनमें कुल कितने बच्चे पढते हैं?

(२) इस वर्ष कितने नए प्राथमिक स्कूल जयपुर नगर में खोले गए और उनमें भरती होने वाले छात्रों की संख्या कितनी हैं?

(३) क्या राज्य सरकार को यह जानकारी मिली है कि जयपुर नगर में प्राथमिक स्कूलों की बहुत कमी है? यदि हां, तो इस कमी को दूर करने के लिये सरकार ने क्या उपाय सोचा है?

(४) क्या यह सही है कि जयपुर नगर परिषद् प्राथमिक शाला खोलने के लिये तैयार है, बशर्ते राज्य सरकार आधा खर्चा बर्दाश्त करे?

(५) क्या राज्य सरकार में अनन्तर कहीं नगर परिषद् द्वारा प्राथमिक शालाएं चलाई जाती हैं?

उत्तर

(१) जयपुर नगर में ८६ राजकीय तथा ५६, सहायता व मान्यता प्राप्त प्राथमिक शालाऐं हैं जिनमें क्रमश: १९३५८ व ८१६६ छात्र पढ रहे हैं। इस तरह कुल १४५ शालाऐं हैं और उनमें २७५२४ छात्र हैं।

(२) इस वर्ष कोई नई प्राथमिक शाला नहीं खोली गई अतः छात्रों की भरती का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(३) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(४) ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(५) जी हां, सूची संलग्न हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई ।)

ऊंट–पालन को प्रोत्साहन

२६०. **श्री मोहरसिंह** (चूरू) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही हैं कि चूरू जिले में ऊंट–पालन के लिये सर्वश्रेष्ठ केन्द्र थे जो सरकारी प्रोत्साहन के अभाव में नष्टप्रायः हो गये हैं ?

(२) क्या सरकार की ऊंट पालन को प्रोत्साहित करने के लिये कोई विशेष योजना हैं ? यदि हां, तो उसमें से चूरू जिले के लिये क्या योजना हैं ?

(३) क्या यह सही हैं कि यदि ऊंट की जट गलीचों का आधार (बेस) बनाने के लिये निर्यात की जावे तो अच्छी विदेशी मुद्रा मिल सकती हैं ? यदि हां, तो सरकार इसको प्रोत्साहित करने के लिये क्या कदम उठा रही हैं ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।
(२) जी नहीं ।
(३) जी नहीं ।

आयुर्वेद विभाग के वैद्यों की वरिष्ठता सूची

२६१. **वैद्य श्री गोविन्दसहाय** (गंगापुर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही हैं क आयुर्वेद विभाग के वैद्यों की वरिष्ठता सूची अब तक प्रकाशित नहीं हुई है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण हैं तथा आगे कब तक प्रकाशित की जावेगी ?

उत्तर

वरिष्ठता सूची प्रकाशित हो चुकी है ।

ओडियो विजुअल लाइब्रेरी

२६२. **श्री मोहनराज** (बाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि समाज शिक्षा के अन्तर्गत अजमेर में एक फिल्म लाइब्रेरी ओडियो विजुअल आफिसर के अन्तर्गत चल रही है और उस लाइब्रेरी की सदस्यता फीस १०) रु. वार्षिक है ?

(२) इस लाइब्रेरी के क्या कोई नियम, उप-नियम हैं ? यदि हां, तो एवः प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) क्या इस फिल्म लाइब्रेरी का मख्य उद्देश्य प्रदर्शन हेतु अच्छी व शिक्षाप्रद फिल्मों को पंचायत समितियों को उनकी मांग के अनुसार वितरित करना है ?

(४) क्या यह सही है कि बाली पंचायत समिति द्वारा जो कि इस लाइब्रेरी की सदस्य है, अनेक बार मांग करने पर भी उन्हे फिल्म नहीं दी गई है ? और यह जवाब दिया गया कि ये फिल्म विभाग संचालित फिल्म गाड़ी द्वारा ही दिखाई जाती है ?

Page No 117

(५) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा संचालित केवल एक गाडी होने से राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर फिल्में दिखाने हेतु पहुंचना संभव नहीं है ?

(६) क्या सरकार इन फिल्मों को सर्वसुलभ करने के उद्देश्य से जिन पंचायत समितियों के पास स्वयं के जेनरेटर हैं व ऑपरेटर हैं उन्हें देने के आदेश शीघ्र जारी करेगी ।

उत्तर

(१) शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अजमेर से एक फिल्म पुस्तकालय श्रव्य-दृष्य शिक्षा अधिकारी की देखरेख में चल रहा है । इसकी सदस्यता शुल्क १०) रु. नहीं, अपितु केवल ५) रु. वार्षिक है तथा ३) रु. फिल्म सूची का मूल्य अलग से सदस्यों से लिया जाता है ।

(२) नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी गई है ।

(३) हां, यह सही है कि पुस्तकालय का उद्देश्य शिक्षाप्रद फिल्मों को सदस्यों को उपलब्ध करना है । इस पुस्तकालय के सदस्य केवल पंचायत समितियां ही नहीं, अपितु अन्य संस्थायें भी हैं ।

(४) यह सही नहीं है कि बाली पंचायत समिति द्वारा मांग करने पर उन्हें फिल्में नहीं दी गई हैं । विभाग द्वारा उन्हें समय समय पर विभागीय नियमानुसार फिल्में दी गई हैं ।

सदस्यों को केवल डॉकूमेन्ट्री व छोटी फिल्में जो एक से डेढ घंटे की होती हैं, दी जाती हैं । विभागीय नियम ५ के अनुसार पूरी लम्बाई की फिल्में सदस्यों को नहीं दी जातीं । पूरी लम्बाई की फिल्मों का प्रदर्शन विभागीय फिल्म प्रदर्शन केन्द्र विभागीय आपरेटरों और सिनेमावानों द्वारा ही किया जाता है । फिल्में अधिक मूल्य ३०००)रु० से ३५०००)रु. तक की होती हैं तथा सदस्यों द्वारा किसी प्रकार की असावधानी बरतने से इनके खराब होने की संभावना बनी रहती है । भूतकाल में कई बार सदस्यों द्वारा इस प्रकार की असावधानियों के करने पर विभाग ने इस प्रकार की फिल्में नहीं देने का नियम बना दिया है ।

(५) यह सही नहीं है कि विभाग में फिल्म प्रदर्शन हेतु केवल एक ही वाहन है । इस समय विभाग में इस कार्य हेतु ६ वाहन कार्य कर रहे हैं तथा इनके अतिरिक्त १२ फिल्म प्रदर्शन केन्द्र भी हैं जिनके द्वारा निश्चित कार्यक्रमानुसार फिल्म प्रदर्शन किया जाता है ।

(६) पूरी लम्बाई की फिल्में सदस्यों को देना प्रश्न (४) के उत्तर में दिये गये कारणों से उचित नहीं है ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

परिशिष्ट ३

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ का उत्तर देखिये)

Statement in anwser to item 7 showing the Actual Revenue receipts from Bhakra Canal

S. No.	Year	Revenue receipts in lakhs.
1.	1955-56	0.14
2.	1956-57	3.94
3.	1957-58	5.33
4.	1958-59	6.09
5.	1959-60	12.32
6.	1960-61	11·52
7.	1961-62	8.24
8.	1962-63	13.26
9.	1963-64	22.60
10.	1964-65	20.55

परिशिष्ट ४

(कृपया अतारांकित प्रश्न संख्या ११२ का उत्तर देखिये)

सूचि पत्र 'क' सन् १६६० से जुलाई, १६६५ तक के काल :

थाना	नम्बर
नागौर	३
मूंडवा	६
मग्गू	४
खाटू	६
सूरपालिया	४
पांचोरी	४
भावंडा	४
मेडता सिटी	१५
मेडता रोड	५
पावू	५
आंवला	३
डेगाना	४
परबतसर	७
गच्छीपुरा	७
कुचामन सिटी	४
नावां	१
पीलवा	३
मारोठ	३
चितावा	१
डीडवाना	५
बरडवा	३
लाडनूं	१
खुनखुना	१
योग ..	१०२

शुद्धि-पत्र

(शुक्रवार, दिनांक १ अक्टूबर, १९६५)

स्कम्म सं. १	पंक्ति सं. २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१७८९	८	पशु-पालन विभाग	पशु-पालन-विभाग
१७९०	१५	लड्)	लड्ढा)
१७९४	१०	प्रिलिजेज	प्रिविलेजेज
१८०९	शीर्षक	३० अक्टूबर	१ अक्टूबर
१८१३	७	चाहि	चाहिये
१८१४	अन्तिम से ३	notifictіon	notification
१८१५	६	ompensation	compensation
१८१६	अन्तिम से ९	श्री गीरधारीलाल	श्री गिरधारीलाल
१८१७	,, १०	रकार	सरकार
१८२२	,, ५	श्री कृष्णमार	श्री कृष्णकुमार
१८२६	,, १०	तयार	तैयार
१८३३	,, ३	सांडों खी	सांडों की
१८४१	,, १२	अन्तर्गगत	अन्तर्गत
१८४४	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोतर	अ. स. के तारांकित प्रश्नोत्तर
१८५०	१२	को` में	कोटे में
१८५२	४	श्री राधाकृष्ण (कोटा) गोयल:	श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) :
१८५३	अन्तिम से २	फाफ्ट्स	क्राफ्ट्स
१८५७	१६	निलम्बिन	निलम्बित
१८५८	९	स्थि त	स्थिति
,,	१५	हिन्डौल ननरपालिक	हिन्डौन नगरपालिका
,,	१६	महिने	महीने
,,	८	दो-डेड	दो-डेढ
१८६९	अन्तिम से ११	लगे ॅ।	लगे हैं।
,,	,, ,,	छने	छूने
१८७१	,, १५	म	में
१८७२	अन्तिम से १०	एडजोनमेन्ट	एडजोर्नमेन्ट
,,	,, ९	जिल में	जिले में
,,	,, ४	भ जा	भेजा
,,	,, ,,	लौट हैं।	लौटे हैं।
१८७३	१०	लिय	लिये

ख

१	२	३	४
१८७३	अन्तिम से ६	जिसक	जिसके
१८७५	३	म	में
,,	८	जि	जिक्र
,,	११	और घंटे में	और एक घंटे में
,,	१२	भर हैं,	भर लेती हैं,
,,	१३	होने के लिये	नहाने के लिए
,,	अन्तिम	मने	मैंने
१८७६	४	सब क सब	सब के सब
१८७८	शीर्षक	पर वक्तव्य	शासकीय वक्तव्य
,,	१२	रिपेट	रिपोर्ट
१८७९	१	मुलेरा	फुलेरा
१८८१	८	में	में
१८८२	३	इ । के	इसके
१८८५	१८	क्षत्र	क्षेत्र
१८८८	१३	क	के
१८८९	२	देन	देने
१८९१	अन्तिम से ८	म दिय	महोदय
१८९२	४	करन	करना
,,	अन्तिम से ८	उ ये	उठाये
,,	,, ४	स्पष	स्पष्ट
,,	,, ३	स या	साया
१८९४	१२	वहां क	वहां के
,,	अन्तिम से १२	आ	हुआ
१८९६	अन्तिम	ससे	इससे
१८९७	१५	श्रीमा ी	श्रीमती
१८९८	११	अपने अपन	अपने अपने
,,	२१	लिय	लिये
१९००	६	इघा	इच्छा
१९०७	अन्तिम से ८	चाहत	चाहते
१९०८	,, १३	ल लो।	ले लो।
१९०९	,, २	अ त	अन्त
१९१०	शीर्षक	प्रशासकीय	अशासकीय
१९१२	,,	अशाकीय	अशासकीय

१	२	३	४
१६१३	१२	thei	their
१६१४	४	रहत	रहते
१६१६	शीर्षक	जमन	जमीन
१६१७	१३	रहन	रहने
,,	अन्तिम २ व १	नारी क ाका	नारी का नाका
१६१६	१४	क	के
,,	२१	बस्ता	बस्ती
१६२१	अन्तिम	खडं हुआ	खड़ा हुआ
१६२३	अन्तिम से ११	इ ज	इलाज
१६२५	८	क डियस	के रेडियस
,,	६	अ	आप
,,	१६	न ीं	नहीं
१६२६	शीर्षक	अशसकीय	अशासकीय
१६२७	१४	टेकनो-इनोकोमिक	टेकनो- इकोनोमिक
१६२८	१	चयरमन	चेयरमैन
१६२६	शीर्षक	बसि क	बस्तियों की
१६३२	अन्तिम से १४	ह।	हैं।
,,	,, ६	क लिए	के लिए
,,	,, ८	का	को
१६३३	,, ५	भीहेंर	भी रहें
१६३४	अन्तिम	निवे	निवेदन
१६३७	८	अन्दर	के अन्दर
१६३८	शीर्षक	अशाꞵकीय	अशासकीय
१६४२	स्कम्भ	१६४	१६४२
१६४७	अन्तिम	३ेना	देना
१६५१	७	हं	हूं
,,	१७	लोगो	लोगों
१६५२	१४	मे	में
,,	अन्तिम से १३	जनरेशन	जेनरेशन
,,	,, ८	जेमीन	जमीन
१६५४	२१	रहन	रहने
,,	अन्तिम	घ नाके	घानके
१६५८	१६	आपन	आपने

घ

१	२	३	४
१९६१	अन्तिम से ६	जिसका	जिसको
१९६३	शीर्षक	१ अक्टबर	१ अक्टूबर
,,	३	लिय	लिये
१९६४	अन्तिम से १३	जो	लो
१९६६	१	पं सा	पैसा
१९६८	१५	Gorp	Group
१९६९	६	tenements	tenement
,,	१६	eraent	percent
१९७२	६	कारा	कारण
१९७४	अन्तिम से २	इनकोपेरिट	इनकोर्पोरेट
१९७८	२	कम्पेन्सेसन	कम्पेन्सेशन
१९७८	अन्तिम से १४	एग्रीकलचर	एग्रीकल्चर
१९७९-८०	शीर्षक	कच्ची बस्तियों की–– १ अक्टूबर, १९६५-जन लेखा सीमति	कच्ची बस्तियों की- १ अक्टूबर, १९६५–– जमीन विषयक अशासकीय संकल्प
१९७९	२	शत्र	शत्रु
१९८२	१३	मै	में
१९८४	६	वातचीच	वातचीत
,,	७	वाचचीत	वातचीत
१९८७	१४	लड् ा	लड्ढा
१९९३	अन्तिम से ९	बेद	वेद
१९९४	,, ७	चाहते	चाहते हैं
१९९५	१६	प्रापर्टी	प्रोपर्टी
१९९६	८	मैनेंजमेंट	मैनेजमेंट
,,	१५	,,	,,
१९९८	५	मैनेजमेंट	,,
,,	अन्तिम से ४	एमेंडमेंट	एमेंडमेंट
,,	,, २	श्री मान्धातासिह	श्री मानधातासिंह
१९९९	शीर्ष	,,	,,
२०००	१५	लाये	लाई
२००१	१४	निधियों	निधियों
२००२	५	एसा	ऐसा

१	२	३	४
२००३	१५	प्रेजिडेन्ट	प्रेसीडेन्ट
२००३	अन्तिम से २	वेल्य	वेल्यू
२००५-२००६	शीर्षक	१ अक्टूाबर,	१ अक्टूबर,
२००५	अन्तिम से ११	संख्या पा०	संख्या पी०
,,	,, १०	किवा जावे	किया जावे
२००६	अन्तिम से ८	बयास	व्यास
२००७	४	प्रापर्टी	प्रोपर्टी
२००८	१३	अपाइण्टमेंट	अपोइन्टमेंट
२००९	१४	ऑब्जर्वेशन	ऑब्जर्वेशन
२०१०	१३	फेसले	फैसले
२०११	२	इन्त ार	इतजार
२०१४	२	(रूपवास सु.)	(रूपवास-सु.)
,,	अन्तिम से १२	श्री दिग्विजयसिह	श्री दिग्विजयसिंह
२०१५	२	अध्यक्ष:पीठ	अध्यक्ष-पीठ
,,	२	रहा	रहा)
२०१६	५	क	कि
२०१७	अन्तिम से २	फिल्में ी	फिल्में दी
२०१९	२	जलाई,	जुलाई,
,,	अन्तिम से २	लाडनू	लाडनूं